श्रम संगम

वर्ष: 12, अंक: 1

जनवरी-जून 2026

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा प्रकाशित जर्नल

लेबर एंड डेवलपमेंट

लेबर एंड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही पत्रिका है, और यह सैद्धांतिक विश्लेषण एवं आनुभविक अन्वेषण के जरिए श्रम के विभिन्न मुद्दों का प्रसार करने के लिए समर्पित है। इस पत्रिका में आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक मुद्दों के साथ–साथ विधिक पहलुओं पर बल देते हुए श्रम एवं संबंधित विषयों के क्षेत्र में उच्च शैक्षिक गुणवत्ता वाले लेखों का प्रकाशन किया जाता है। साथ ही, विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में उन लेखों पर अनुसंधान टिप्पणियों एवं पुस्तक समीक्षाओं का भी इसमें प्रकाशन किया जाता है।

अवार्ड्स डाइजेस्टः श्रम विधान का जर्नल

अवार्ड्स डाइजेस्ट एक तिमाही जर्नल है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र के अद्यतन मामला विधियों का सार प्रकाशित किया जाता है। इस जर्नल में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक अधिकरणों तथा केंद्रीय सरकारी औद्योगिक अधिकरणों द्वारा श्रम मामलों के बारे में दिए गए निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें श्रमकानूनों से संबंधित लेख, उनमें किए गए संशोधन, अन्य संगत सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और श्रमिकों, श्रम कानूनों के परामर्शदाताओं, शैक्षिक संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं और श्रम कानून के विद्यार्थियों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

श्रम विधान

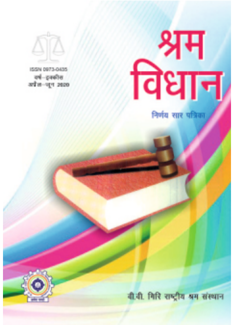

श्रम विधान तिमाही हिन्दी पत्रिका है। श्रम कानूनों और उनमें समय–समय पर होने वाले बदलावों की जानकारी को आधारिक स्तर (Grass Roots Level) तक सरल और सुबोध भाषा में पहुंचाने के लिए इस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लिए अधिनियमित मौजूदा कानूनों की सुसंगत जानकारी, उनमें होने वाले संशोधनों, श्रम तथा इससे संबद्ध विषयों पर मौलिक एवं अनूदित लेख, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के प्रकाशन के साथ–साथ श्रम से संबंधित मामलों पर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा केंद्रीय प्रशासनीक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए फैसलों को सार के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

चंदे की दरः लेबर एंड डेवलपमेंट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 150 रुपए तथा संस्थानों के लिए 250 रुपए है। अवार्ड्स डाइजेस्ट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। श्रम विधान पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। चंदे की दर प्रति कैलेण्डर वर्ष (जनवरी–दिसम्बर) है। ग्राहक प्रोफार्मा संस्थान की वेबसाइट www.vvgnli.gov.in पर उपलब्ध है। ग्राहक प्रोफार्मा पूरी तरह भरकर डिमांड ड्राफ्ट सहित जो वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के पक्ष में एवं दिल्ली/नौएडा में देय हो, इस पते पर भेजेः

प्रकाशन प्रभारी
वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर–24, नौएडा–201301, उत्तर प्रदेश

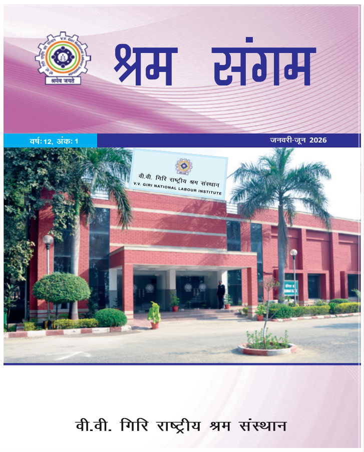

संरक्षक
डॉ. अरविंद
महानिदेशक

संपादक मंडल
डॉ. संजय उपाध्याय
वरिष्ठ फेलो

डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
फेलो

श्री बीरेन्द्र सिंह रावत
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर-24, नौएडा-201301
उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाओं की मौलिकता का दायित्व स्वयं लेखकों का है तथा पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान उत्तरदायी नहीं है।

मुद्रणः चन्दु प्रेस
डी-97, शकरपुर
दिल्ली-110092

श्रम संगम

वर्षः 12, अंकः 1, जनवरी-जून 2026

अनुक्रमणिका

❍	महानिदेशक की कलम से	ii
❍	ज्ञान, विज्ञान और शांति का शिखरः नोबेल पुरस्कार - डॉ. संजय उपाध्याय	1
❍	हिन्दी का महत्व (कविता) - मनवीर सिंह भंडारी	4
❍	मोदी सरकार की विकास यात्रा के 12 वर्ष - राजेश कुमार कर्ण	5
❍	श्रम का उद्देश्य (कविता) - शाहनवाज अहमद	15
❍	फीफा फुटबॉल विश्व कपः अजब-गजब तथ्य - बीरेन्द्र सिंह रावत	16
❍	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा 'हिन्दी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता'	22
❍	अरुणोदय (कविता) - रामधारी सिंह दिनकर	23
❍	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 'दान से लाभ' विषय पर कार्यशाला का आयोजन	24
❍	मेरी पहली नौकरी (कविता) - दिनेश बोस	26
❍	नक्सल मुक्त भारत का सपना साकार - राजेश कुमार कर्ण	27
❍	पति-पत्नी का रिश्ता (कविता) - अजय कुमार यादव	33
❍	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा आयोजित 'हिन्दी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता' का परिणाम	32
❍	नई शुरुआत के लिए कभी देर नहीं होती - गीता अरोड़ा	34
❍	कहावतों का चक्कर (कहानी) - हरिशंकर परसाई	36
❍	योगः भारत की प्राचीन धरोहर - राजेश कुमार कर्ण	39
❍	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा राजभाषा समारोह का आयोजन	45

महानिदेशक की कलम से...

हिंदी एक बहुत ही सरल, सहज और आसानी से समझ में आने वाली भाषा है, जिसे आसानी से बोला और सीखा जा सकता है। इन्हीं खूबियों के कारण, भाषाओं की इस विविधतापूर्ण दुनिया में हिंदी का अपना एक खास स्थान है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उत्तर भारत में जहाँ यह जन–जन की संपर्क भाषा के रूप में लोकप्रिय हुई, वहीं अखिल भारतीय स्तर पर राजा राममोहन राय, केशवचंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, दयानंद सरस्वती, महात्मा गाँधी, सी. राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदी के प्रयोग की महत्ता खुद भी समझी और अन्य लोगों को भी प्रेरित किया कि वे इसका प्रयोग करें। इस तरह हिंदी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी।

स्वतंत्रता प्राप्ति पर भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया और राजभाषा हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग एवं प्रचार–प्रसार हेतु संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में समुचित प्रावधान किए गए। संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार 'संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके.....।' तदनुसार, देश और समाज के व्यापक हित में राजभाषा नीति के समुचित कार्यान्वयन की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसके मद्देनजर वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी राजभाषा संबंधी निदेशों का अनुपालन बखूबी कर रहा है। साथ ही, संस्थान द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा के सदस्य कार्यालयों के कार्मिकों को अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष एक हिन्दी प्रतियोगिता अथवा कार्यशाला अथवा संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है।

'श्रम संगम' पत्रिका की नियमितता बनाए रखने तथा इसके आगामी अंकों को अधिकाधिक रुचिकर बनाने हेतु आपके बहुमूल्य विचारों और सुझावों का सदैव स्वागत है। पत्रिका अनवरत इसी प्रकार आकर्षक रूप में हमारे बीच आती रहे तथा हिंदी के प्रचार–प्रसार में सदैव सफलता प्राप्त करे, इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

(डॉ. अरविंद)

ज्ञान, विज्ञान और शांति का शिखरः नोबेल पुरस्कार

डॉ. संजय उपाध्याय*

दुनियाभर में विज्ञान, साहित्य, शांति और मानव कल्याण के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वाधिक प्रतिष्ठित, गरिमामयी और अकादमिक रूप से सर्वोच्च सम्मान का नाम है – **नोबेल पुरस्कार** (Nobel Prize)। प्रतिवर्ष अक्तूबर माह के शुरुआती हफ्तों में इन पुरस्कारों की घोषणा स्टॉकहोम और ओस्लो से की जाती है, और 10 दिसंबर को (अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर) विजेताओं को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया जाता है। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों, वैज्ञानिक अनुसंधान और वैश्विक शांति की दिशा में यह पुरस्कार किसी भी बौद्धिक हस्ती के लिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है।

1. अल्फ्रेड नोबेलः एक भूल, आत्ममंथन और एक महान संकल्प का इतिहास

नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडिश वैज्ञानिक, रसायनशास्त्री, इंजीनियर, उद्योगपति और डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल (Alfred Nobel) की वसीयत और उनके जीवन के एक अत्यंत नाटकीय मोड़ के आधार पर हुई थी।

- **डायनामाइट का आविष्कार और 'मौत का सौदागर'** – अल्फ्रेड नोबेल ने अपने जीवनकाल में कुल 355 आविष्कार किए, जिनमें 1867 में खोजा गया डायनामाइट सबसे क्रांतिकारी और प्रसिद्ध आविष्कार था। इस विस्फोटक के व्यावसायिक उत्पादन ने उन्हें अपार संपत्ति का मालिक बना दिया और दुनियाभर में व्यावसायिक ख्याति दिलाई। हालाँकि, डायनामाइट के सैन्य उपयोग और उससे होने वाली भारी तबाही के कारण एक समय ऐसा आया जब दुनिया उन्हें 'मौत का सौदागर' (Merchant of Death) कहने लगी।
- **इतिहास का वह अनोखा मोड़ (अपना मृत्युलेख पढ़ना)**: वर्ष 1888 में अल्फ्रेड नोबेल के भाई (लुडविग नोबेल) का फ्रांस के कॉन शहर में निधन हो गया। लेकिन एक फ्रेंच अखबार ने गलती से यह समझ लिया कि मरने वाला व्यक्ति लुडविग नहीं बल्कि खुद अल्फ्रेड नोबेल है। उस अखबार ने 'मौत का सौदागर मर गया (The Merchant of Death is Dead)' शीर्षक से उनका बहुत ही तीखा और आलोचनात्मक मृत्युलेख (Obituary) छाप दिया। जब सुबह अल्फ्रेड नोबेल ने खुद अपने बारे में यह छपा हुआ लेख पढ़ा, तो वह भीतर से बुरी तरह हिल गए। उन्हें यह सोचकर गहरा आघात लगा कि उनके मरने के बाद दुनिया उन्हें एक विध्वंसक और क्रूर व्यापारी के रूप में याद रखेगी।
- **वसीयत का ऐतिहासिक बदलावः** इसी गहरी आत्मग्लानि और आत्ममंथन ने उनकी सोच और जीवन का उद्देश्य बदल दिया। उन्होंने तय किया कि वह अपनी अर्जित संपत्ति का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करेंगे। इसी सोच के साथ अपने निधन से ठीक पहले, 27 नवंबर 1895 को पेरिस में उन्होंने अपनी अंतिम वसीयत पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत उन्होंने अपनी संपत्ति का 94 प्रतिशत हिस्सा एक विशाल फंड (नोबेल फाउंडेशन) के रूप में सुरक्षित कर दिया, जिससे मिलने वाले वार्षिक ब्याज से उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ पहुँचाया हो।

2. किन क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार?

अल्फ्रेड नोबेल की मूल वसीयत के अनुसार, शुरुआत में यह पुरस्कार केवल 5 क्षेत्रों में दिए जाने का प्रावधान था:

i. भौतिकी (Physics) – स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है।

ii. रसायन विज्ञान (Chemistry) – स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है।

iii. चिकित्सा या शरीर विज्ञान (Physiology or Medicine) – करोलिंस्का इंस्टीट्यूट (स्वीडन) द्वारा प्रदान किया जाता है।

iv. साहित्य (Literature) – स्वीडिश एकेडमी द्वारा प्रदान किया जाता है।

v. शांति (Peace) – यह एकमात्र पुरस्कार है जो स्वीडन में नहीं, बल्कि **नॉर्वे की संसद (Storting) द्वारा चुनी गई पाँच सदस्यीय समिति** द्वारा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है (नोबेल की इच्छा के अनुसार)।

* *वरिष्ठ फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

नोबेल पुरस्कार के पहले विजेता

वर्ष 1901 में जब पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे, तब विभिन्न श्रेणियों के विजेता निम्नलिखित थेः

- भौतिकी (Physics): विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन (Wilhelm Röntgen) – जर्मनी के इस वैज्ञानिक को एक्स–रे (X-rays) की खोज के लिए भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
- रसायन विज्ञान (Chemistry): वांट हॉफ (Jacobus Henricus van't Hoff) – नीदरलैंड्स के इस रसायनशास्त्री को रासायनिक गतिकी (chemical dynamics) और विलयन में ऑस्मोटिक दबाव के नियमों की खोज के लिए यह पुरस्कार मिला था।
- चिकित्सा या शरीर विज्ञान (Physiology or Medicine): एमिल वान बेहरिंग (Emil von Behring) – जर्मनी के इस फिजियोलॉजिस्ट को सीरम थेरेपी (विशेषकर डिप्थीरिया के खिलाफ) के विकास के लिए चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
- साहित्य (Literature): सुली प्रुधोम (Sully Prudhomme) – फ्रांस के इस प्रसिद्ध कवि और निबंधकार को उनके विशेष काव्य लेखन और बौद्धिक उपलब्धियों के लिए साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था।
- शांति (Peace): इस श्रेणी में यह पुरस्कार संयुक्त रूप से दो महान हस्तियों – हेनरी ड्यूनांट (Henry Dunant) – स्विट्जरलैंड (रेड क्रॉस के संस्थापक और जिनेवा कन्वेंशन के प्रणेता) तथा फ्रेडरिक पासी (Frédéric Passy) – फ्रांस (अंतर्राष्ट्रीय शांति आंदोलन के अग्रणी और इंटर–पार्लियामेंट्री यूनियन के संस्थापक) को दिया गया था।

अर्थशास्त्र का नोबेल (छठा क्षेत्र): मूल वसीयत में अर्थशास्त्र का कोई उल्लेख नहीं था। वर्ष 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक (Sveriges Riksbank) ने अपनी स्थापना की 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 'आर्थिक विज्ञान' के पुरस्कार की स्थापना की। इसे आधिकारिक तौर पर 'स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल' कहा जाता है। अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1969 में संयुक्त रूप से दो अर्थशास्त्रियों – 1) रग्नार फ्रिश (Ragnar Frisch) – नॉर्वे और 2) यान टिनबरगेन (Jan Tinbergen) – नीदरलैंड्स को दिया गया था। इन दोनों दिग्गजों को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 'आर्थिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण के लिए गतिशील मॉडल विकसित करने और उन्हें लागू करने' के उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया था। उनके इस कार्य ने आधुनिक इकोमेट्रिक्स (अर्थमिति) की नींव रखी थी। तब से इसे अनौपचारिक रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ही माना जाता है।

3. पुरस्कार का भौतिक और वित्तीय स्वरूप

प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता को सम्मान के प्रतीक के रूप में मुख्य रूप से तीन चीजें मिलती हैं:

- **स्वर्ण पदक (Gold Medal):** 18 कैरेट रीसाइकल्ड सोने से बना यह पदक होता है, जिसके एक तरफ अल्फ्रेड नोबेल का चेहरा और उनकी जन्म–मृत्यु की तिथियाँ अंकित होती हैं, और दूसरी तरफ हर श्रेणी के अनुसार अलग–अलग कलात्मक प्रतीक उकेरे होते हैं।
- **डिप्लोमा (Diploma):** एक अनूठा हस्तनिर्मित और हस्त–चित्रित कलात्मक दस्तावेज, जो स्वीडिश या नॉर्वेजियन राजा/समिति द्वारा विजेता को उनकी विशिष्ट उपलब्धि के प्रमाण स्वरूप दिया जाता है।
- **नकद राशि (Cash Prize):** नोबेल फाउंडेशन के पास मौजूद फंड के निवेश से मिलने वाले रिटर्न के आधार पर यह राशि हर साल तय होती है। यह राशि इतनी बड़ी होती है कि विजेता बिना किसी वित्तीय चिंता के अपने वैज्ञानिक शोध, लेखन या सामाजिक अभियानों को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ा सकें। यदि किसी श्रेणी में एक से अधिक विजेता होते हैं, तो यह राशि उनमें आपस में बाँट दी जाती है।

4. नोबेल पुरस्कार से जुड़े कड़े नियम और प्रशासनिक प्रावधान

नोबेल फाउंडेशन और संबंधित समितियां पुरस्कार की गरिमा और शुचिता बनाए रखने के लिए बेहद सख्त नियमों का पालन करती हैं:

- **मरणोपरांत पुरस्कार पर प्रतिबंध (Posthumous Ban):** वर्ष 1974 के बाद से यह कड़ा नियम बना दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत (मृत्यु के बाद) नहीं दिया जा सकता। यदि पुरस्कार की घोषणा के बाद और समारोह से पहले विजेता की मृत्यु हो जाती है, तब भी उन्हें विजेता माना जाता है, लेकिन उससे पहले निधन होने पर विचार नहीं किया जाता। (1974 से पहले इतिहास में केवल दो बार मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था – एरिक एक्सेल कार्लफेल्ट और डॅग हॅमरशिल्ड को)।
- **साझा पुरस्कार की सीमा (Maximum Three Persons):** किसी भी एक श्रेणी में एक वर्ष में अधिकतम तीन लोगों को ही संयुक्त रूप से नोबेल

पुरस्कार दिया जा सकता है। यह नियम इसलिए है ताकि पुरस्कार की विशिष्टता और व्यक्तिगत महिमा कम न हो।

- **50 वर्ष की गोपनीयता का नियमः** नोबेल समिति नामांकनों (Nominations) की पूरी सूची को सख्त सुरक्षा के तहत कम से कम 50 वर्षों तक गोपनीय रखती है। इसका अर्थ है कि इस वर्ष किस–किसको नामांकित किया गया था, इसका आधिकारिक खुलासा ठीक पचास साल बाद ही सार्वजनिक दस्तावेजों के रूप में किया जाता है।

5. कुछ बेहद रोचक, अनूठे और ऐतिहासिक रिकॉर्ड

- सबसे कम उम्र की विजेताः पाकिस्तान की महिला एवं बाल शिक्षा अधिकार कार्यकर्ता मलाला युसुफजई को मात्र 17 वर्ष की आयु में 2014 में 'शांति' का नोबेल पुरस्कार मिला था। वह आज तक के इतिहास की सबसे कम उम्र की नोबेल विजेता हैं।
- सबसे अधिक उम्र के विजेताः अमेरिका के भौतिकशास्त्री एवं बैटरी वैज्ञानिक जॉन बी. गुडइनफ (John B- Goodenough) को 97 वर्ष की आयु में 2019 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। वह अब तक सबसे अधिक उम्र में यह सम्मान पाने वाले व्यक्ति हैं।
- दो बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महान हस्तियांः इतिहास में ऐसे केवल चार व्यक्ति हुए हैं जिन्हें दो अलग–अलग मौकों पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गयाः

i. मैडम मेरी क्यूरी (Marie Curie): भौतिकी (1903 – रेडियोधर्मिता के लिए) और रसायन विज्ञान (1911 – रेडियम के पृथक्करण के द्वारा रेडियम और पोलोनियम तत्वों की खोज के लिए)। वह दो अलग–अलग विज्ञानों में नोबेल पाने वाली इकलौती महिला हैं।

ii. लीनस पॉलिंग (Linus Pauling): रसायन विज्ञान (1954 – रासायनिक बंधों के लिए) और शांति (1962 – परमाणु हथियारों के परीक्षण के खिलाफ शांति अभियान के लिए)। वह इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दो बार पूर्ण रूप से अकेले नोबेल मिला।

iii. जॉन बार्डीन (John Bardeen): भौतिकी (1956 – ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और 1972 – अतिचालकता के बीसीएस सिद्धांत के लिए)। इन्हें एक ही क्षेत्र (भौतिकी) में दो बार पुरस्कार मिला।

iv. फ्रेडरिक सेंगर (Frederick Sanger): रसायन विज्ञान (1958 – इंसुलिन की संरचना के लिए और 1980 – डीएनए सिक्वेंसिंग के लिए)।

- **संस्था जिसे तीन बार मिला पुरस्कारः** रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति (ICRC) को युद्धकालीन राहत कार्यों और मानवता की सेवा के लिए शांति के क्षेत्र में कुल तीन बार (1917, 1944, और 1963) नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनांट को पहला व्यक्तिगत शांति पुरस्कार (1901) मिला था।
- **महात्मा गाँधी का दुखांत और नोबेलः** भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए कुल 5 बार (1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 के शुरुआती हफ्तों में) औपचारिक रूप से नामांकित किया गया था। वर्ष 1948 में उनकी हत्या से कुछ ही दिन पहले उनका अंतिम नामांकन हुआ था। नोबेल समिति ने गाँधी जी को मरणोपरांत पुरस्कार न देने का निर्णय लिया और उस वर्ष (1948 में) समिति को कोई भी जीवित उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला, इसलिए उस साल शांति का नोबेल पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया था। समिति ने बाद में स्वीकार किया कि गाँधी जी को यह पुरस्कार न देना उनके इतिहास की सबसे बड़ी चूकों में से एक थी।

नोबेल पुरस्कार का इतिहासः पुरस्कारों और सम्मानित व्यक्तियों का विवरण – नोबेल फाउंडेशन के आधिकारिक आँकड़ों (1901 से 2025 तक) के अनुसार, वर्ष 1901 से लेकर अब तक नोबेल पुरस्कार और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कुल 633 बार प्रदान किया जा चुका है तथा यह पुरस्कार कुल 1,026 अलग–अलग व्यक्तियों और संगठनों (संस्थाओं) को दिया गया है। यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि चूंकि कुछ खास व्यक्तियों और संस्थाओं को एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है (जैसे मैडम क्यूरी, लीनस पॉलिंग, जॉन बार्डीन, फ्रेडरिक सेंगर और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति), इसलिए यदि वास्तविक गिनती की जाए तो कुल 990 अलग–अलग व्यक्तियों को यह गौरव प्राप्त हुआ है तथा कुल 28 संगठनों या संस्थाओं को यह पुरस्कार दिया गया है (इनमें रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति और यूएनएचसीआर जैसी संस्थाएं शामिल हैं)।

6. भारतीय और भारतीय मूल के नोबेल विजेताः गौरवशाली अध्याय

भारत और भारतीय मेधा के लिए नोबेल पुरस्कार का इतिहास अत्यधिक प्रेरणादायक और गौरव से भरा रहा हैः

i. **रवींद्रनाथ टैगोर (1913 – साहित्य):** अपनी प्रसिद्ध काव्य कृति 'गीतांजलि' के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला। वह न केवल पहले भारतीय, बल्कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई भी थे।

ii. **सर चंद्रशेखर वेंकट रमन/सर सी.वी. रमन (1930 – भौतिकी):** प्रकाश के प्रकीर्णन से जुड़ी अपनी अभूतपूर्व खोज 'रमन इफेक्ट (Raman Effect)' के लिए यह सम्मान पाने वाले वह पहले एशियाई वैज्ञानिक बने। (उनकी इस खोज की याद में भारत में हर साल 28 फरवरी को 'राष्ट्रीय विज्ञान दिवस' मनाया जाता है)।

iii. **मदर टेरेसा (1979 – शांति):** कलकत्ता के गरीबों, बीमारों और अनाथों की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाली मदर टेरेसा को उनके मानवीय कार्यों के लिए शांति का नोबेल मिला।

iv. **अमर्त्य सेन (1998 – अर्थशास्त्र):** कल्याणकारी अर्थशास्त्र (Welfare Economics), अकाल के कारणों के अध्ययन और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उनके सैद्धांतिक योगदान के लिए उन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल प्रदान किया गया।

v. **कैलाश सत्यार्थी (2014 – शांति):** बाल अधिकारों की रक्षा और 'बचपन बचाओ आंदोलन' के माध्यम से बाल श्रम व बाल तस्करी के खिलाफ वैश्विक स्तर पर लड़ने के लिए उन्हें पाकिस्तान की मलाला युसुफजई के साथ संयुक्त रूप से यह सम्मान मिला।

इनके अलावा, भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉ. हरगोविंद खुराना (1968, चिकित्सा), सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर (1983, भौतिकी), वेंकी रामकृष्णन (2009, रसायन विज्ञान), अभिजीत विनायक बनर्जी (2019, अर्थशास्त्र, जिन्हें यह पुरस्कार उनकी पत्नी एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से मिला था) ने भी अपनी खोजों से देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, भले ही उन्होंने अनुसंधान के दौरान विदेशी नागरिकता या संस्थाओं का प्रतिनिधित्व किया हो।

निष्कर्ष

डायनामाइट के विध्वंसक आविष्कार से उपजे एक अकाट्य अपराधबोध और आत्ममंथन से शुरू हुई अल्फ्रेड नोबेल की वह वसीयत आज वैश्विक स्तर पर मानव जाति की बौद्धिक चेतना का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी है। नोबेल पुरस्कार सिर्फ कुछ पदकों, डिप्लोमा या बड़ी धनराशियों का वितरण मात्र नहीं है, यह इस बात का चिरस्थायी प्रमाण है कि विज्ञान की प्रयोगशालाओं, साहित्य की सृजनात्मकता और शांति के कठिन अहिंसक संघर्षों के बल पर इस जटिल दुनिया को बेहतर, सुरक्षित और रहने योग्य बनाया जा सकता है।

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

हिन्दी का महत्व

मनवीर सिंह भंडारी*

हिन्दी है हमारी पहचान,
भारत की है यह शान।
मिट्टी की खुशबू जैसी,
फैले सब जगह एक समान।।

सादगी में गहराई इसकी,
संस्कारों की है परिभाषा।
एकता का संदेश सुनाती,
भारत की रगों में समाती।।

आओ इसे अपनाएं हम,
दुनिया तक इसे पहुंचाएं हम।
भारत की यह शान निराली
सब भाषाओं में सबसे प्यारी।

गंगा जैसी निर्मल धारा,
ज्ञान–विज्ञान का देती सहारा।
हिन्दी हमारी आन है,
यह संस्कृति की जान है।।

अंग्रेजी का भी मान करें हम,
पर हिन्दी को सम्मान दें हम।
अपनी मिट्टी, अपनी भाषा
यही है जीवन की परिभाषा।।

भारत की पहचान यही,
सभी दिलों की जान यही।
हिन्दी से ही ऊंचा नाम,
यही है भारत की पहचान।।

* *आशुलिपि सहायक ग्रेड–II, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा*

मोदी सरकार की विकास यात्रा के 12 वर्ष

राजेश कुमार कर्ण*

26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली। लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को शपथ ली। उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इन वर्षों में शासन का केंद्र हमेशा देश का नागरिक रहा और गरीब, युवा, अन्नदाता तथा नारी शक्ति को विकास की सबसे बड़ी शक्ति माना गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक केंद्रीय सत्ता का नेतृत्व करने का रिकार्ड कायम करना उनकी एक बड़ी उपलब्धि है। मोदी सरकार की 12 वर्ष की उपलब्धियों की एक लंबी सूची है। इस सूची में केवल देश की तस्वीर बदलने वाली सफल विकास योजनाएं ही नहीं, बल्कि ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं भी हैं, जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला। इन योजनाओं में उज्ज्वला, आवास, बिजली, पानी, शौचालय जैसी योजनाएं ही नहीं, बल्कि जनधन, मुद्रा, स्वनिधि, आयुष्मान, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं भी हैं, जिनसे लोगों को गरीबी रेखा से बाहर आने में मदद मिली। इनमें से अधिकांश योजनाओं की सफलता का आधार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी बना। डिजिटल भुगतान प्रणाली भी मील का पत्थर बनी। इसी तरह पिछले वर्षों में देश में बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का निर्माण हुआ। इसके तहत सड़कें, पुल, हवाईअड्डे, बिजलीघर, आइआइटी, आइआइएम जैसे शिक्षा संस्थान और एम्स सरीखे अस्पताल तो बने ही, रेल और मेट्रो नेटवर्क की भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। इस सबसे एक ऐसे भारत का निर्माण हुआ, जिसे नया भारत कहा जा सकता है।

इन 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि योजनाएं केवल घोषणाओं तक सीमित न रहें, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। विकसित भारत संकल्प यात्रा भी इसका एक बड़ा उदाहरण रही। इन 12 वर्षों में सरकार ने न केवल पहले की कमियों को दूर किया, बल्कि वर्तमान को भी मजबूत करते हुए विकसित भारत@2047 का स्पष्ट लक्ष्य भी देश के सामने रखा है। इस प्रकार नागरिक देवो भवः की भावना के साथ केंद्र सरकार निरंतर जनसेवा, जनविश्वास और जनकल्याण के पथ पर अग्रसर है।

श्री अनिल बलूनी, लोकसभा सदस्य ने ठीक ही लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक 'विकसित भारत' के निर्माण का एक स्पष्ट, पारदर्शी और दूरगामी खाका देश के सामने रखा है। 2022 के 'पंच प्रण' से आगे बढ़ते–हुए अब देश 'सप्तधारा' (सामर्थ्य की सात धारा) के मार्ग पर आगे बढ़ चुका है, जो भारत की आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। 'सप्तधारा' केवल सरकारी नीतियों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक सपनों का प्रकटीकरण है। विकास की सप्तधारा के सात प्रमुख स्तंभ (उत्पादन की शक्ति, कृषि और फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी एवं सॉफ्ट पावर) नए भारत की नींव रख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि अगले 5 से 7 वर्षों में इन सातों धाराओं की शक्ति से देश उन लक्ष्यों को हासिल कर लेगा जो पिछले 5 से 7 दशकों में पूरे नहीं हो सके।

'मेक इन इंडिया', 'स्वदेशी' और 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र ने जमीनी स्तर पर क्रांति ला दी है। 2014-15 में हमारा इलेक्ट्रानिक उत्पादन लगभग 1.9 लाख करोड़, रुपये था, जो 2024-25 में करीब छह गुना बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह मोबाइल फोन का उत्पादन 18,000 करोड़ रुपये से 28 गुना बढ़कर 5.45 लाख करोड़ रुपये हो गया है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। मोबाइल फोन निर्यात में 127 गुना वृद्धि सिद्ध करती है कि भारत अब आयात पर निर्भर नहीं, बल्कि वैश्विक जरूरतों को पूरा करने वाला निर्यातक बन चुका है।

कृषि और खाद्य उत्पादनः हमारे किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। सरकार का लक्ष्य किसानों को वैश्विक निर्यात बाजारों से जोड़ना है। 2013-14 में बागवानी उत्पादन 280.7 मिलियन टन था, जो अब 31 प्रतिशत बढ़कर 367.7 मिलियन टन हो गया है। मत्स्य उत्पादन में 104 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है, जो 96 लाख टन से 195 लाख टन तक पहुंच गई है। कृषि–खाद्य निर्यात में प्रसंस्कृत भोजन की हिस्सेदारी 13.7 से बढ़कर 20.4 प्रतिशत हो गई है।

प्रौद्योगिकी और नवाचारः नया भारत नवाचार का भारत है। 2014 से पहले देश में बमुश्किल 350 स्टार्टअप थे,

---

* आशुलिपि सहायक, ग्रेड – I, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा

आज 2026 में भारत के पास 2.3 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की फौज है। यूनिकार्न कंपनियों की संख्या चार से बढ़कर 120 से अधिक हो गई है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्टार्टअप्स एक से बढ़कर लगभग 440 हो गए हैं। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 80वें स्थान से छलांग लगाकर 38वें स्थान पर आ गया है। एआइ, 6 जी, क्वांटम प्रौद्योगिकी और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के जरिये देश के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है।

गति शक्तिः पीएम गति शक्ति योजना के तहत भारत में मल्टीमाडल कनेक्टिविटी का जाल बिछाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 91,287 किमी से 60 प्रतिशत बढ़कर 1,46,000 किमी से अधिक हो गई है। हाई–स्पीड कारिडोर्स का निर्माण 32 गुना बढ़कर 3,052 किमी हो गया है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। रेलवे का लगभग पूर्ण रूप से विद्युतीकरण किया जा चुका है, जो कभी केवल 20 प्रतिशत तक सीमित था। हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के युग का शंखनाद है।

रक्षा शक्तिः भारत रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं, बल्कि निर्यातक बन रहा है। रक्षा उत्पादन में लगभग चार गुना की वृद्धि हुई है और रक्षा निर्यात 56 गुना बढ़कर 38,424 करोड़ रुपये के स्तर को छू चुका है। 'मिशन सुदर्शन चक्र' और हाइपरसोनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों ने हमारी सेना को अजेय बना दिया है।

हरित और नीली अर्थव्यवस्थाः भारत आज जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का नेतृत्त्व कर रहा है। हमारी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 76.38 गीगावाट से बढ़कर 288.58 गीगावाट हो गई है। सौर ऊर्जा क्षमता में 59 गुना का भारी उछाल आया है।

भारत अब स्थापित नवीकरणीय और सौर क्षमता में विश्व में तीसरे स्थान पर है। 2025 के ऐतिहासिक शांति अधिनियम ने परमाणु ऊर्जा के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया है। गैस ग्रिड का विस्तार 70 से 700 शहरों तक हो गया है। नीली अर्थव्यवस्था के तहत मत्स्य पालन 142 प्रतिशत बढ़ा है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 1.5 लाख से बढ़कर 25 लाख हो गई है, जो स्वच्छ भारत के संकल्प को पुष्ट करता है।

साफ्ट पावरः भारत के सांस्कृतिक मूल्य आज विश्व के लिए मार्गदर्शक बन रहे हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 31 से बढ़कर 44 हो गई है। 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है। 'हील इन इंडिया' और आयुर्वेद ने भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को वैश्विक मंच पर स्थापित किया है। विदेशी पर्यटकों की आवक में 43 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। वेव्स समिट जैसे आयोजनों ने भारत की रचनात्मक और एनिमेशन/गेमिंग अर्थव्यवस्था को एक साफ्ट पावर के रूप में प्रस्तुत किया है।

सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह कालखंड ऐतिहासिक रहा है। भारत ने सबसे प्रभावी समूह जी–20 की अध्यक्षता करते हुए, उसके हर आयोजन में योग को विशेष तौर से हिस्सा बनाकर भारतीय सभ्यता की पहचान को मजबूती दी। 2014 में अलग से आयुष मंत्रालय बनाकर स्वास्थ्य सेवाओं में आयुर्वेद के साथ योग और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को एकीकृत करने की पहल की। भारत के इन प्रयासों के कारण ही दुनिया में 21 जून 2015 से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का ही परिणाम है कि भारत की प्राचीनतम और समृद्ध परंपरा के रूप में योग रोगों से बचाव का साधन बना और दुनिया को भी इस ताकत का अहसास हुआ। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थीं, वो आज विश्व के कोने–कोने से आ रही हैं। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है, क्योंकि योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है।

पिछले 12 वर्षों में देश ने औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति की दिशा में कई उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। चाहे अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में 'काशी विश्वनाथ कॉरिडोर' का निर्माण, उज्जैन में 'श्री महाकाल लोक' का निर्माण, नए संसद भवन का निर्माण हो, राजपथ का नाम बदलकर 'कर्तव्य पथ' रखने का कदम हो, इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करने का संकल्प हो, नए आपराधिक कानून लाने की प्रतिबद्धता हो, नए नौसेना ध्वज को अपनाने की दृष्टि हो, रेल बजट को वार्षिक बजट में समाहित करने का नवाचार हो, ब्रिटिश शासनकाल में प्रतिबंधित साहित्यिक कृतियों के पुनर्प्रकाशन की चेतना और बजट प्रस्तुति में पारंपरिक 'बही–खाता' के प्रयोग जैसे अभिनव कदम हों, इस सब कदमों से भारत की सांस्कृतिक चेतना को नई पहचान मिली है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार ने कई साहसिक निर्णय लिए। सुरक्षा के मोर्चे पर भारत ने अपनी रक्षात्मक नीति

को त्यागकर 'आक्रामक–रक्षात्मक' नीति को अपनाया है। सितंबर 2016 में उरी सैन्य कैंप पर हमला हो, फरवरी 2019 में पुलवामा का कायरतापूर्ण आत्मघाती हमला हो या फिर पहलगाम और घाटी के अन्य क्षेत्रों में निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाकर देश की छवि धूमिल करने वाली आतंकी घटनाओ का मोदी सरकार ने करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना और वायुसेना को खुली छूट दी। भारतीय सेना ने न केवल नियंत्रण रेखा के पार जाकर आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स को ध्वस्त किया बल्कि पाकिस्तान के भीतर घुसकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर आतंकवाद की फैक्ट्रियों को तबाह कर दिया। 'ऑपरेशन सिंदूर' से हमारी सेना ने अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए वैश्विक पटल पर एक नए और सुदृढ़ भारत का शंखनाद किया है।

दशकों से कश्मीर को भारत से अलग रखने वाली और अलगाववाद की जननी 'अनुच्छेद 370' और '35 ए' को मोदी सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से समाप्त कर दिया। आज जम्मू–कश्मीर में पत्थरबाजी और बंदी का दौर पूरी तरह समाप्त हो चुका है। लाल चौक पर तिरंगा शान से लहराता है, रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक घाटी पहुँच रहे हैं और वहां जी–20 जैसी अंतर्राष्ट्रीय बैठकें सफलतापूर्वक आयोजित हो रही हैं।

आचार्य चाणक्य ने राष्ट्र की सुरक्षा के संदर्भ में कहा था, ''मजबूत सेना के बिना राष्ट्र सुरक्षित नहीं रह सकता।'' सेना में स्वदेशी रक्षा उत्पाद, रक्षा बजट में वृद्धि, सेना के आधुनिकीकरण के साथ–साथ आंतरिक सुरक्षा पर सफलता प्राप्त करना ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद 2014 में रक्षा विभाग का बजट 2.27 लाख की तुलना में तीन गुना बढ़कर 7.85 लाख करोड़ हो गया।

15 अगस्त 2025 को लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, ''स्वदेशी क्षमताओं, मेड इन इंडिया हथियारों ने सिद्ध किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा विदेशी निर्भरता पर नहीं टिक सकती.'' इसी का परिणाम रहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने 22 मिनट में ही सभी निर्धारित लक्ष्य पूर्ण कर किए थे।

आज हम 100 से अधिक देशों को अपने रक्षा उत्पाद बेच रहे हैं। अब हमारा निर्यात 2014 की तुलना में 686 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 38424 करोड़ का हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि रक्षा उत्पादों के निर्यात में 56 गुना की बढ़ोतरी हुई है। अब हम हाइपर सोनिक मिसाइल, ब्रह्मोस, बैलिस्टिक मिसाइल, एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को ध्वस्त करने वाले रुद्रम–2, प्रलय, आकाश एयर डिफेन्स मिसाइल बना रहे हैं। भारत का स्वदेशी आईएनएस विक्रांत, राफेल, एस–400 विमानों से युक्त है।

'मेक इन इंडिया' अभियान के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र को आयात पर निर्भरता से मुक्त कर निर्यात का केंद्र बनाया जा रहा है। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की 'मेक इन इंडिया' और रक्षा आत्मनिर्भरता की नीतियों के कारण आज भारत रक्षा उपकरणों के एक बड़े वैश्विक निर्माता के रूप में उभरा है। स्वदेशी तौर पर निर्मित आईएनएस विक्रांत (विमानवाहक पोत), तेजस लड़ाकू विमान, प्रचंड हेलीकॉप्टर, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, अत्याधुनिक स्वदेशी ड्रोन प्रणालियाँ और 'सुदर्शन' वायु रक्षा सुरक्षा कवच 'एस 400' की तर्ज पर विकसित भारत का अपना एयर डिफेंस सिस्टम जैसी तकनीकें देश के इसी वैज्ञानिक सामर्थ्य का जीवंत प्रमाण हैं। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत का रक्षा उत्पादन आज ₹1.25 लाख करोड़ से अधिक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच चुका है। वहीं, जो रक्षा निर्यात 2014 से पहले नगण्य था, वह वर्तमान में ₹23,000 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर को पार कर चुका है, जिसके तहत भारत आज दुनिया के 85 से अधिक मित्र देशों को 'मेड इन इंडिया' हथियार और सैन्य तकनीकें निर्यात कर रहा है।

सेना के तीनों अंगों (थलसेना, नौसेना और वायुसेना) के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए दशकों से लंबित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन किया गया। राफेल जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स को वायुसेना में शामिल किया गया, सैनिकों के लिए आधुनिक बुलेटप्रूफ जैकेट, नाइट–विजन उपकरण और असॉल्ट राइफलें देश में ही बनाई गईं। इसके अतिरिक्त, सैनिकों के सम्मान में 'वन रैंक वन पेंशन' को लागू कर पूर्ववर्ती सरकारों के 40 वर्ष पुराने वादे को पूरा किया गया।

एक समय था जब देश के एक बड़े हिस्से को 'रेड कॉरिडोर' – नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहा जाता था, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा था। मोदी सरकार ने एक तरफ सुरक्षा बलों को आधुनिक हथियारों से सुसज्जित कर खुली छूट दी, तो दूसरी तरफ प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों, स्कूलों और मोबाइल टावरों का जाल बिछाया। इस दोहरी रणनीति (सुरक्षा और विकास) के कारण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं गृहमंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से निर्धारित समयावधि में नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो चुका है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी दशकों पुराने उग्रवादी संगठनों ने हथियार डालकर मुख्यधारा में प्रवेश किया है।

घुसपैठिये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सुरक्षा के लिए खतरा और जनसांख्यिकी असंतुलन का निर्माण कर

रहे हैं. भारत सरकार ने इस संकट से उबरने के लिए 'डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट' नीति के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की है। सीमा की निगरानी को सख्त किया है. सीमा सुरक्षा का बजट 49 फीसद बढ़ाकर 5597 करोड़ निर्धारित किया गया है।

भारत आज सकारात्मक परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। शिक्षा, कौशल विकास, खेल, उद्यमिता और नवाचार, हर क्षेत्र में युवा इस बदलाव के सबसे सशक्त वाहक बनकर उभरे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब देश की चार प्रमुख शक्तियों – गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति की बात करते हैं, तो उसमें युवा शक्ति को विशेष स्थान प्राप्त है। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। 'अमृत पीढ़ी' के रूप में पहचाने जाने वाले ये युवा आज केवल भविष्य के सपने ही नहीं देख रहे, बल्कि विकसित भारत@ 2047 के सह–निर्माता बनकर उसकी मजबूत नींव रख रहे हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और इसकी बागडोर इन्हीं युवाओं के हाथ में है। रोजगार और उद्यमिता में भारत ने नई पहचान बनाई है। देश के युवा अब केवल नौकरी खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और मोबाइल निर्माण में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। डिजिटल इंडिया ने शासन को पारदर्शी और सुलभ बनाया है। आज भारत दुनिया में सबसे तेज रियल–टाइम डिजिटल भुगतान करने वाला देश बन चुका है। साथ ही, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

दरअसल, बीते 12 वर्षों में सेवा ही संकल्प और कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहने की सोच ने ही पुरानी धारणाओं को तोड़ विकास के नए पथ का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से बीते 12 वर्षों में अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने और सही अर्थों में आजादी का अहसास कराने की पहल हुई है, उसने पत्थर पर एक ऐसी लकीर खींच दी है जो आजादी के अमृत काल से शुरू होकर स्वर्णिम वर्ष तक की यात्रा में नए भारत की नई तकदीर लिखने वाली है। एक ऐसा नया भारत जो युवा शक्ति के सपनों को नई उड़ान दे रहा है, नारी शक्ति की आकांक्षाओं को पूरा कर रहा है, गरीबों के लिए आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को नई ऊंचाई मिल रही है।

अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़ रही है। बीते 12 वर्ष में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों के घर तक पहुंचा है। उज्ज्वला से लेकर आयुष्मान भारत तक की ताकत आज देश का हर गरीब जानता है। आज सरकारी योजनाओं की गति बढ़ी है, एवं निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा रहे हैं। पहले की तुलना में देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन यह सफर यहीं पूरा नहीं होता है। देश को पूर्णता तक जाना है। इसी संकल्प के साथ भारत ने अमृत काल की यात्रा प्रारंभ की है जहां शत–प्रतिशत गांवों में सड़कें हों, शत–प्रतिशत परिवारों के बैंक अकाउंट हो, शत–प्रतिशत पात्र जरूरतमंद के पास आयुष्मान भारत कार्ड हो, शत–प्रतिशत पात्र व्यक्तियों के पास उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो या आवास योजना हर उस व्यक्ति को इन योजनाओं से जोड़ना है जो इसके हकदार हैं। पटरी और फुटपाथ पर बैठकर सामान बेचने वालों को स्वनिधि योजना के जरिए बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। देश आज हर घर नल से जल मिशन को लेकर तेजी से काम कर रहा है। सर्वांगीण–सर्वसमावेशी सर्वस्पर्शी विकास की सोच से केंद्र सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि समाज की विकास यात्रा में कोई व्यक्ति, वर्ग न छूटे, कोई भू–भाग, देश का कोई कोना पीछे नहीं छूटना चाहिए। चाहे नारी शक्ति हो या युवा शक्ति, किसान हो या गरीब–वंचित, सोच केवल एक ही है– विकास सर्वांगीण होना चाहिए। देश के ऐसे क्षेत्रों को भी आगे लाने के लिए पिछले 12 वर्षों में प्रयास किए गए हैं। पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर, जम्मू–कश्मीर, लद्दाख सहित पूरा हिमालय क्षेत्र, तटवर्ती क्षेत्र, आदिवासी अंचल, भविष्य में भारत की विकास यात्रा के बहुत बड़े आधार बन रहे हैं। इन सभी के लिए सुशासन का ऐसा मंत्र हो जो बहुमत की बजाए सर्वसम्मति की सोच को बढ़ावा देता है और 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' जिसका ध्येय वाक्य बन चुका है। एक ऐसे भारत के निर्माण की ओर राष्ट्र बढ़ रहा है जहां गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता से मुक्ति मिले।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से लेकर कई मंचों पर ऐसे कामों की सूची गिना चुके हैं जो आजादी के शुरुआती वर्षों में ही हो जाने चाहिए थे। लेकिन उनके बारे में स्थायी समाधान की दीर्घकालिक सोच तब नहीं अपनाई गई। ऐसे में जो काम सात दशकों से लंबित या कहें कि अटके–लटके पड़े थे, उसे मौजूदा नेतृत्व में देश आज साकार होते हुए देख रहा है। अब देश को नियति के भरोसे नहीं बल्कि एक स्पष्ट सोच, दीर्घकालिक नीति और स्थायी समाधान के दृष्टिकोण से विकास की नई परंपराएं स्थापित हो रही

हैं। इससे उदीयमान नए भारत का निर्माण हो रहा है। बीते 12 वर्षों में भारत ने न केवल अपनी अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना किया है, बल्कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण तेज गति से विकास भी किया है। बीते 12 साल में रेल, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट, बिजली, पानी, गैस पाइपलाइन, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट करीब 6 गुना बढ़ाया गया है। आज देश में बहुत तेजी से मेगा प्रोजेक्ट पर काम हो रहे हैं। उत्तर में देखें तो जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज में से एक, चिनाब ब्रिज बना है। पश्चिम में देखें तो मुंबई में देश का सबसे लंबा सी–ब्रिज, अटल सेतु बना है। पूर्व में देखें तो असम के बोगीबील ब्रिज के दर्शन होंगे। दक्षिण में देखें तो दुनिया के गिने–चुने वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज में से एक, पंबन ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है। इसी तरह, ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी तैयार हो रहे हैं। देश की पहली बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है। वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें रेल नेटवर्क को और आधुनिक बना रही हैं। इस विकास के पीछे एक सोच है– जब भारत का प्रत्येक क्षेत्र आपस में जुड़ता है तो विकसित राष्ट्र बनाने का मार्ग मजबूत होता है।

केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने ठीक ही लिखा है कि मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का जो सपना देखा है, वह आत्मनिर्भरता, समावेशिता व सांस्कृतिक आत्मविश्वास पर आधारित है। हथकरघा विरासत और नवाचार को जोड़कर इस सपने को साकार कर रहा है। यह देश की स्त्रियों के नेतृत्व में विकास, उद्यमिता, आजीविका और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को बढ़ावा दे रहा है। देश के 35 लाख से अधिक बुनकरों व उनसे जुड़े कामगारों में से लगभग 72 प्रतिशत महिलाएं हैं। आज जब दुनिया प्रामाणिक, टिकाऊ व हाथ से बने उत्पादों की ओर मुड़ रही है, तब हमारे पास अग्रणी स्थान फिर से हासिल करने का ऐतिहासिक मौका है। हमारी हथकरघा क्रांति में वस्त्र ही नहीं, कारीगरी, विरासत, नवाचार और भरोसे का भी निर्यात होना चाहिए, ताकि हर उत्पाद 'ब्रांड इंडिया' की पहचान बने। पिछले दशक में सरकार ने कच्चा माल आपूर्ति योजना, 797 हथकरघा क्लस्टरों, 1.24 लाख से अधिक उन्नत करघों, लगभग 97,000 कारीगरों के कौशल विकास, जीआई टैग वाले उत्पादों, हैंडलूम मार्क, इंडिया हैंडमेड सर्टिफिकेशन, अर्बन हाट और डिजाइन रिसोर्स सेंटर जैसी पहल के जरिये इस क्षेत्र को सुदृढ़ किया है। आज 29 बुनकर सेवा केंद्र प्रशिक्षण, कौशल–उन्नयन, डिजाइन के विकास, कच्चे माल संबंधी सहायता और बाजार से जोड़ने जैसी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। वहीं, 11 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी' को सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि उन्नत प्रशिक्षण बढ़ाया जा सके व अधिक मूल्य वाले हथकरघा उत्पाद बनाए जा सकें।

मोदी सरकार की नीतियां केवल भौतिक विकास तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने सदियों से चली आ रही सामाजिक विसंगतियों को दूर कर देश की आधी आबादी को वास्तविक सम्मान और अधिकार दिया है। राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' मील का पत्थर साबित होगा। मुस्लिम महिलाओं को 'तीन तलाक' के क्रूर और अमानवीय चंगुल से कानूनी मुक्ति दिलाई गई। इस कानून ने न केवल महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार दिया, बल्कि उनके भीतर सामाजिक सुरक्षा का एक नया विश्वास जगाया। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', 'लखपति दीदी' योजना और सेना के सैनिक स्कूलों व राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के द्वार बेटियों के लिए खोलने जैसे कदमों ने यह सिद्ध कर दिया है कि नए भारत के विकास की वाहक अब देश की नारी शक्ति है।

श्रीमती वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार नरेंद्र मोदी के लिए महिलाओं की गरिमा और सम्मान, उन्हें सशक्त बनाने की पहली सीढ़ी रही है। महिला सशक्तिकरण उनके लिए कोई दान या एहसान नहीं है। इसका मतलब है, किसी महिला को यह विश्वास दिलाना कि उसे अपनी जिंदगी और अपना भविष्य खुद तय करने का पूरा अधिकार है। इसका मतलब देश–समाज में ऐसा माहौल बनाना है, जहां आत्मविश्वास से भरपूर एक लड़की जागरूक नागरिक बनकर आगे बढ़ सके। उन्होंने महिलाओं के लिए योजनाएं ही शुरू नहीं कीं, बल्कि देश के आर्थिक बदलाव के केंद्र में भी उन्हें रखा। प्रधानमंत्री जन–धन योजना के तहत पहली बार देश में करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खुले। आज जन–धन खातों में 56 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं। इसी तरह, मुद्रा योजना के लाभार्थियों में 68 प्रतिशत महिलाएं हैं। इस योजना के तहत लाखों स्त्रियों को बिना किसी गारंटी के कर्ज मिला, जबकि पहले महिलाओं को बैंक के दरवाजे से ही वापस लौटा दिया जाता था। एक महिला के लिए अपने नाम से बैंक खाता होना और जरूरत पड़ने पर कर्ज की सुविधा होना बहुत बड़ी ताकत है। बिना किसी से अनुमति लिए अपने आर्थिक फैसले खुद करने की क्षमता, आजादी का एक नया रूप है।

आज नवजात लड़कियों का लिंग अनुपात साल 2014–15 के 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं,

माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 75.51 प्रतिशत से बढ़कर 83.4 प्रतिशत हो गया है। अब बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का ध्यान लड़कियों की स्टेम क्षेत्रों, यानी विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग व गणित में भागीदारी बढ़ाने और उन क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देने पर भी है, जिनमें परंपरागत रूप से पुरुषों का वर्चस्व रहा है। इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने एक ऐसी कल्पना को साकार किया, जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सोचा था– 'नमो ड्रोन दीदी योजना'। इसके तहत देश के 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि ड्रोन दिए गए और गांव की महिलाओं को ड्रोन पायलट और उद्यमी बनाया जा रहा है। बैंक खाते से लेकर ड्रोन तक सिर्फ एक दशक में भारतीय महिलाओं ने काफी लंबी यात्रा तय की है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सशस्त्र सेनाओं में स्थायी कमीशन मिला। उन्हें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश मिला और युद्धक भूमिकाओं में भी शामिल किया गया। फाइटर जेट के कॉकपिट से लेकर लोकसभा तक, जो दरवाजे दशकों से बंद थे, अब खुल चुके हैं। उनके नेतृत्व में ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ, जिसमें लोकसभा व राज्य विधानसभाओं की एक–तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया।

भारत जैसे देश में प्रतीकों का बहुत महत्व है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रतीकवाद हमेशा वास्तविक उद्देश्य और काम से जुड़ा रहा है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 2020 पर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स कुछ समय के लिए सात ऐसी महिलाओं को सौंप दिए, जिन्होंने अपने–अपने क्षेत्रों में असाधारण काम किया था। आज माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई छोड़ने वाली लड़कियों की दर घटकर महज सात प्रतिशत रह गई है और वे लड़कों की तुलना में कम संख्या में स्कूल छोड़ती हैं। इसी तरह, प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के तहत स्वीकृत घरों में 97 प्रतिशत घर पूरी तरह या संयुक्त रूप से महिलाओं के नाम हैं। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट विश्वास है कि भारत तब तक वह राष्ट्र नहीं बन सकता, जैसा वह बनना चाहता है, जब तक कि उसकी महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए अवसर, सम्मान और स्वतंत्रता नहीं दी जाती।

इसी तरह 34 साल बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई जो ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर की ओर बढ़ते भारत के कदम का परिचायक है। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' भारत के युवा को सिर्फ साक्षर नहीं, बल्कि कुशल, आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बना रही है। भारत में उच्च शिक्षा का दायरा पिछले एक दशक में तेजी से बढ़ा है। शिक्षा को लेकर बढ़ी जागरूकता और सरकार के प्रयासों के चलते दाखिलों में हर वर्ग की हिस्सेदारी बढ़ी है। 2014 में जहां करीब 3.42 करोड़ विद्यार्थी नामांकित थे, वहीं 2023–24 में यह संख्या 4.5 करोड़ हो गई। इस दौरान कुल नामांकन में 31.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे माध्यमिक शिक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देने की परंपरागत सोच में भी बदलाव देखने को मिला है। शिक्षा मंत्रालय की फैक्टशीट के अनुसार, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) भी 2014 के 23.7 प्रतिशत से बढ़कर 2022–23 में 29.5 प्रतिशत और 2023–24 में 30 प्रतिशत हो गया। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआइएसएचई) के आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में सिर्फ विद्यार्थियों की संख्या ही नहीं बढ़ी, बल्कि उच्च शिक्षा का ढांचा भी विस्तृत हुआ। देश में विश्वविद्यालयों की संख्या 760 से बढ़कर 1,289 हो गई। इसी तरह कालेजों की संख्या 38,498 से बढ़कर 48,246 हो गई। 2014–15 में करीब 1.57 करोड़ छात्राएं उच्च शिक्षा में नामांकित थीं, जो 2023–24 में बढ़कर 2.24 करोड़ हो गई। यानी दस साल में 42.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका असर लैंगिक समानता सूचकांक (जीपीआइ) पर भी दिखा। उच्च शिक्षा में जीपीआइ 2014–15 के 0.92 से बढ़कर 2023–24 में 1.08 हो गया। एक से अधिक जीपीआइ का मतलब है कि महिला नामांकन पुरुषों की तुलना में अधिक है। अनुसूचित जाति में यह सूचकांक 0.91 से बढ़कर 1.11 और अनुसूचित जनजाति में 0.81 से बढ़कर 1.08 हो गया। इस वर्ग के विद्यार्थियों की हिस्सेदारी 13.44 से बढ़कर 15.5 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति की 4.8 प्रतिशत से बढ़कर 6.4 प्रतिशत हो गई। ओबीसी विद्यार्थियों की हिस्सेदारी 32.8 प्रतिशत से बढ़कर 40.1 प्रतिशत हो गई।

भारत उन चंद देशों में शुमार है, जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी नीतियों को बनाने में सबसे आगे हैं। कई क्षेत्र जिनमें टेक्नोलॉजी का व्यापक प्रभाव पड़ा है। तकनीक से पारदर्शिता के नए अध्याय की शुरुआत हुई है। आज भारत के ग्रामीण इलाकों में शहरों से अधिक इंटरनेट डेटा की खपत हो रही है। कोविड काल में यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म को नई गति मिलने से डिजिटल लेनदेन को लोगों ने संस्कृति बना लिया। ई–कॉमर्स के माध्यम से व्यापक बाजार की उपलब्धता बढ़ी है। तकनीक की वजह से ही आज शत–प्रतिशत लाभ लाभार्थियों तक पहुंच रहा है, जबकि पहले कहा जाता था कि एक रुपये में से गांव तक सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। डिजिटल तकनीक का उपयोग करके मोदी सरकार ने देश से भ्रष्टाचार की जड़ों पर प्रहार किया है और व्यवस्था को

पूरी तरह बदल दिया है। योजनाओं का क्रियान्वयन हो या निगरानी, तकनीक गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति की शक्ति प्रदान कर रही है। आईटी–फेसलेस असेसमेंट जैसी सुविधाओं ने क्रांतिकारी बदलाव किए हैं तो ई–ऑफिस जैसी पहल ने प्रशासन की गति को तेज किया है। गांवों में पोस्टल बैंक, स्कूलों में अटल इनोवेशन मिशन से नई संस्कृति की शुरुआत हुई। एक समय भारत में नौकरी मांगने वाली सोच थी, लेकिन पीएम मोदी ने इसे बदलकर नौकरी देने वाला बनाया। स्टार्टअप और मुद्रा की सहूलियत से आज युवा नई उड़ान भर रहे हैं। भारत में पहले स्टार्टअप शब्द गिने–चुने लोग ही समझते थे, लेकिन आज गांव तक युवा इसे समझ रहा है और अब यूनीकॉर्न बनने की दिशा में बढ़ रहा है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप ईको–सिस्टम बन गया है।

आज जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन और डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, तब कौशल विकास केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास की अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। सुखद है कि भारत न सिर्फ इसे समझ रहा है, बल्कि अपने युवा हाथों को कौशल से लैस करने के लिए गंभीर प्रयास भी कर रहा है। भारत की लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। इसको देश की सबसे बड़ी शक्ति बनाया जा सकता है। इसके लिए युवाओं को समयानुकूल कौशल मुहैया कराना होगा। इसी कारण भारत सरकार ने कौशल भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, जन शिक्षण संस्थान, आईटीआई और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना जैसी अनेक पहलें शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित करना है। आज ड्रोन तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, हरित ऊर्जा, रोबोटिक्स और डेटा विश्लेषण जैसे नए क्षेत्रों में प्रशिक्षित मानव संसाधन की मांग तेजी से बढ़ रही है। इन सबसे विश्व स्तर पर भारत के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। आंकड़ों की मानें, तो यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी के देशों सहित कई राष्ट्रों में प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों, तकनीशियनों, इंजीनियरों और सेवा क्षेत्र के कर्मियों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में, यदि भारत अपने युवाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षित करे और भाषा व संचार कौशल पर ध्यान दे, जो वह कर भी रहा है, तो वह वैश्विक कार्यबल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन सकता है। इससे रोजगार बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा अर्जित होगी और भारत की आर्थिक शक्ति मजबूत होगी। जाहिर है, केवल डिग्री को नहीं, बल्कि कौशल, नवाचार और उद्यमिता को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने की जरूरत है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में व्यावहारिक प्रशिक्षण, उद्योगों के साथ साझेदारी, इंटर्नशिप और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। कौशल विकास को सामाजिक सम्मान भी मिलना चाहिए, ताकि युवा स्वयं रोजगार सृजित करने के लिए प्रेरित हों। केंद्र सरकार इस दिशा में लगातार सक्रिय है। वह जानती है कि आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद कुशल व दक्ष युवा हाथ ही हैं।

आज की भारतीय विदेश नीति किसी गुटनिरपेक्षता के भ्रम में जीने के बजाय 'इंडिया फस्ट' (भारत प्रथम) के सिद्धांत पर चलती है। रूस–यूक्रेन संघर्ष के दौरान जब पश्चिमी देशों ने भारत पर रूस से तेल न खरीदने का भारी दबाव बनाया, तब भारत ने स्पष्ट रूप से अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा और नागरिकों के लिए सस्ता तेल आयात करना जारी रखा। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान और उसके समर्थकों को अलग–थलग कर दिया है। आज भारत की सहमति के बिना वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा निर्णय नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनेक देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुए हैं, जो वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा के प्रतीक हैं।

बीते 12 वर्षों में भारत का मान दुनिया में बढ़ा है और भारत एक भरोसेमंद लीडर के तौर पर उभरा है। रूस–यूक्रेन युद्ध के संकट काल में ऑपरेशन गंगा, ग्लासगो में कॉप–26 और शर्म–अल–शेख में कॉप 27 की बैठक में विकासशील देशों की मुखर आवाज बनकर उभरा भारत, संयुक्त राष्ट्र, बिम्सटेक, जी–20 जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की तरफ दुनिया की निगाह, इसकी मिसाल है। जी–20 की अध्यक्षता करते हुए भारत ने दुनिया को नई राह दिखाई है और विश्व को भारत की संस्कृति के साथ–साथ सामर्थ्य की भी अनुभूति कराई है। पर्यावरण के क्षेत्र में मिशन लाइफ और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहल ने दुनिया को प्रकृति व वन्यजीवन के साथ समन्वय का मार्ग दिखाया है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ संकट की घड़ी में पड़ोसी और दुनिया के अन्य देशों के साथ भारत पहला मददगार राष्ट्र बना है तो कोविड काल में दुनिया के लिए औषधि का केंद्र बना था। बीते 12 वर्षों में भारत ने वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वहीं देश के भीतर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर ऐसा माहौल बना है कि आम नागरिक केंद्र सरकार की योजनाओं में सहभागी बनकर विकास का भागीदार बन गया है।

निश्चित रूप से युगदृष्टा और साहसिक सुधारवाद के प्रणेता के तौर पर उभरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'नए विश्वास के साथ नई शुरुआत' के प्रतीक बन चुके हैं। एक सुरक्षित, समृद्ध और प्रगतिशील भारत के निर्माण की पहल 'नया भारत, विकसित भारत' का विजन है। बीते 12 वर्ष में केंद्र सरकार के संकल्पों को आज प्रत्येक भारतवासी साकार होते देख रहा है।

श्री पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुसार सुधारों की प्रक्रिया के पीछे प्रधानमंत्री का यही दृष्टिकोण है कि 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं औपनिवेशिक काल के तौर–तरीकों से पूरी नहीं होंगी। भारत की नियामकीय प्रणाली हमेशा दुविधा की मानसिकता के साथ काम करती थी और अक्सर छोटी प्रक्रियागत त्रुटियों या केवल आरोपों के कारण नागरिकों को कड़े दुष्परिणाम भुगतने पड़ते थे। मोदी सरकार ने प्रत्येक नागरिक के लिए विश्वास, सहानुभूति और सम्मान में निहित शासन को बढ़ावा देते हुए एक महत्त्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकों और व्यवसायों का समर्थन करने, अनुपालन को सरल बनाने और व्यवसायों के समक्ष व्यावहारिक कठिनाइयों का संज्ञान लेते हुए भारत के कानूनी परिदृश्य में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चाहे अनुपालन बोझ घटाना हो, डिजिटलीकरण बढ़ाना हो, या एकल–खिड़की मंजूरी हो, कुल मिलाकर बदलाव का मकसद शासन को अधिक तर्कसंगत और कुशल बनाना रहा है।

प्रधानमंत्री का शासन का मंत्र विश्वास और सहानुभूति पर आधारित है। स्पष्ट रूप से जन विश्वास अधिनियम, 2026 और 2023 के इसी तरह के एक कानून में दिखाई देता है। नागरिक–अनुकूल नियामकीय परिवेश बनाने और अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए नया कानून मामूली अपराधों से निपटने के लिए स्पष्ट सिद्धांत अपनाता है: दंड से पहले चेतावनी देना, अपराध की गंभीरता के अनुसार जुर्माना तय करना, त्वरित एवं पारदर्शी समाधान और जुर्माने का एक गतिशील ढांचा, जिसमें समय–समय पर संशोधन होता हो, ताकि नियम लागू करने का तरीका प्रभावी, प्रासंगिक और समय के साथ उत्तरदायी बना रहे। यह दृष्टिकोण, अनुपालन और प्रवर्तन के तरीके में एक बड़ा बदलाव है, जो प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण के अनुरूप है कि 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं औपनिवेशिक शासन के पुराने तरीकों के माध्यम से पूरी नहीं हो सकतीं। इस सुधार का पैमाना अभूतपूर्व है। जन विश्वास अधिनियम 23 मंत्रालयों के 79 केंद्रीय कानूनों से जुड़े 784 प्रविधानों को संशोधित करता है। यह लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए 717 प्रविधानों को अपराधमुक्त करता है और 67 प्रविधानों को तर्कसंगत बनाता है। यह स्वतंत्र भारत के विधायी इतिहास में सबसे बड़ी अपराधमुक्ति पहल है। यह 1000 से अधिक अपराधों को तर्कसंगत बनाता है। पुराने अप्रचलित अपराधों को समाप्त कर आपराधिक न्यायालयों के बाहर निर्णय और अपील की व्यवस्था को मजबूत करता है। पूर्व की व्यवस्था में किसी घर, इमारत या वाहन में सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच उपस्थिति को लेकर संतोषजनक जवाब न देने पर किसी व्यक्ति को तीन महीने तक की जेल हो सकती थी। औपनिवेशिक काल में सामान्य आवाजाही को संदेह की दृष्टि से देखे जाने वाले इस प्रविधान को समाप्त कर दिया गया है। पहले किसी के ड्राइविंग लाइसेंस की समयसीमा समाप्त होने के तुरंत बाद गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर उसे अपराध की दृष्टि से देखा जाता था। नए कानून में इस मोर्चे पर 30 दिन की छूट अवधि दी गई है। इसी क्रम में अप्रेंटिसशिप अधिनियम के तहत पंजीकरण का विवरण अद्यतन न कर पाना पहले आपराधिक कृत्य था, पर अब केवल नियमों की बार–बार अवहेलना पर ही सख्त कार्रवाई होगी। पहले किसी खनन कंपनी की दस्तावेजीकरण प्रक्रिया में चूक के कारण जेल तक हो सकती थी, लेकिन अब जुर्माना ही पर्याप्त है।

इस संदर्भ में जन विश्वास कानून वस्तुतः समस्त नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के पीएम मोदी के प्रयासों का ही प्रतीक है। भारत ने 2023 में पहले 42 अधिनियमों अपराध की श्रेणी से 183 प्रविधानों से बाहर कर था। इस प्रयास ने दिखाया कि नियमों को लागू करने की प्रक्रिया को कमजोर किए बिना गैर–अपराधीकरण से शासन में सुधार संभव है। 2026 का कानून इस प्रक्रिया को लगभग चार गुना बढ़ाता है, जो यह संकेत है कि यह कोई एक बार की गई पहल नहीं है, बल्कि सुधार की दिशा में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समग्रता में देखें तो कम गंभीरता वाले आपराधिक प्रविधानों की जगह प्रशासनिक और मौद्रिक व्यवस्थाएं लाना, न सिर्फ आम नागरिक के लिए स्वागतयोग्य है, बल्कि छोटे व्यवसायों की भी मदद करता है। इससे प्रवर्तन एजेंसियां भी रोजमर्रा की तकनीकी गलतियों के बजाय गंभीर उल्लंघनों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। वहीं, अदालतें उन मामलों पर ध्यान दे सकती हैं जिनमें सचमुच न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

नियमों में सुगमता के लाभ अर्थव्यवस्था और निवेश के मोर्चे पर भी मिलते हैं। तेजी से प्रतिस्पर्धी होती वैश्विक अर्थव्यवस्था में नियमों की विश्वसनीयता बहुत मायने

रखती है। वर्षों तक मामूली गलतियों के लिए कानूनी शिकंजे का डर निवेश की राह में बड़ा अवरोध बना हुआ था, लेकिन अब नियमों को सुगम बनाने का परिणाम निवेश रुझानों में स्पष्ट दिखता है। देश में 2014 से 2025 के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) में 143 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो सिलसिला निरंतर तेज हो रहा है। स्पष्ट है कि इन कदमों का उद्देश्य भारत को निवेश और कारोबार के लिए अधिक भरोसेमंद और रुझान को और गति प्रदान करना है। ऐसे सुधारों से न्यायिक प्रणाली को भी गति मिलेगी। देश की विभिन्न अदालतों में लगभग 5.5 करोड मुकदमे लंबित हैं और इनमें एक बड़ी संख्या छोटे–मोटे उल्लंघनों की है जिन्हें अब अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। ऐसे मामलों को प्रशासनिक निर्णय के लिए भेजना सिर्फ एक कारोबारी सुधार नहीं, बल्कि न्यायिक सुधार भी है। इससे अदालतों को अपने सीमित समय और संसाधनों को गंभीर विवादों और न्याय से जुड़े अहम सवालों पर केंद्रित करने का मौका मिलता है। जहां सख्ती जरूरी है, वहां कानून पूरी तरह सख्त बना रहेगा। बदलाव सिर्फ दृष्टिकोण में आया है। शासन अब संदेह से विश्वास, अभियोजन से सुधार और भय से स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है।

लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार ए. सूर्यप्रकाश ने ठीक ही लिखा है कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी सक्षम नेतृत्वकर्ता सिद्ध हुए हैं। उनके नेतृत्व में बीते 12 वर्षों के दौरान भारत ने अद्भुत प्रगति की है। बुनियादी ढांचे से लेकर गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य देखभाल, उद्योग, कृषि, विदेश नीति, रक्षा और डिजिटल इंडिया हो या सामाजिक क्षेत्र में हासिल उपलब्धियां इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इन्हीं उपलब्धियों के दम पर वे भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही गरीब और हाशिए पर मौजूद वंचित वर्गों को अपनी प्राथमिकता बनाया और उनके उत्थान के लिए ऐसी योजनाएं बनाकर उन्हें धरातल पर उतारा, जिससे इन वर्गों के जीवन की गुणवत्ता सुधरी है। उनके नेतृत्व में की गईं कई पहल संविधान के भाग चार में उल्लिखित राज्य नीति के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत उन उद्देश्यों से ही प्रेरित हैं, जो कल्याणकारी राज्य बनाने और विशेष 'रूप से गरीबों के लिए जीवन को सुगम बनाने का प्रयास करती हैं।

प्रधानमंत्री जन धन योजना ने वित्तीय समावेशन में एक नई क्रांति ला दी है। जनधन में 56 प्रतिशत खाताधारक महिलाएं हैं। इसने देश की आधी आबादी के लिए वित्तीय स्वतंत्रता की राह प्रशस्त की है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गरीब परिवारों को शौचालयों के निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को सब्सिडी वाली रसोई गैस उपलब्ध कराना था। इस योजना के जरिये 10.5 करोड़ परिवार लाभार्थी बने हैं। हर घर नल का उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप से पानी की आपूर्ति करना है। अब तक 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 73 प्रतिशत के पास यह सुविधा पहुंचाई जा चुकी है। कोविड काल में संघर्ष कर रहे लोगों को सहारा देने के लिए आरंभ की गई मुफ्त राशन योजना भी 81 करोड़ लोगों का सहारा बन चुकी है। इस योजना ने मुश्किल वक्त में गरीबों के समक्ष चुनौतियों को विकराल नहीं होने दिया। इन सभी योजनाओं का मर्म समझें तो इनकी संकल्पना कहीं न कहीं महिलाओं की मुश्किलों को ध्यान में रखकर की गई। सरकार ने विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीटों के आरक्षण के लिए कानून को आगे बढ़ाने की भली मंशा दिखाने के साथ ही सशस्त्र बलों में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया है। महिलाओं के मुद्दों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता का सबसे अच्छा उदाहरण 2017 में मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन और महिलाओं के लिए पहले दो बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का निर्णय रहा है। यह प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं की रोजगार और और वेतन की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में यह कहना सर्वथा उचित होगा कि महिलाओं का सशक्तिकरण मोदी सरकार की नीतियों का आधार रहा है।

इन योजनाओं को व्यापक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अनुशंसाओं से प्रेरित हैं। जैसे कि संविधान का अनुच्छेद 42 उचित और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 43 एक निर्वाह योग्य पारिश्रमिक और सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। वहीं, अनुच्छेद 47 राज्य को सभी नागरिकों के लिए विशेष रूप से पोषण के अपेक्षित स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का स्पष्ट निर्देश देता है। इसलिए, चाहे 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की आपूर्ति हो, गरीबों और बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा, महिलाओं के लिए छह महीने का मातृत्व अवकाश, घरों में शौचालयों के निर्माण के लिए सब्सिडी या जन धन योजना हो, ये सभी संविधान द्वारा सुझाई गई राह के अनुरूप ही हैं।

सेंटर फार द स्टडी आफ सोसायटी एंड पालिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक डॉ. ए.के. वर्मा ने ठीक ही लिखा है कि देश–विरोधी शक्तियों पर लगाम लगती दिख रही है। भारत का बढ़ता प्रभाव, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता तथा वैश्विक कूटनीतिक मंचों पर भारत की प्रभावी भूमिका इसका संकेत है। काफी समय बाद वैश्विक कूटनीतिक चौसर पर भारत एक चतुर 'प्रो–एक्टिव' खिलाड़ी के रूप में उभरा है। उनकी सफलता का रहस्य समावेशी राजनीति में उनका अटूट विश्वास है, जो उन्हें राष्ट्र प्रथम और विकसित भारत के विराट लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने की सामर्थ्य प्रदान करता है। मोदी जी अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धियों पर भी असंतुष्ट रहते हैं तथा वे स्वयं अनुस्पर्धा, आशा और आत्मविश्वास का अद्भुत संगम हैं। उन्होंने अपनी समावेशी राजनीति को स्थानीय से वैश्विक स्तर तक विस्तार दिया है। उनकी समावेशी राजनीति त्रिस्तरीय है। प्रथम, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने हमेशा 140 करोड़ देशवासियों की बात की है। स्वयं को सदैव 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया है। द्वितीय सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के संकल्प को हकीकत बनाया है। उन्होंने समाज को परिवार मान उसके मुखिया के रूप में लगातार प्रतिमाह जनता से अपने मन की बात की है। परिणामस्वरूप चुनाव–दर–चुनाव उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलता रहा है। इसी से उन्होंने जातिवादी राजनीति को दरकिनार कर वर्ग–राजनीति की आधारशिला रखी है। महिला, किसान, युवा और गरीब–शोषित–वंचित वर्ग को लक्ष्य कर विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाया है। तृतीय, वैश्विक स्तर पर भी मोदी ने समावेशी राजनीति की है। सबको मिलाया है, सबकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, सबकी मदद की है और वैश्विक परिवार मानकर सबके यहां गए हैं। 2023 में जी–20 सम्मलेन में उन्होंने न केवल 'अफ्रीकी संघ' को स्थायी प्रतिनिधित्व देकर अफ्रीकी महाद्वीप का समावेशन किया, वरन 'वसुधैव–कुटुंबकम' को सम्मलेन की 'थीम' रख भारतीय संस्कृति के समावेशी सनातन मूल्य 'विश्व–एक–परिवार' की पुनर्स्थापना भी की। मोदी जी आज डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और शी चिनफिंग से एक–साथ बात कर सकते हैं। वे इजरायल और अरब देशों, दोनों से बात कर सकते हैं। वे रूस और यूक्रेन दोनों के संपर्क में हैं। उन्होंने भारत को एक 'विश्वसनीय शक्ति' के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने विश्व–समुदाय का दिल जीता है, जिससे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस समेत कई देशों ने मोदी को अपने देश के प्रतिष्ठित एवं सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है, जो भारत के सनातन मूल्य की स्वीकारोक्ति है। इस प्रकार मोदी ने 'वसुधैव कुटुबंकम' के कुशल प्रयोग से भारतीय जनता और विश्व समुदाय का भी दिल जीता है।

श्री संजय कुमार भारद्वाज, प्रोफेसर, जेएनयू ने ठीक ही लिखा है कि भारत की बहुपक्षवाद नीति अचानक नहीं बनी। पिछले कुछ वर्षों के संकटों ने इसकी जरूरत को और स्पष्ट किया है। भारत को ऊर्जा के लिए दुनिया की जरूरत है, कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों के लिए साझेदार चाहिए, वैश्विक बाजारों तक भी पहुंच चाहिए और अलग–अलग क्षेत्रों में सुरक्षा सहयोग भी चाहिए। ऐसी स्थिति में किसी एक शक्ति के साथ बहुत गहरे जुड़ाव की कीमत बढ़ जाती है। यदि एक देश से ऊर्जा, दूसरे से तकनीक, तीसरे से निवेश और चौथे से बाजार मिलता है, तो विदेश नीति को इन सभी को साथ में लेकर चलना होगा। इसी कारण भारत का बहुपक्षवाद सिर्फ आदर्शवादी विचार नहीं है। यह उसकी वास्तविक आर्थिक और रणनीतिक जरूरतों से जुड़ा हुआ हुआ है। दूसरी ओर, एक ही देश या क्षेत्र पर निर्भरता भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए भारत का रास्ता विविधीकरण का है। अपनी घरेलू क्षमता बढ़ाने के साथ यह अलग–अलग देशों व संस्थाओं से अपने संबंध मजबूत करने को महत्व दे रहा है। भारत की विदेश नीति में आए परिवर्तन को गुटनिरपेक्षता की अवधारणा के पूर्ण त्याग के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे उन साधनों में बदलाव के रूप में समझा जाना चाहिए, जिनके जरिये रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त की जाती है। जहां पहले गुटनिरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य दो गुटों से दूरी बनाए रखना था, वहीं वर्तमान भारतीय नीति बहुस्तरीय सहभागिता के माध्यम से कार्य करती है और 'सॉफ्ट बैलेंसिंग' की दिशा में अग्रसर है। भारत संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, इब्सा, एससीओ, क्वाड और आई2यू2 जैसे संस्थानों एवं समूहों से जुड़कर व्यावहारिकता का अनुसरण करता है। क्वाड संतुलन साधने की एक सावधान रणनीति का उदाहरण पेश करता है। यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने तटस्थता और रणनीतिक अवसरवाद, दोनों का लाभ उठाया। क्वाड, ब्रिक्स, एससीओ और जी–20 यह दर्शाते हैं कि भारत की विदेश नीति द्विपक्षीय महत्वाकांक्षाओं से आगे बढ़कर नेटवर्क आधारित स्वायत्तता की ओर अग्रसर हुई है।

प्रो. गौरव वल्लभ, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य ने ठीक ही लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश में बसे भारतीयों को केवल प्रवासी समाज नहीं, बल्कि भारत की सभ्यतागत शक्ति का विस्तार माना है। स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश

नीति की प्राथमिकताएं राष्ट्र निर्माण, गुटनिरपेक्षता और नव स्वतंत्र देशों के साथ संबंधों पर केंद्रित थीं। उनसे सांस्कृतिक संबंध बने रहे, लेकिन संस्थागत प्राथमिकता सीमित रही। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत किसी से उसकी नागरिकता या राष्ट्रीय निष्ठा बदलने की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि इतना चाहता है कि वे अपने देश के आदर्श नागरिक बने रहकर भी अपनी भारतीय सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहें। यही भारत की नई विदेश नीति का सबसे बड़ा परिवर्तन है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रवासी भारतीयों के हितों में कई कदम उठाए गए हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन जीवंत हुए हैं। ओवरसीज सिटिजन आफ इंडिया यानी ओसीआइ व्यवस्था को अधिक सुगम बनाया गया और गिरमिट देशों के साथ उच्चस्तरीय संवाद बढ़ा। फोरम फार इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स को–आपरेशन, वैक्सीन मैत्री, मिशन सागर, जल सार्वजनिक एंबुलेंस, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य सहयोग, क्षमता निर्माण और जलवायु साझेदारी ने छोटे द्वीपीय देशों के साथ भारत के संबंधों को नई ऊंचाई दी है। कोविड–19 के दौरान भारत इन तमाम देशों में सबसे पहले सहायता पहुंचाने वाले देशों में था। इससे यह संदेश गया कि भारत कठिन समय में भी अपने मित्रों और भारतवंशियों के साथ खड़ा रहता है।

यह परिवर्तन केवल विकास और सहयोग तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक गहरी रणनीतिक सोच भी है। मारीशस, सेशेल्स, फिजी, गुयाना, सूरीनाम और अन्य देश आज हिंद–प्रशांत क्षेत्र की बदलती भू–राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, ब्लू इकोनमी, समुद्री संसाधनों का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं और बहुपक्षीय संस्थाओं में सहयोग के मोर्चे पर इन देशों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। भारत की वर्तमान विदेश नीति ने समय रहते इस महत्व को पहचाना और इन देशों के साथ अपने संबंधों को केवल सांस्कृतिक नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया। आंज कई देशों में भारतीय आगमन दिवस तथा गिरमिट स्मृतिं दिवस राष्ट्रीय सम्मान के साथ मनाए जाते हैं। जिन लोगों को कभी अपमानित किया गया था, आज उनके सम्मान में राष्ट्रीय समारोह आयोजित होते हैं। यह भारत की सांस्कृतिक शक्ति की असाधारण यात्रा का ही प्रमाण है।

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

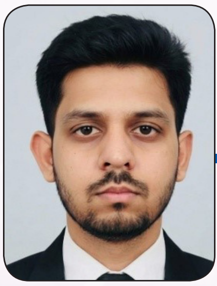

श्रम का उद्देश्य

शाहनवाज अहमद*

श्रम वही है, जो धरती को उपजाऊ बनाता है,
जो खेतों में बीज बोकर अन्न उगाता है।
श्रमिक का पसीना ही है,
जो हमें रोटी, कपड़ा और आश्रय देता है।।
कारखाने का शोर, सड़क पर निर्माण,
या घर–घर तक दूध और सब्जी पहुँचाना है।
हर श्रमिक का परिश्रम
समाज की साँसों को चलाता है।।

श्रम का उद्देश्य केवल जीवनयापन नहीं,
बल्कि समाज का निर्माण है।
हर ईंट जो मजदूर लगाता है,
वह सिर्फ दीवार नहीं,
एक घर, एक सपना, एक आश्रय खड़ा करता है।।

श्रम सिखाता है कि
बिना परिश्रम कोई फल नहीं।
पढ़ाई करने वाला छात्र भी एक श्रमिक है,
किसान, मजदूर, शिक्षक, डॉक्टर,
सब श्रम के अलग–अलग रूप हैं।।

श्रम का असली अर्थ है,
कर्तव्य, आत्मनिर्भरता और सृजन।
जब हम परिश्रम करते हैं,
तो हम अपने अस्तित्व को ही नहीं,
दूसरों के जीवन को भी संवारते हैं।।

इसलिए सर्वोत्तम श्रम वही है,
जो न केवल अपने लिए हो,
बल्कि समाज और मानवता के लिए भी हो।
श्रम ही वह साधना है,
जिससे जीवन का वास्तविक अर्थ प्रकट होता है।।

* रिसर्च एसोसिएट, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा

फीफा फुटबॉल विश्व कप: अजब–गजब तथ्य

बीरेन्द्र सिंह रावत*

फुटबॉल पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय खेल है। फुटबॉल से संबंधित खेलों यथा फुटबॉल, बीच सॉकर और फुटसल के लिए फीफा (फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन) एक अंतर्राष्ट्रीय स्व–नियामक शासी निकाय है। फीफा के सदस्य संघों की राष्ट्रीय टीमों के बीच हर चार साल में फुटबॉल चैम्पियनशिप, जिसे फीफा विश्व कप के नाम से जाना जाता है, का आयोजन किया जाता है। 23वें फीफा विश्व कप का आयोजन 11 जून 2026 से 19 जुलाई 2026 तक तीन देशों नामतः मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की संयुक्त मेजबानी में किया गया। इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से 16 शहरों ने की – अमेरिका में 11, मैक्सिको में 3 और कनाडा में दो। विश्व कप शुरू होने से पहले ही इसके साथ कई 'प्रथम' जुड़ गए। पहली बार यह टूर्नामेंट तीन देशों द्वारा आयोजित किया गया पहला फीफा विश्व कप था और इसमें विश्व भर की 48 टीमों ने प्रतिभागिता की, जो पहले के 32–टीम वाले फॉर्मेट से ज्यादा थीं। 2002 के बाद 2026 का टूर्नामेंट एक से ज्यादा देशों द्वारा आयोजित दूसरा विश्व कप था। मैक्सिको तीन बार विश्व कप की मेजबानी करने वाला पहला देश बन गया, क्योंकि उसने 1970 और 1986 के टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। अमेरिका ने दूसरी बार विश्व कप की मेजबानी की, अमेरिका ने इससे पहले 1994 में विश्व कप की मेजबानी की थी, जबकि कनाडा के लिए यह टूर्नामेंट की मेजबानी करने का पहला मौका था। कतर में हुए 2022 विश्व कप के बाद यह टूर्नामेंट अपने पारंपरिक जून–जुलाई की अवधि में वापस आ गया, 2022 का विश्व कप कतर की भीषण गर्मी से बचने के लिए नवंबर और दिसंबर में आयोजित किया गया था। कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका मेजबान के तौर पर अपने आप क्वालिफाई कर गए, जबकि केप वर्डे, कुराकाओ, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान ने विश्व कप में अपना डेब्यू (पहली बार भाग लेना) किया। 19 जुलाई 2026 को हुए फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1–0 से हराकर दूसरी बार विश्व कप अपने नाम किया।

फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय संघों के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की देखरेख के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है और अब इसमें 211 राष्ट्रीय संघ शामिल हैं। इन राष्ट्रीय संघों को छह क्षेत्रीय परिसंघों में से किसी एक का सदस्य भी होना जरूरी है: कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल (सीएएफ); एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन (एएफसी); यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस (यूईएफए); कॉन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ, सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन एसोसिएशन फुटबॉल (सीओएनसीएसीएएफ); ओशिनिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन (ओएफसी); और साउथ अमेरिकन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन (सीओएनएमईबीओएल)।

फीफा विश्व कप पहली बार 1930 में आयोजित किया गया था, जब विश्व फुटबॉल शासी निकाय 'फीफा' ने अपने अध्यक्ष जूल्स रिमेट के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करने का निर्णय लिया। रिमेट, जो 1921 से 1954 तक फीफा के अध्यक्ष रहे, फीफा के विचार को साकार करने के लिए इतने प्रशंसित हुए कि 1946 में ट्रॉफी का नाम विश्व कप ट्रॉफी के बजाय जूल्स रिमेट कप रखा गया। 1930 में आयोजित उद्घाटन संस्करण में संगठन द्वारा आमंत्रित केवल तेरह टीमों के बीच फाइनल टूर्नामेंट खेला गया था। तब से, विश्व कप का लगातार विस्तार और प्रारूप में परिवर्तन होता रहा है, और वर्तमान में 48 टीमों का फाइनल टूर्नामेंट दो साल की क्वालीफाइंग प्रक्रिया के बाद होता है जिसमें दुनिया भर की 200 से अधिक टीमें भाग लेती हैं।

फीफा खेलों की एक नियामक संस्था है जो दुनिया भर में एसोसिएशन फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करती है। फीफा अपने संगठनात्मक नियमों में कई लक्ष्य तय करती है, जिनमें खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाना, इसे सभी के लिए सुलभ बनाना और ईमानदारी व निष्पक्ष खेल (फेयर प्ले) को बढ़ावा देना शामिल हैं। यह एसोसिएशन फुटबॉल के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है, खासकर विश्व कप (जो

* वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा

1930 में शुरू हुआ) और महिला विश्व कप (जो 1991 में शुरू हुआ)। हालाँकि फीफा अकेले खेल के नियम तय नहीं करती– यह जिम्मेदारी 'इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड' की है, जिसका फीफा एक सदस्य है– लेकिन यह सभी फीफा प्रतियोगिताओं में नियमों को लागू करती है और उनका पालन करवाती है। सभी फीफा टूर्नामेंट प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) से राजस्व कमाते हैं।

टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार, प्रतियोगिता के समय फीफा पुरुष विश्व रैंकिंग की शीर्ष चार टीमें (अर्जेंटीना, स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड) सेमीफाइनल में पहुँचीं। स्पेन ने मौजूदा चैम्पियन अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल अतिरिक्त समय के बाद 1–0 से जीता, जिससे उसने अपना दूसरा और 2010 के बाद पहला खिताब हासिल किया। स्पेन ने पुरुषों और महिलाओं दोनों विश्व कप में मौजूदा चैम्पियन बनने वाला पहला देश बनकर और टूर्नामेंट के दौरान केवल एक गोल खाकर विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बनकर इतिहास भी रचा। फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने टूर्नामेंट के दौरान सबसे ज्यादा गोल करने के लिए लगातार दूसरी बार गोल्डन बूट जीता। वह विश्व कप में अब तक के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी और एक से ज्यादा विश्व कप में गोल्डन बूट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। टूर्नामेंट में प्रति मैच गोल की औसत संख्या 2.96 थी, जो 1970 के टूर्नामेंट के बाद सबसे ज्यादा है।

स्पेन के कप्तान रोड्री ने टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पर गोल्डन बॉल जीती। स्पेन के उनाई सिमोन ने टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के तौर पर गोल्डन ग्लव जीता, जबकि स्पेन के ही पाउ कुबारसी ने टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का अवॉर्ड जीता। टूर्नामेंट के दौरान लगभग 70 लाख लोगों ने मैच देखे, जिससे 1994 के टूर्नामेंट का रिकॉर्ड टूट गया और विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा दर्शकों की उपस्थिति का नया रिकॉर्ड बना। खबरों के मुताबिक, 2026 विश्व कप से रिकॉर्ड 15 अरब डॉलर की कमाई हुई।

फीफा विश्व कप विजेताओं की सूची

वर्ष	विजेता	स्कोर	उप विजेता	आयोजक देश	वर्ष	विजेता	स्कोर	उप विजेता	आयोजक देश
1930	उरुग्वे	4–2	अर्जेंटीना	उरुग्वे	1934	इटली	2–1	चेकोस्लोवाकिया	इटली
1938	इटली	4–2	हंगरी	फ्रांस	1950	उरुग्वे	2–1	ब्राजील	ब्राजील
1954	प. जर्मनी	3–2	हंगरी	स्विट्जरलैंड	1958	ब्राजील	5–2	स्वीडन	स्वीडन
1962	ब्राजील	3–1	चेकोस्लोवाकिया	चिली	1966	इंग्लैंड	4–2	पश्चिम जर्मनी	इंग्लैंड
1970	ब्राजील	4–1	इटली	मैक्सिको	1974	प. जर्मनी	2–1	नीदरलैंड्स	प. जर्मनी
1978	अर्जेंटीना	3–1	नीदरलैंड्स	अर्जेंटीना	1982	इटली	3–1	पश्चिम जर्मनी	स्पेन
1986	अर्जेंटीना	3–2	पश्चिम जर्मनी	मैक्सिको	1990	प. जर्मनी	1–0	अर्जेंटीना	इटली
1994	ब्राजील	3–2	इटली	अमेरिका	1998	फ्रांस	3–0	ब्राजील	फ्रांस
2002	ब्राजील	2–0	जर्मनी	जापान	2006	इटली	5–3	फ्रांस	जर्मनी
2010	स्पेन	1–0	नीदरलैंड्स	द. अफ्रीका	2014	जर्मनी	1–0	अर्जेंटीना	ब्राजील
2018	फ्रांस	4–2	क्रोशिया	रूस	2022	अर्जेंटीना	4–2	फ्रांस	कतर
2026	स्पेन	1–0	अर्जेंटीना	अमेरिका					

प. जर्मनी – पश्चिम जर्मनी; द. अफ्रीका – दक्षिण अफ्रीका

ऊपर दी गई सारणी से पता चलता है कि उरुग्वे (1930), इटली (1934), इंग्लैंड (1966) और फ्रांस (1998) ने पहली बार विश्व कप तब जीता, जब यह टूर्नामेंट पहली बार उनके अपने देशों में आयोजित किया गया था। पश्चिम जर्मनी ने 1974 में अपनी मेजबानी में पहली बार आयोजित विश्व कप जीता जबकि इससे पहले वह 1954 में स्विट्ज़रलैंड द्वारा आयोजित विश्व कप पहली बार जीत चुका था तथा 1966 में इंग्लैंड द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में इंग्लैंड से हारकर (4–2) उपविजेता रहा था। इसी तरह, अर्जेंटीना ने भी पहली बार विश्व कप तब जीता जब 1978 में इसका आयोजन उसने स्वयं किया था, इससे पहले वह 1930 में उप विजेता रहा था।

नीदरलैंड्स तीन अलग–अलग महाद्वीपों में आयोजित विश्व कप टूर्नामेंट (यूरोप –पश्चिम जर्मनी, 1974; दक्षिण अमेरिका – अर्जेंटीना, 1978 और अफ्रीका – दक्षिण अफ्रीका, 2010) के फाइनल में पहुंचा परंतु तीनों ही बार

उसे उप विजेता बनकर ही संतोष करना पड़ा। मैक्सिको फीफा विश्व कप का आयोजन तीन बार (1970, 1986 एवं 2026 में) कर चुका है। विश्व कप में मैक्सिको का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन क्वार्टर फाइनल तक पहुँचना रहा है, जो 1970 और 1986 में हुआ था जब दोनों ही बार उसने टूर्नामेंट की मेजबानी की थी।

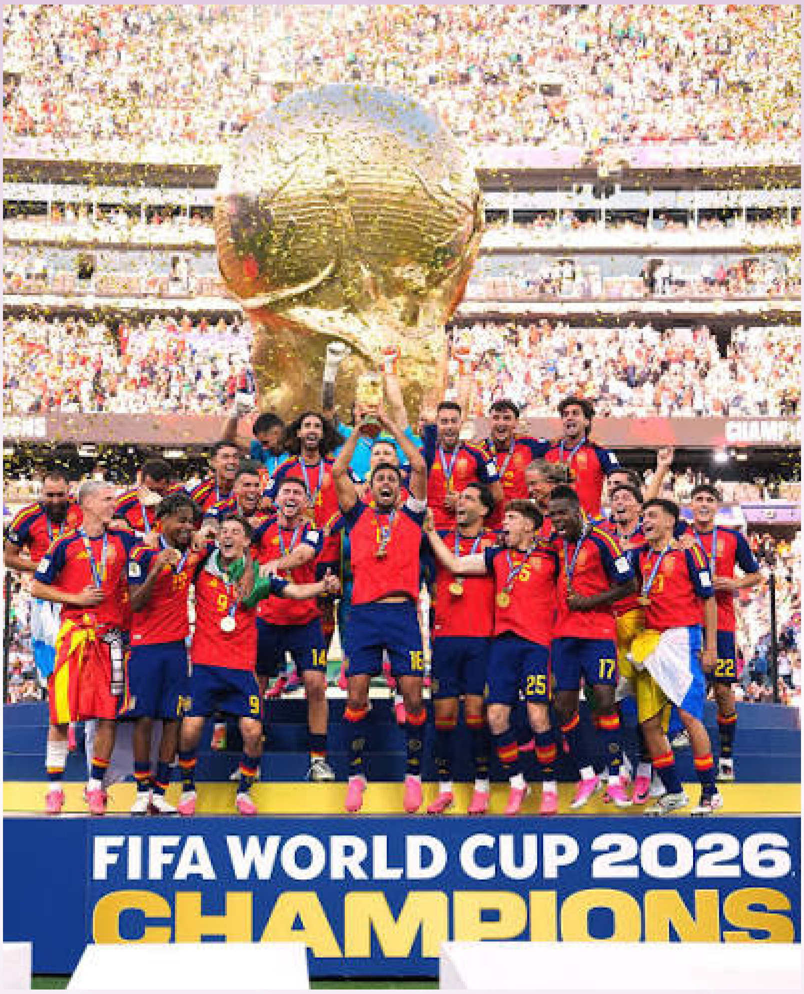

जर्मनी सबसे अधिक 08 बार (1954, 1966, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002 एवं 2014) फाइनल में पहुंचा और 04 बार (1954, 1974, 1990 एवं 2014) विश्व कप जीतने में कामयाब रहा। ब्राजील 07 बार (1950, 1958, 1962, 1970, 1994, 1998 एवं 2002) फाइनल में पहुंचा और सबसे अधिक 05 बार (1958, 1962, 1970, 1994 एवं 2002) विश्व कप जीतने में कामयाब रहा। अर्जेंटीना भी 07 बार (1930, 1978, 1986, 1990, 2014, 2022 एवं 2026) फाइनल में पहुंचा परंतु मात्र 03 बार (1978, 1986 एवं 2022) ही विश्व कप जीत पाया। इटली 06 बार (1934, 1938, 1970, 1982, 1994 एवं 2006) फाइनल में पहुंचा और 04 बार (1934, 1938, 1982 एवं 2006) विश्व कप जीतने में कामयाब रहा। फ्रांस 04 बार (1998, 2006, 2018 एवं 2022) फाइनल में पहुंचा और 02 बार (1998 एवं 2018) विश्व कप जीतने में कामयाब रहा। 100 प्रतिशत स्ट्राइक रेट के साथ उरुग्वे (1930, 1950), **स्पेन (2010, 2026)** और इंग्लैंड (1966) ने क्रमशः दो बार, दो बार और एक बार विश्व कप जीता।

विश्व कप के फाइनल में अभी तक यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस (यूईएफए) और साउथ अमेरिकन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन (सीओएनएमईबीओएल) के सदस्य देश या यूँ कहें कि यूरोप और दक्षिण अमेरिका के देश (क्रमशः 30 एवं 16) ही पहुंचे हैं। इनमें से यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस (यूईएफए) के सदस्य देश 13 बार जबकि साउथ अमेरिकन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन (सीओएनएमईबीओएल) के सदस्य देश 10 बार इसे अपने नाम करने में सफल रहे हैं।

2026 के टूर्नामेंट में कई बहुत छोटे देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया।

- कुराकाओ (Curaçao): 1,56,000 की आबादी वाले कैरिबियन द्वीप देश कुराकाओ ने अपना ऐतिहासिक डेब्यू किया। आबादी और क्षेत्रफल, दोनों ही मामलों में यह पुरुषों के विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश है। इसने 2018 में आइसलैंड द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा। कुराकाओ 14 जून 2026 को हुए ग्रुप चरण के मैच में हालाँकि जर्मनी से हार (7–1 से) गया परंतु विश्व कप में अपना पहला गोल करने में सफल रहा। कुराकाओ के गोलकीपर एलोय रूम ने 21 जून 2026 को हुए विश्व कप 2026 के ग्रुप चरण के मैच में इक्वाडोर के खिलाफ 90 मिनट के मैच में 15 गोल बचाए (सेव किए), यह बिना अतिरिक्त समय के नियमित समय में अब तक के सबसे ज्यादा सेव हैं। हालाँकि, एक मैच में सबसे ज्यादा सेव का रिकॉर्ड अमेरिका के गोलकीपर टिक हॉवर्ड के नाम है जिन्होंने विश्व कप 2014 के अंतिम 16 (राउंड ऑफ 16) के मैच में बेल्जियम के खिलाफ एक ही मैच में 16 सेव किए थे।
- केप वर्डे (Cabo Verde): 5,25,000 की आबादी वाले देश केप वर्डे ने भी विश्व कप में अपना डेब्यू किया।

पश्चिम अफ्रीका के इस छोटे से द्वीप देश ने नॉकआउट स्टेज में पहुँचकर दुनिया भर में सुर्खियाँ बटोरीं। केप वर्डे ने 15 जून 2026 को हुए ग्रुप चरण के अपने पहले मैच में 2026 फीफा विश्व कप विजेता स्पेन को गोलरहित ड्रा पर रोककर अपनी प्रतिभा का शानदार नजारा पेश किया। इस तरह केप वर्डे ने अपने पहले ही मैच में विश्व कप का अपना पहला अंक हासिल कर लिया। केप वर्डे ने 22 जून 2026 को हुए ग्रुप चरण के अपने दूसरे मैच में उरुग्वे के साथ 2–2 की बराबरी करके अपना दूसरा अंक हासिल किया और अपने तीसरे एवं अंतिम ग्रुप चरण के मैच में 27 जून 2026 को सऊदी अरब के साथ गोलरहित ड्रा खेलकर अपना तीसरा अंक अर्जित करते हुए अंतिम 32 में जगह बनाई। 04 जुलाई 2026 को हुए अंतिम 32 के मैच में केप वर्डे ने निर्धारित समय में पूर्व चैम्पियन अर्जेंटीना को 1–1 की बराबरी पर रोककर उनकी नाक में दम कर दिया था। हालाँकि अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना यह मैच 3–2 से जीतने में कामयाब रहा।

इन दो देशों कुराकाओ एवं केप वर्डे के साथ ही जॉर्डन और उज्बेकिस्तान ने भी विश्व कप में अपना डेब्यू किया।

जॉर्डन को ग्रुप चरण के तीनों मैचों में हार का सामना (17 जून 2026 को ऑस्ट्रिया से 3–1 से, 23 जून 2026 को अल्जीरिया से 2–1 से और 28 जून 2026 को अर्जेंटीना से 3–1 से) करना पड़ा परंतु उनके लिए सतोषजनक यह बात रही कि उन्होंने तीनों ही मैचों में एक–एक गोल किया। उज्बेकिस्तान भी ग्रुप चरण के दो मैचों में एक–एक गोल करने में सफल रहा। 18 जून 2026 को कोलंबिया से 3–1 से, 23 जून 2026 को पुर्तगाल से 5–0 और 28 जून 2026 को डीआर कांगो से 3–1 हारकर उज्बेकिस्तान विश्व कप से बाहर हो गया।

अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने फीफा विश्व कप 2026 के दौरान कुल 20 सेव किए। इनमें से 11 सेव उन्होंने 19 जुलाई 2026 को हुए फाइनल में स्पेन के खिलाफ किए जो पुरुषों के विश्व कप फाइनल में सबसे ज्यादा सेव का रिकॉड बन गया। दिलचस्प यह भी रहा कि स्पेन के गोलकीपर उनाई सिमोन ने पूरे विश्व कप 2026 के दौरान कुल 10 सेव किए। उन्होंने 08 मैचों में केवल एक गोल खाया और 07 मैचों में क्लीन शीट रखी (कोई गोल नहीं खाया)। यह स्पेन की मजबूत रक्षा पंक्ति के उत्कृष्ट प्रदर्शन से ही संभव हो पाया। फाइनल की तरह पूरे विश्व कप में स्पेन की सबसे बड़ी ताकत उसकी रक्षापंक्ति रही। विश्व कप इतिहास में किसी चैम्पियन टीम का यह संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ डिफेंसिव रिकॉर्ड है। उसने 1998 की फ्रांस और 2006 की इटली की बराबरी कर ली। दिलचस्प बात यह रही कि पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ बेल्जियम ही स्पेन के खिलाफ गोल कर सकी। फाइनल समेत बाकी सभी मुकाबलों में स्पेन की रक्षापंक्ति विपक्षी टीमों के लिए अभेद्य दीवार साबित हुई।

फीफा विश्व कप में पहली बार राजनीतिक दखलअंदाजी भी देखने को मिली। जैसा कि पहले बताया गया है कि फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की सह मेजबानी में हुआ। 11 जून 2026 को पहला मैच खेला गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फाइनल से पहले टूर्नामेंट के किसी भी मैच के दौरान स्टेडियम में नहीं दिखे। यहाँ तक कि उन्होंने इस टूर्नामेंट को लेकर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट भी नहीं किया। अमेरिका को 07 जुलाई 2026 को प्री क्वार्टर फाइनल में अपना मुकाबला बेल्जियम के साथ खेलना था। उस मुकाबले से पहले ट्रंप ने लिखा, 'फीफा का सही काम करने और एक बड़े अन्याय को पलटने के लिए धन्यवाद।' दरअसल, अंतिम 32 के मैच में अमेरिका की भिड़ंत 02 जुलाई 2026 को बोस्निया और हर्जेगोविना से हुई थी। उस मैच के 64वें मिनट में अमेरिकी स्ट्राइकर फोलारिन बालोगुन ने डिफेंडर तारिक मुहरेमोविच के खिलाफ फाउल किया। रेफरी ने वीएआर पर रिप्ले देखने के बाद बालोगुन को रेड कार्ड दे दिया। इसका मतलब था कि बालोगुन अमेरिका के लिए बेल्जियम के खिलाफ मुकाबले में नहीं खेलेंगे। फीफा के नियम के अनुसार सीधे रेड कार्ड मिलने पर किसी टीम के द्वारा अपील नहीं की जा सकती है। अमेरिकी सॉकर ने मैच के बाद कहा भी था कि वह रेड कार्ड और बैन को चैलेंज नहीं करेंगे।

फीफा ने 05 जुलाई 2026 को घोषणा में बताया कि बालोगुन बेल्जियम के खिलाफ मुकाबले में खेलेंगे। फीफा के अनुसार अनुशासनात्मक कोड के आर्टिकल 27 के तहत मैदान से बाहर भेजने के फैसले को रद्द कर दिया गया, लेकिन बालोगुन के रिकॉर्ड में एक साल की प्रोबेशन अवधि के लिए रेड कार्ड बना रहेगा। अगर बालोगुन इसी तरह की और उतनी ही गंभीर कोई दूसरी गलती करते हैं, तो उन्हें एक मैच का बैन झेलना होगा। आर्टिकल 27 के अनुसार, फीफा की न्यायिक समिति के पास अनुशासनात्मक कार्रवाई को पूरी तरह या आंशिक रूप से रोकने का अधिकार है। यह नियम उन्हें रेफरी के फैसलों पर वीटो करने का अधिकार देता है।

कुछ रिपोर्टों के अनुसार फीफा ने डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप की वजह से फोलारिन बालोगुन पर से बैन हटा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने फीफा को अपना फैसला बदलने के लिए दबाव बनाने के लिए तीन बार कॉल किया। जब तक फैसला नहीं बदल गया वह फीफा के पास कॉल करते रहे। अंतिम 32 का मुकाबला जिस दिन खेला गया था, उसी दिन राष्ट्रपति ट्रंप ने फीफा को पहला कॉल किया था। फोलारिन बालोगुन अमेरिका के लिए अहम खिलाड़ी हैं। उन्होंने रेड कार्ड मिलने से पहले अंतिम 32 के मैच में गोल किया था। बालोगुन फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट मैच में गोल करने और उसी मैच में रेड कार्ड पाने वाले चौथे खिलाड़ी बन गये। इस अनचाहे रिकॉर्ड से जुड़े अन्य तीन खिलाड़ी इस प्रकार हैंः गारिंचा (ब्राजील) – 1962 के सेमीफाइनल में चिली के विरुद्ध, रोनाल्डिन्हो (ब्राजील) – 2002 के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के विरुद्ध, और जिनेदिन जिदान (फ्रांस) – 2006 के फाइनल में इटली के विरुद्ध। बालोगुन ने ग्रुप चरण के मुकाबलों में भी दो गोल दागे थे।

फीफा के फैसले की काफी आलोचना हुई। यूरोपियन फुटबॉल महासंघ ने इस फैसले को समझ से परे और अनुचित बताया। ब्राजील पर जीत के बाद नॉर्वे के हेड कोच स्टाले सोल्बक्केन ने कहा कि यह फैसला विश्व कप को नुकसान पहुंचाएगा। बेल्जियम के फुटबॉल एसोसिएशन ने भी इस फैसले की निंदा की और इसे चुनौती देने के लिए एक अपील की। हालांकि उसे ठुकरा दिया गया। इसके अलावा, इंग्लैंड के मैनेजर थॉमस ट्यूशेल ने भी इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि इससे काफी कन्फ्यूजन पैदा होगा।

अमेरिका और बेल्जियम के मैच से पहले फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने पूरे मामले पर बयान जारी किया। इसमें उन्होंने कहा, 'मैंने फोलारिन बालोगुन के सस्पेंशन से जुड़े स्वतंत्र फीफा अनुशासनात्मक समिति के फैसले पर लोगों की प्रतिक्रियाएं देखी हैं, और मैं फीफा के कामकाज के एक बुनियादी सिद्धांत को फिर से दोहराना चाहता हूं। फीफा की न्यायिक संस्थाएं स्वतंत्र हैं। वे स्वायत्त रूप से काम करती हैं, फीफा के अनुशासनात्मक नियमों को लागू करती हैं और लागू नियमों तथा अपने सामने मौजूद विशिष्ट तथ्यों के आधार पर मामलों पर फैसला करती हैं। फुटबॉल की विश्वसनीयता और ईमानदारी के लिए उनकी स्वतंत्रता जरूरी है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए।'

जियानी इन्फेंटिनो ने आगे डोनाल्ड ट्रंप के कॉल की भी पुष्टि की। हालांकि सभी को पता है कि ट्रंप विनती करने से ज्यादा आदेश देने में भरोसा रखते हैं। उन्होंने बयान में कहा – हाँ, मैं नियमित रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ फीफा विश्व कप से संबंधित मामलों पर चर्चा करता हूं। इस मामले पर, मुझे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया, जैसे मुझे कई अलग–अलग मुद्दों पर दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों, सरकारी अधिकारियों, फुटबॉल हितधारकों और व्यापार अधिकारियों से फोन आते हैं। हमारी बातचीत के दौरान, मैंने बताया कि फीफा के स्वतंत्र न्यायिक निकायों से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया चल रही है और मामले का निर्णय उचित समय पर किया जाएगा। फीफा की प्रणाली इसी तरह काम करती है और यह एक सिद्धांत है जिसका मैं हमेशा पालन करूंगा।

बेल्जियम के खिलाफ स्ट्राइकर फोलारिन बालोगुन को अमेरिका की शुरुआती 11 में शामिल किया गया। वह इंजरी टाइम (खेल के दौरान विभिन्न रुकावटों के कारण तय समय में जोड़े गए अतिरिक्त मिनट) तक मैदान पर रहे लेकिन कोई छाप नहीं छोड़ पाए। बेल्जियम ने मैच को 4–1 के अंतर से आसानी से अपने नाम कर लिया। अमेरिका की टीम उसे टक्कर भी नहीं दे पाई और टूर्नामेंट से बाहर हो गई।

यही नहीं, फाइनल मुकाबले के बाद ट्रॉफी वितरण समारोह के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप काफी देर तक मंच पर खड़े रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन के खिलाड़ियों को मेडल और कप्तान को ट्रॉफी सौंपी। आमतौर पर इस प्रक्रिया के बाद सभी अतिथि मंच छोड़ देते हैं। ट्रॉफी सेरेमनी में मौजूद अन्य अंतर्राष्ट्रीय मेहमान, जिनमें मेक्सिको की राष्ट्रपति और कनाडा के प्रधानमंत्री भी शामिल थे, सम्मान देने के तुरंत बाद मंच से नीचे उतर गए। किन्तु ट्रंप खिलाड़ियों के बीच ही खड़े रहे और कैमरों के सामने बने रहे, जिसके चलते स्पेन के खिलाड़ियों का ऐतिहासिक जश्न प्रभावित होता नजर आया। रिपोर्टों के मुताबिक, जब स्पेन के कप्तान ट्रॉफी उठाने की तैयारी कर रहे थे, तब भी ट्रंप मंच पर मौजूद थे। स्थिति को देखते हुए फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो उनके पास पहुंचे और उन्हें स्टेज छोड़ने का संकेत दिया। इसके बाद ट्रंप मंच से नीचे उतरे और स्पेन की टीम ने अपना आधिकारिक जश्न मनाया। कई फुटबॉल प्रशंसकों ने आरोप लगाया कि उन्होंने खिलाड़ियों के सबसे यादगार पल में अनावश्यक दखल दिया।

स्पेन के लामिन यमाल का शुरुआती 11 में होना जीत की गारंटी देता है। फीफा विश्व कप के साथ यूरो चैम्पियनशिप में अभी तक लामिन यमाल 13 बार स्पेन की शुरुआती 11 का हिस्सा रहे और टीम को सभी 13 मैचों में जीत मिली है। यानी जब भी यमाल स्पेन की शुरुआती टीम में रहे हैं, टीम ने कभी हार या ड्रॉ का सामना नहीं किया है। यूरोप के किसी भी खिलाड़ी का इन दोनों टूर्नामेंट के शुरुआती 13 मैचों में जीत का 100 प्रतिशत रिकॉर्ड नहीं है। वहीं ओवरऑल अपने करियर में यमाल अभी तक स्पेन के लिए 28 बार शुरुआती 11 का हिस्सा रहे हैं। टीम ने इसमें 22 जीत हासिल की है तो 6 मैच ड्रॉ रहे। विंगर की पोजिशन में खेलने वाले लामिन यमाल अभी सिर्फ 19 साल के ही हैं। यूरो और फीफा के 13 मैचों में यमाल ने दो गोल मारने के साथ ही 4 असिस्ट किए हैं। लेकिन इस रिकॉर्ड से उनके खेल का पता नहीं चलता। सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने पहला गोल पेनल्टी पर किया था। यह पेनल्टी टीम को यमाल की वजह से ही मिली थी क्योंकि फ्रांस ने यमाल के खिलाफ फाउल किया था। इससे स्पेन को पेनल्टी मिली और इस पर गोल मारकर मिकेल ओयारजाबल ने टीम को बढ़त दिला दी। स्पेनिश क्लब बार्सिलोना के लिए खेलने वाले यमाल ने यूरो 2024 से ही दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया था। तब उन्हें यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया था। वह दानी ओल्मो और मिकेल ओयारजाबल जैसे खिलाड़ियों के लिए स्पेस बनाते हैं। यमाल को फीफा विश्व कप 2026 के पहले मुकाबले में केप वर्डे के खिलाफ शुरुआती 11 में जगह नहीं मिली थी। स्पेन की टीम उस मैच में गोल नहीं कर पाई थी और मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ था।

03 जुलाई 2026 को हुए अंतिम 32 के मैच में क्रोएशिया के इवान पेरिसिक के गोल के बाद पुर्तगाल 1–0 से पिछड़ रहा था। लेकिन 68वें मिनट में पुर्तगाल को पेनल्टी मिली, जिसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बिना कोई गलती किए गोल में बदल दिया। इस गोल के साथ ही रोनाल्डो ने इतिहास रच दिया, रोनाल्डो के करियर का फीफा विश्व कप नॉकआउट स्टेज में यह पहला गोल रहा। 41 वर्ष और 147 दिन की उम्र में गोल दागकर रोनाल्डो पुरूष विश्व कप नॉकआउट मैच में स्कोर करने वाले इतिहास के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। इसके बाद, मैच के इंजरी टाइम में गोंसालो रामोस ने पुर्तगाल के लिए विजयी गोल दागा और इस प्रकार पुर्तगाल ने यह मुकाबला 2–1 से अपने नाम किया।

फीफा विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल (22) फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे (2018–2026) ने किये हैं जबकि एक ही टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल (13) करने का रिकॉर्ड फ्रांस के ही जस्ट फोंटेन (1958) के नाम है।

ग्रुप स्टेज में सबसे ज्यादा गोल (14) अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी (2006–2026) जबकि नॉकआउट स्टेज में सबसे ज्यादा गोल (14) फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे (2018–2026) ने किये है। एक टूर्नामेंट के ग्रुप चरण में सबसे ज्यादा गोल (7) हंगरी के सैंडोर कोक्सिस (1954) और जर्मनी के गर्ड मुलर (1970) ने किये हैं।

भारत फीफा विश्व कप में कभी हिस्सा नहीं ले पाया, लेकिन एक मौका ऐसा भी आया था जब भारत फीफा विश्व कप में हिस्सा ले सकता था। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के चलते 1942 और 1946 में फीफा विश्व कप का आयोजन नहीं हो सका था। 1950 में 12 साल के इंतजार के बाद फीफा विश्व कप का आयोजन होने वाला था। ब्राजील में होने वाले फीफा विश्व कप के लिए महज 33 देशों ने क्वालिफाइंग राउंड में खेलने पर सहमति जताई थी। क्वालिफाइंग ग्रुप 10 में भारत को बर्मा (म्यांमार) और फिलीपींस के साथ जगह मिली थी। लेकिन बर्मा और फिलीपींस ने क्वालिफाइंग राउंड से अपना नाम वापस ले लिया था। यानी भारत बिना खेले ही फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर गया था। 1950 के फीफा विश्व कप का जब फाइनल राउंड ड्रॉ तैयार हुआ, तो भारत को पूल–3 में स्वीडन, इटली और पराग्वे के साथ जगह मिली। परंतु भारत ने फीफा विश्व कप 1950 में भाग नहीं लिया और इसके कारणों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिलती है। आज फुटबॉल की विश्व रैंकिंग में भारत 138वें स्थान पर है। भारत में फुटबॉल के स्तर को सुधारने के लिए हालांकि रिलायंस समूह और टाटा समूह जैसे औद्योगिक घराने काफी कार्य कर रहे हैं, परंतु उनके प्रयासों से अभी तक आशातीत सफलता नही मिल पाई है। इन घरानों के जैसे ही अन्य औद्योगिक घरानों और राज्य सरकारों का आगे आना बहुत ही जरूरी है ताकि भारतीय फुटबॉल वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब हो सके।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा के तत्वावधान में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा आयोजित 'हिन्दी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता' का परिणाम

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा के तत्वावधान में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर 2025 को हिन्दी टिप्पण–आलेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में नराकास (कार्यालय), नौएडा के 21 सदस्य कार्यालयों से 47 प्रतियोगियों ने भाग लिया तथा सफल प्रतियोगियों के नाम इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	प्रतियोगी का नाम	कार्यालय	पुरस्कार
1.	श्री साकेत स्वामी गुप्ता अनुभाग अधिकारी (प्रशा.)	नवोदय विद्यालय समिति सैक्टर–62, नौएडा	प्रथम
2.	श्री अनुज कुमार ईडीपी सुपरवाइजर	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (मुख्यालय), सैक्टर – 62, नौएडा	द्वितीय
3.	सुश्री सरोज वर्मा सहायक – I	राष्ट्रीय जैविक संस्थान, सैक्टर – 62, नौएडा	तृतीय
4.	श्री प्रदीप कुमार कार्यकारी सहायक	केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय सैक्टर – 48, नौएडा	प्रोत्साहन
5.	श्रीमती निधि अग्रवाल आशुलिपि सहायक ग्रेड – II	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान सैक्टर – 24, नौएडा	प्रोत्साहन
6.	श्रीमती प्रियंका ढौंडियाल स्टेनो ग्रेड डी	राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद, सैक्टर – 62, नौएडा	प्रोत्साहन
7.	श्री अमित कुमार ईडीपी सुपरवाइजर	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (मुख्यालय), सैक्टर – 62, नौएडा	प्रोत्साहन
8.	श्री अनुराग दुबे प्रशासनिक अधिकारी (ए-V)	सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, सैक्टर – 29, नौएडा	प्रोत्साहन

पुरस्कार विजेताओं को दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, सैक्टर–24, नौएडा के सौजन्य से 28.01.2026 को होटल पार्क एसेंट, सैक्टर – 62, नौएडा में आयोजित नराकास (कार्यालय), नौएडा की 50वीं बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्मानित किया गया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा के अध्यक्ष महोदय से पुरस्कार ग्रहण करती हुई श्रीमती निधि अग्रवाल, आशुलिपि सहायक ग्रेड – II, वीवीजीएनएलआई

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

अरुणोदय

रामधारी सिंह दिनकर*

(15 अगस्त, सन् 1947 को स्वतंत्रता के स्वागत में रचित)

नई ज्योति से भीग रहा उदयाचल का आकाश,
जय हो, आँखों के आगे यह सिमट रहा खग्रास।

है फूट रही लालिमा, तिमिर की टूट रही घन कारा है,
जय हो, कि स्वर्ग से छूट रही आशिष की ज्योतिधारा है।

बज रहे किरण के तार, गूँजती है अंबर की गली–गली,
आकाश हिलोरें लेता है, अरुणिमा बाँध धारा निकली।

प्राची का रुद्ध कपाट खुला, ऊषा आरती सजाती है,
कमला जयहार पिन्हाने को आतुर–सी दौड़ी आती है।

जय हो उनकी, कालिमा धुली जिनके अशेष बलिदानों से,
लाली का निर्झर फूट पड़ा जिनके शायक–संधानों से।

परशवता–सिंधु तरण करके तट पर स्वदेश पग धरता है,
दासत्व छूटता है, सिर से पर्वत का भार उतरता है।

मंगल–मुहूर्त; रवि! उगो, हमारे क्षण ये बड़े निराले हैं,
हम बहुत दिनों के बाद विजय का शंख फूँकनेवाले हैं।

मंगल–मुहूर्त; तरुगण! फूलो, नदियो! अपना पय–दान करो,
जंज़ीर तोड़ता है भारत, किन्नरियो! जय–जय गान करो।

भगवान साथ हों, आज हिमालय अपनी ध्वजा उठाता है,
दुनिया की महफ़िल में भारत स्वाधीन बैठने जाता है।

आशिष दो वनदेवियो! बनी गंगा के मुख की लाज रहे,
माता के सिर पर सदा बना आज़ादी का यह ताज रहे।

आज़ादी का यह ताज बड़े तप से भारत ने पाया है,
मत पूछो, इसके लिए देश ने क्या कुछ नहीं गँवाया है।

जब तोप सामने खड़ी हुई, वक्षस्थल हमने खोल दिया,
आई जो नियति तुला लेकर, हमने निज मस्तक तोल दिया।

माँ की गोदी सूनी कर दी, ललनाओं का सिंदूर दिया,
रोशनी नहीं घर की केवल, आँखों का भी दे नूर दिया।

तलवों में छाले लिए चले बरसों तक रेगिस्तानों में,
हम अलख जगाते फिरे युगों तक झंखाड़ों, वीरानों में।

आज़ादी का यह ताज विजय–साका है मरनेवालों का,
हथियारों के नीचे से ख़ाली हाथ उभरनेवालों का।

इतिहास! जुगा इसको, पीछे तस्वीर अभी जो छूट गई,
गाँधी की छाती पर जाकर तलवार स्वयं ही टूट गई।

जर्जर वसुंधरे! धैर्य धरो, दो यह संवाद विवादी को,
आज़ादी अपनी नहीं; चुनौती है रण के उन्मादी को।

हो जहाँ सत्य की चिनगारी, सुलगे, सुलगे, वह ज्वाल बने,
खोजे अपना उत्कर्ष अभय, दुर्दांत शिखा विकराल बने।

सबकी निर्बाध समुन्नति का संवाद लिए हम आते हैं,
सब हों स्वतंत्र, हरि का यह आशीर्वाद लिए हम आते हैं।

आज़ादी नहीं, चुनौती है, है कोई वीर जवान यहाँ?
हो बचा हुआ जिसमें अब तक मर मिटने का अरमान यहाँ?

आज़ादी नहीं, चुनौती है, यह बीड़ा कौन उठाएगा?
खुल गया द्वार, पर, कौन देश को मंदिर तक पहुँचाएगा?

है कौन, हवा में जो उड़ते इन सपनों को साकार करे?
है कौन उद्यमी नर, जो इस खंडहर का जीर्णोद्धार करे?

माँ का अंचल है फटा हुआ, इन दो टुकड़ों को सीना है,
देखें, देता है कौन लहू, दे सकता कौन पसीना है?

रोली, लो उषा पुकार रही, पीछे मुड़कर टुक झुको–झुको
पर, ओ अशेष के अभियानी! इतने पर ही तुम नहीं रुको।

आगे वह लक्ष्य पुकार रहा, हाँकते हवा पर यान चलो,
सुरधनु पर धरते हुए चरण, मेघों पर गाते गान चलो।

पीछे ग्रह और उपग्रह का संसार छोड़ते बढ़े चलो,
करगत फल–फूल–लताओं की मदिरा निचोड़ते बढ़े चलो।

बदली थी जो पीछे छूटी, सामने रहा, वह तारा है,
आकाश चीरते चलो, अभी आगे आदर्श तुम्हारा है।

निकले हैं हम प्रण किए अमृत–घअ पर अधिकार जमाने को,
इन ताराओं के पार, इंद्र के गढ़ पर ध्वजा उड़ाने को।

सम्मुख असंख्य बाधाएँ हैं, गरदन मरोड़ते बढ़े चलो,
अरुणोदय है, यह उदय नहीं, चट्टान फोड़ते बढ़े चलो।

हिन्दी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि एवं निबन्धकार

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 'दान से लाभ' विषय पर कार्यशाला का आयोजन

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2026 के उपलक्ष्य में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा सोमवार, 09 मार्च 2026 को 'दान से लाभ' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। डॉ. मेघना दासगुप्ता, एसोसिएट फेलो ने सभागार में उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और अतिथि वक्ताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया और कार्यशाला के विषय का संक्षिप्त परिचय दिया। कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने किया। अतिथि वक्ताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद दिए गए अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने व्यापक लैंगिक समानता की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। तत्पश्चात, श्री बी. एस. रावत, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने अतिथि वक्ताओं का संक्षिप्त परिचय दिया। मुख्य व्याख्यान डॉ. भावना तिवारी, निदेशक, कार्मिक विभाग, एम.के. टी. सॉफ्टवेयर्स; एवं संस्थापक, शिवोहम साहित्यिक मंच द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा – आज हम यहाँ केवल एक आयोजन का निर्वाह करने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। हम उस ऐतिहासिक चेतना का स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसकी गूँज 08 मार्च 1917 को रूस की सड़कों पर सुनाई दी थी। महिलाओं ने रोटी और शाति के लिए हड़ताल की, तब उन्होंने केवल मतदान का अधिकार नहीं माँगा था – उन्होंने अपने अस्तित्व की मान्यता माँगी थी। उस संघर्ष ने दुनिया को यह सिखाया कि महिलाएँ केवल परिवार की परिधि ही नहीं, परिवर्तन की धुरी भी हैं। आगे चलकर यही आन्दोलन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की नींव बना और 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसे औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। यह दिन उपहारों से नहीं, अधिकारों की माँग से जन्मा है, सजावट से नहीं, संघर्ष से बना है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की विषयवस्तु 'दान से लाभ' एक अत्यंत गहन जीवन–दर्शन है। भारतीय चिंतन में दान का अर्थ केवल धन देना नहीं है। दान का अर्थ है– अपनी शक्ति, समय, ज्ञान, अवसर, और संवेदना को साझा करना। जब हम इस दर्शन को महिला सशक्तिकरण से जोड़ते हुए महिलाओं को शिक्षा देते हैं, अवसर देते हैं, सुरक्षा देते हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देते हैं तो हम समाज में निवेश करते हैं। शिक्षा के अवसर ज्ञान को बढ़ाते हैं, रोज़गार के अवसर आर्थिक स्थिरता लाते हैं, सुरक्षा का आश्वासन सामाजिक स्थिरता लाता है और नेतृत्व में भागीदारी से संतुलित नीतियां बनती हैं। यही 'दान से लाभ' है। दार्शनिक स्तर पर आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। देह स्त्री या पुरुष हो सकती है, चेतना निरपेक्ष है। जब महिला स्वयं को केवल देह तक सीमित मान लेती है, तब वह वस्तुकरण का शिकार होती है। जब

वह स्वयं को चेतन सत्ता के रूप में पहचानती है, तभी स्वतंत्रता भीतर से प्रारम्भ होती है। आज की महिला बहुआयामी है – आर्थिक रूप से सक्रिय, राजनीतिक रूप से सहभागी, डिजिटल रूप से जुड़ी और परिवार की धुरी। परंतु उसके हिस्से में दोहरा दायित्व है – घर और बाहर दोनों का संतुलन। ग्रामीण भारत में उसका श्रम अदृश्य है तो शहरी भारत में कार्य–जीवन संतुलन एक बड़ी चुनौती है। महिलाओं की श्रम बल

में भागीदारी अभी भी संभावनाओं से कम है। यदि महिलाओं को शिक्षा, कौशल और सुरक्षित वातावरण मिले तो राष्ट्रीय उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। विश्व बैंक के अध्ययन बताते हैं कि लैंगिक समानता से जीडीपी में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। जब महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं, तो परिवारों की आय बढ़ती है, बच्चों की शिक्षा सुधरती है, स्वास्थ्य बेहतर होता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक न्याय नहीं, आर्थिक रणनीति भी है।

श्रीमती सुषमा जुगरान ध्यानी, सलाहकार संपादक, हिन्दी पत्रिका 'अलकनंदा' द्वारा एक विशेष व्याख्यान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा – पुरुषवादी समाज में सदियों से हाशिए पर धकेली गई स्त्री के प्रति दोहरी मानसिकता किसी एक देश की सीमा तक ही नहीं बंधी है। पूरी दुनिया में वह किसी न किसी रूप में पुरुषवादी संकीर्ण सोच की शिकार रही है। अच्छी बात यह है कि उसके मानवाधिकारों को लेकर समानांतर आवाजें भी उठती रही हैं। उसके मानवाधिकारों और समाज में बराबर की भागीदारी के लिए वैश्विक स्तर पर उठती आवाजों का ही परिणाम रहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आठ मार्च की तिथि उसके सशक्तिकरण के नाम नियत कर दी गई। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की विषयवस्तु 'दान से लाभ (गिव टू गेन)' रखी गई है। इस विचार के संदर्भ में हम अपने भारतीय समाज की बात करें तो वास्तव में जीवन में कुछ पाने के लिए उससे पहले देना एक बहुत ही पवित्र, उच्च और विराट भाव है। भौतिक लेन–देन से ऊपर सृष्टि के उत्थान के लिए यदि मानव उक्त भाव के साथ समाज कल्याण की दिशा में आगे बढ़े तो सत्यम्, शिवम्, सुंदरम् की जो खूबसूरत संकल्पना हमारे समाज में की गई है, उसे वास्तविक धरातल पर उतरते कोई देर नहीं लगेगी।

महाकवि जयशंकर प्रसाद के कालजयी महाकाव्य 'कामायनी' को आत्मसात करें तो हमारा देश भारतीय नारी के उस आंतरिक स्वरूप का पूजक है जहाँ वह अपने आंसुओं के जल का संकल्प लेकर अपने सारे सुनहरे सपने मानवता और समाज के हित में दान कर देती है। कामायनी की कथा के अनुसार– महाप्रलय के बाद अकेले बचे रह गये मनु और श्रद्धा के हिस्से जब सृष्टि के पुनर्निर्माण का दायित्व आया तो दोनों एक–दूसरे के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं लेकिन नारी होने के नाते श्रद्धा के हिस्से त्याग और समर्पण का भाव ज्यादा भारी है। वह अपने सारे सपने मानवता के हित के लिए दान कर चुकी है। मनु श्रद्धा से कहते हैं –

'क्या कहती हो ठहरो नारी संकल्प अश्रुजल से अपने,
तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने
नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में,
पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में'।।

निष्कर्ष यह है कि जब एक स्त्री अपना सब कुछ समर्पित करके समाज के कल्याण की दिशा में अग्रसर होती है तो देने या अर्पित करने के क्रम में उसके प्रति समाज का दायित्व और भी बड़ा हो जाता है। उसे आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से संपन्न बनाये रखने के लिए घर–परिवार से लेकर देश–समाज तक सभी को खुले मन से वह सारी सुख–सुविधाएं और सम्मान दिया जाना चाहिए जिसकी वह हकदार है। उसे इस तरह का वातावरण दिया जाना चाहिए ताकि वह समाज और राष्ट्र की उन्नति के विषय में सोचते हुए अपना भरपूर योगदान देती रहे। एक स्वस्थ समाज के निर्माण में वह तभी अपना सौ फीसद या भरपूर सहयोग दे पाएगी जब समाज द्वारा उसके लिए अनुकूल स्थितियां बनायी जाती रहेंगी। समाज उसके आत्मबल का सम्मान करते हुए उसे सामाजिक सुरक्षा देता रहे तो फिर देखिए कि कैसे नारी एक सशक्त राष्ट्र के निमार्ण का मजबूत आधार स्तंभ बन जाती है।

अतिथि वक्ताओं के व्याख्यान के बाद अतिथि वक्ताओं के साथ–साथ श्री बी. एस. रावत ने महिला सशक्तिकरण /लैंगिक समानता/महिलाओं के संघर्षपूर्ण जीवन से संबंधित रचनाएं सुनाईं। अंत में, डॉ. पूजा पाल, एसोसिएट फेलो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष कार्यशाला के उद्देश्यों के प्रति सभी को उन्मुख करने पर महानिदेशक एवं अतिथि वक्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया गया और फिर सभागार में उपस्थित सभी लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. मेघना दासगुप्ता, एसोसिएट फेलो; डॉ. पूजा पाल, एसोसिएट फेलो और श्री बी. एस. रावत, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने किया।

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

मेरी पहली नौकरी

दिनेश बोस*

कल तक जीवन का रास्ता बस इतना था,
घर से लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी से घर।
सपनों की गठरी कंधों पर थी,
पर मंजिल अब भी थी कहीं दूर सफर।

फिर एक दिन आया नौकरी का बुलावा,
और मैं चल पड़ा घर से बहुत दूर।
नौएडा की गलियाँ, दिल्ली की रौनक,
सब कुछ था नया, सब कुछ भरपूर।

पहले दिन जब दफ्तर की चौखट लांघी,
तो सालों की मेहनत आँखों में उतर आई।
सरकारी दफ्तर की वह पहली चाय,
आज भी दुनिया की सबसे मीठी लगती है भाई।

पिता जब मेरे कार्यालय और आवास को देख रहे थे,
उनकी आँखों में एक अलग ही चमक थी।
वह संतोष था अपने बेटे के खड़े होने का,
वह खुशी किसी शब्द की मोहताज न थी।

नए लोग, नया माहौल, नया काम,
मन में अनगिनत प्रश्नों का शोर था।
क्या मैं यह सब कर पाऊँगा?
हर उत्तर से पहले एक छोटा–सा डर था।

कभी लगता, कहीं यहीं न ठहर जाऊँ,
कहीं सपनों की उड़ान अधूरी न रह जाए।

छह सौ किलोमीटर दूर अपने घर से,
कहीं यादों में मन बार–बार न भर आए।

पर धीरे–धीरे दफ्तर का अर्थ समझ आया,
और जीवन ने एक नया पाठ पढ़ाया।
जो नौकरी मुझे छोटी लगती थी कभी,
उसी ने मुझे बड़ा बनना सिखाया।

पहली तनख्वाह जब खाते में आई,
उस खुशी का कोई मोल नहीं था।
वह केवल कुछ रुपयों का संदेश नहीं,
मेरे संघर्षों का पहला पुरस्कार था।

सुबह बैग लेकर पुस्तकालय जाना,
अब दफ्तर जाने में बदल चुका था।
किताबों के सपनों का वह छात्र,
जिम्मेदारियों के रास्ते पर चल चुका था।

इस नौकरी ने सिखाया–
अकेले रहना भी एक कला होती है।
काम के साथ सपनों को बचाए रखना,
यही असली साधना होती है।

इसी ने समाज में पहचान दिलाई,
इसी ने आत्मविश्वास का दीप जलाया।
और सबसे बढ़कर, नए सपने
देखने का साहस सिखाया।

आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ,
तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ –
मेरी पहली नौकरी कोई पद नहीं थी,
वह जीवन का सबसे सुंदर अध्याय था।

* *सहायक, ग्रेड – III, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा*

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

नक्सल मुक्त भारत का सपना साकार

राजेश कुमार कर्ण*

देश के लिए यह निश्चय ही राहत का क्षण है कि लंबे समय से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती रहे नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह की यह घोषणा कि देश नक्सल आतंक से मुक्त हो गया है, सुरक्षा तंत्र की प्रतिबद्धता और रणनीतिक प्रयासों की सफलता का प्रतीक है। भारतीय इतिहास में 31 मार्च, 2026 का दिन सशस्त्र माओवाद के खात्मे के रूप में दर्ज हो चुका है। आंकड़े भी इस उपलब्धि की पुष्टि करते हैं। सक्रिय नक्सलियों का खात्मा, बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां और आत्मसमर्पण इस दिशा में ठोस प्रगति को दर्शाते हैं। यह समस्या केवल कानून–व्यवस्था तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसने सामाजिक, आर्थिक और मानवीय जीवन को भी गहराई से प्रभावित किया। दशकों तक आदिवासी क्षेत्रों में भय, असुरक्षा और पिछड़ापन बना रहा। आज जब देश नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में कदम बढ़ा चुका है, तब यह आवश्यक हो जाता है कि इस परिवर्तन के पीछे की नीति, संकल्प और सद्प्रयास को समझा जाए।

गृह मंत्रालय के नेतृत्व में बीते वर्षों में जो रणनीति अपनाई गई, वह बहुआयामी रही। केवल सुरक्षा बलों की तैनाती तक सीमित न रहकर सरकार ने विकास और विश्वास, दोनों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया। यही कारण है कि जिन क्षेत्रों में कभी बंदूक की आवाज गूंजा करती थी वहां आज स्कूल खुल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं और जीवन सामान्य हो रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे की वजह वर्षों की योजनाबद्ध मेहनत और स्पष्ट नीति रही है। नक्सलवाद की जड़ें अक्सर गरीबी और पिछड़ेपन से जोड़कर देखी जाती रही हैं, लेकिन वास्तविकता इससे अधिक जटिल रही है। कई ऐसे क्षेत्र भी थे, जहां आर्थिक स्थिति कमजोर थी, फिर भी नक्सलवाद नहीं पनपा। इसका अर्थ यह है कि नक्सलवाद केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि एक वैचारिक और रणनीतिक चुनौती भी था। वामपंथी उग्रवाद ने आदिवासी समाज को अपने प्रभाव में लेकर उन्हें मुख्यधारा से दूर करने का प्रयास किया। स्कूलों को जलाना, विकास कार्यों को रोकना और भय का वातावरण बनाना इस रणनीति का हिस्सा रहा। गृह मंत्रालय ने इस सच्चाई को समझते हुए ही अपनी नीति तैयार की। सुरक्षा बलों को आधुनिक संसाधनों से लैस किया गया, खुफिया तंत्र को मजबूत बनाया गया और स्थानीय पुलिस को सशक्त किया गया। इसके साथ ही आत्मसमर्पण की नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया गया, जिससे बड़ी संख्या में नक्सली मुख्यधारा में लौटे। यह केवल सैन्य सफलता नहीं, बल्कि सामाजिक पुनर्वास का भी उदाहरण है। कुल मिलाकर यही कहना उचित होगा कि नक्सलवाद के अंत की यह यात्रा केवल सरकार की उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे समाज की जीत है। इसमें सुरक्षा बलों का साहस, प्रशासन की प्रतिबद्धता और आम नागरिकों का सहयोग– सभी शामिल हैं। यह उदाहरण दर्शाता है कि यदि सही नीति और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य किए जाएं, तो सबसे जटिल समस्याओं का समाधान भी संभव है।

नक्सलवाद की गिरफ्त से देश को मुक्त करने की जो मुहिम भारत सरकार ने छेड़ी थी, आज उसमें हमें सफलता मिली है। बारह राज्यों में फैले रेड कॉरिडोर में वर्षों से एक समानांतर तंत्र हिंसा का सहारा लेकर विकास को बाधित कर रहा था, क्षेत्र के युवाओं को गुमराह कर रहा था। आज केंद्र सरकार की स्पष्ट रणनीति और सतत प्रयासों से इन क्षेत्रों में एक नए युग का निर्माण हो रहा है। एक ऐसा युग जो विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षा से जुड़ा हुआ है। नक्सलवाद से निपटने के लिए संवाद, सुरक्षा और समन्वय की त्रिस्तरीय रणनीति अपनाई गई जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2024 से मार्च 2026 तक 706 नक्सली मारे गए, 2,218 गिरफ्तार हुए और 4,839 ने आत्मसमर्पण किया। साथ ही शीर्ष स्तर के सभी केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो सदस्य भी समाप्त हो चुके हैं। जहां एक ओर कठोर कार्रवाई से हिंसा पर नियंत्रण पाया गया, वहीं दूसरी ओर सड़क, दूरसंचार, शिक्षा, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन जैसी पहलों से विकास को नई गति मिली है। आज वे क्षेत्र, जो कभी भय और असुरक्षा के प्रतीक थे, वहां स्थिरता, विश्वास और नई संभावनाओं के द्वार खुल चुके हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर इसका सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है, जहां अब हर गांव तक स्कूल, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को पहुंचाने का अभियान

* *आशुलिपि सहायक, ग्रेड – I, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा*

चल रहा है। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन सामाजिक पुनर्निर्माण और आत्मविश्वास के प्रतीक बन चुके हैं। यह परिवर्तन केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी क्षेत्रों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो कभी लाल आतंक से प्रभावित थे। यह परिवर्तन विकसित भारत 2047 की दिशा में एक सशक्त आधार तैयार करता है, जहां हर क्षेत्र और हर नागरिक समान अवसरों के साथ आगे बढ़ सके। बम और बंदूक की जगह संविधान और कानून की ताकत की जीत हुई है। कभी जो इलाके 'रेड कॉरिडोर' कहलाते थे, वे विकास और 'ग्रीन ग्रोथ' के केंद्र बन चुके हैं। डर और अंधकार पर विकास का उदय हुआ है। दशकों पुरानी इस समस्या को समयबद्ध तरीके से समाप्त करते हुए 31 मार्च 2026 को 'नक्सल मुक्त भारत' का संकल्प ऐतिहासिक उपलब्धि में बदल चुका है। जब नीति, नीयत और नेतृत्व एक साथ काम करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव सहाय ने ठीक ही लिखा है कि सशस्त्र माओवाद के खात्मे की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए एक स्पष्ट नीति और दृढ़ नेतृत्व को श्रेय जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने माओवाद के प्रति 'शून्य सहनशीलता' और 'विकास आधारित समाधान' की नीति अपनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न केवल रणनीतिक स्तर पर इस अभियान का मार्गदर्शन किया, बल्कि कई बार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाकर जवानों और स्थानीय लोगों का मनोबल भी बढ़ाया। इस पूरे अभियान में हमारे सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और बस्तर की जनता के सहयोग ने इस लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाई। सरकार की रणनीति का महत्वपूर्ण पहलू संवाद और पुनर्वास रहा है। यह संदेश दिया गया कि जो लोग हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में आना चाहते हैं, उनके लिए सरकार के द्वार खुले हैं। इसका सकारात्मक प्रभाव यह रहा कि बड़ी संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर सामान्य जीवन अपनाया। ऐसे लोग जो केवल हिंसा की भाषा समझते थे, उनके विरुद्ध सुरक्षा बलों ने सख्त कार्रवाई भी की। सुधाकर, बसवराजू जैसे शीर्ष माओवादी नेतृत्व को न्यूट्रलाइज करने से माओवादी आतंक की कमर टूट गई। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री जी द्वारा कार्ययोजना बनाकर माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया गया। सड़क, बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं उन क्षेत्रों तक पहुंचीं, जहां कभी शासन की उपस्थिति नहीं थी। पिछले ढाई साल में डबल इंजन की सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं को माओवाद प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाकर इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के पुनर्वास के लिए बनी प्रभावी नीति ने उन्हें समाज की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर दिया है। जो लोग बंदूक छोड़कर मुख्यधारा में लौटे हैं, उन्हें आर्थिक सहायता, आवास, भूमि, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और सम्मानजनक जीवन का अवसर दिया जा रहा है।

भारत के नक्सल मुक्त होने की निर्धारित तारीख 31 मार्च से ठीक एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर से इस संकल्प की सिद्धि का उद्घोष किया। इसके साथ ही, जो क्षेत्र नक्सलवाद के कारण विकास से दूर रह रह गए थे, वह अब विकास की नई यात्रा की शुरुआत के साक्षी बनेंगे। कई दशक पुरानी नक्सल समस्या एक हिंसक विचारधारा थी, जिसने आदिवासी क्षेत्रों में विकास को रोके रखा था। केंद्र सरकार की सख्त और स्पष्ट नीति ने इस समस्या का अंत कर दिया। 31 मार्च 2026 इतिहास की ऐसी तारीख बन गई है, जिसे दशकों पुरानी समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए सदियों तक याद किया जाएगा। केंद्र सरकार ने बहुआयामी रणनीति के तहत मजबूत सुरक्षा अभियान, तेज विकास कार्य और सहानुभूतिपूर्ण समर्पण की नीति पर काम किया। सरकार के इन प्रयासों ने नक्सली ढांचे और कैडर को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली तब देश की आंतरिक सुरक्षा तीन बड़े संवेदनशील क्षेत्रों—जम्मू—कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सलवाद प्रभावित कॉरिडोर से गंभीर रूप से प्रभावित थी। लगभग 4—5 दशकों में हजारों लोग इन तीनों जगहों पर पनपी और फैली अशांति के कारण जान गंवा चुके थे एवं संपत्ति का बहुत नुकसान हुआ था। देश के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों के विकास की जगह इन हॉटस्पॉट को संभालने में खर्च होता था। सुरक्षा बलों की भी जन हानि होती थी लेकिन 2014 के बाद इन तीनों हॉटस्पॉट पर ध्यान केंद्रित किया गया। स्पष्ट दीर्घकालीन रणनीति के आधार पर काम हुआ।

नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी आंदोलन से हुई। यह 'लाल गलियारे' में फैल गया, जिससे छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा,

महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश–आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्से प्रभावित हुए। 1971 में स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा 3,620 हिंसक घटनाएं हुई। इसके बाद 80 के दशक में पीपल्स वॉर ग्रुप ने इन राज्यों में अपना और विस्तार किया। इस दशक के बाद वामपंथी गुटों ने एक दूसरे में विलय की शुरुआत की और 2004 में प्रमुख सीपीआई (माओवादी) गुट का गठन हुआ। नक्सली हिंसा ने बहुत गंभीर स्वरूप ले लिया। पशुपति से तिरुपति कॉरिडोर को रेड कॉरिडोर के रूप में जाना जाता था। देश के भूभाग का 17 प्रतिशत हिस्सा रेड कॉरिडोर में समाहित था और इस समस्या से 12 करोड़ की आबादी प्रभावित थी, जो वर्षों तक गरीबी में जीवन बिताने को मजबूर हुए। उस वक्त की आबादी का 10 प्रतिशत हिस्सा नक्सलवाद का दंश झेल कर अपना जीवन बिता रहा था। इसकी तुलना में दो अन्य हॉटस्पॉट–कश्मीर में 1 प्रतिशत भूभाग आतंकवाद और पूर्वोत्तर में देश का 3.3 प्रतिशत भूभाग अशांति से ग्रस्त था। ऐसे में 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने संवाद, सुरक्षा और समन्वय के तीनों पहलुओं पर काम करने की शुरुआत की। इस दिशा में 2014-2026 का समयकाल, देश की आंतरिक सुरक्षा के इतिहास में स्वर्णिम काल के रूप में अंकित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई अवसरों पर कहा था कि 'हम 31 मार्च, 2026 तक पूरे देश को नक्सली हिंसा से मुक्त करने में जरूर सफल होंगे।' इसी दिशा में पूर्वोत्तर में भी 10 हजार से अधिक युवा हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल हुए हैं और 12 से अधिक शांति समझौतों के माध्यम से पूर्वोत्तर में शांति प्रस्थापित करने का बहुत बड़ा काम हुआ है। जम्मू–कश्मीर और लद्दाख में भी अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद विकास के नए युग की शुरुआत हो चुकी है।

केंद्र सरकार की सुरक्षा केंद्रित रणनीति, इंफ्रास्ट्रक्चर, नक्सल फाइनेंशियल नेटवर्क पर प्रहार व आत्मसमर्पण नीति के सकारात्मक परिणाम आए। नक्सलवाद (एलडब्ल्यूई), जिसे नक्सलवाद के रूप में जाना जाता है, भारत की सबसे गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से एक थी। इन चुनौतियों को केंद्र और प्रभावित राज्य सरकारों की मदद से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है।

नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए 2015 में 'एलडब्ल्यूई से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' को मंजूरी दी गई थी। इसमें सुरक्षा से जुड़े उपायों, विकास कार्यों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकों को सुनिश्चित करने जैसी कई रणनीतियों पर काम किया।

नक्सलवाद प्रभावित राज्यों में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती, इंडिया रिजर्व बटालियन की स्थापना, हेलीकॉप्टर सहायता, पुलिस प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण, जरूरी धन, हथियार व उपकरण उपलब्ध कराने के साथ–साथ खुफिया जानकारी साझा करने और किलेबंद पुलिस थानों का निर्माण किया गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, "यह सच है कि माओवादी हिंसा ने मध्य और पूर्वी भारत के कई जिलों की प्रगति को रोक दिया था। इसीलिए 2015 में हमारी सरकार ने माओवादी हिंसा को खत्म करने के लिए एक व्यापक 'राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' तैयार की। हिंसा के प्रति शून्य सहिष्णुता के साथ–साथ, हमने इन क्षेत्रों में गरीब लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बुनियादी ढांचे और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया है।"

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, "2014 के बाद हमारी सरकार ने नक्सलवाद–माओवादी आतंक पर प्रचंड प्रहार किया। हमने शहरों में बैठे अर्बन नक्सलियों के समर्थकों, अर्बन नक्सलियों को भी किनारे लगाया, हमने वैचारिक लड़ाई भी जीती और नक्सलियों के गढ़ में जाकर उनसे मोर्चा लिया, इसका परिणाम आज देश के सामने है।"

'नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2015' को लागू करने से हिंसा में कमी आई। एलडब्ल्यूई जो देश की अंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती रहा, उसे नियंत्रित किया गया।

नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 2014 में 126 से घटकर दिसंबर 2025 में सिर्फ 11 रह गई। इस पर भी प्रहार हुआ। अब कोई भी जिला अति प्रभावित नहीं है।

राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पिछले 12 साल में भारत की सबसे बड़ी सफलता–नक्सलवाद–माओवादी आतंक की कमर तोड़ना रही है। 2014 से पहले हमारे देश में हालात ऐसे थे कि देश के बीचों–बीच नक्सली–माओवादी अपनी हुकूमत चलाते थे। नक्सली क्षेत्रों में देश का संविधान नहीं चलता था। पुलिस प्रशासन वहां काम नहीं कर पाता था। शासन–प्रशासन उनके आगे लाचार नजर

आता था। 2014 से पहले देश के करीब सवा सौ जिले माओवादी हिंसा की चपेट में थे, लेकिन अब देश माओवादी आतंक से पूरी तरह आजाद होकर खुली हवा में सांस ले रहा है। करोड़ों लोग पीढ़ियों बाद पहली बार डर और खौफ के साये से निकलकर विकास की मुख्यधारा का हिस्सा बने हैं। जिन इलाकों में माओवादी नक्सली सड़कें नहीं बनने देते थे, स्कूल नहीं खुलने देते थे, अस्पताल नहीं बनने देते थे, बने–बनाए स्कूल और अस्पताल को बम से उड़ा देते थे, डॉक्टरों को गोलियों से भून देते थे, मोबाइल टावर्स नहीं लगने देते थे, सुरक्षा बलों के कैंप पर हमला करके कैदियों को छुड़ा ले जाते थे, हथियार लूट लेते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में ठेकेदारों से कमीशन की उगाही करते थे, ट्रकों, मालगाड़ियों के डिब्बे में आग लगा देते थे, वहां अब राजमार्ग बन रहे हैं, नए उद्योग लग रहे हैं। देश को सफलता सुरक्षा बलों के तप, त्याग और साहस से मिली है। इसलिए 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को यह भरोसा दिलाया था कि जब तक देश नक्सलवाद–माओवाद के आतंक से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता, वह न रुकने वाले है, न चैन से बैठने वाले हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ठीक ही लिखा है कि कई सारे बड़े काम जो आजादी के वक्त से इस देश की जनता चाहती थी, वे सारे काम नरेंद्र मोदी जी के इन 12 सालों में हुए और अब नक्सलवाद से मुक्त भारत की रचना भी उन्हीं के शासन में ही हो रही है। ये 12 साल देश के लिए एक प्रकार से बहुत शुभंकर साबित हुए हैं।

नक्सल मुक्त भारत बनाने में पुनर्वास और प्रोत्साहन का भी इसमें प्रभाव पड़ा। पुनर्वास पैकेज में, अन्य बातों के अलावा, उच्च रैंक वाले एलडब्ल्यूई कैडर के लिए 5 लाख रुपये और अन्य एलडब्ल्यूई कैडर के लिए 2.5 लाख रुपये के तत्काल अनुदान की व्यवस्था की गई। 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि आत्मसमर्पण पर और सामूहिक आत्मसमर्पण पर यह राशि दोगुनी हो जाती है। सरेंडर करने वाले को एक मोबाइल दिया जाता है। हथियार जमा कराने पर मुआवजा मिलता है। पुनर्वसन केंद्र पर कौशल प्रशिक्षण व टूल किट वितरण किया जाता है। 10,000 रुपये प्रतिमाह 36 महीने तक के लिए सहायता दी जाती है। सभी को पीएम आवास का उपहार मिलता है। नक्सलमुक्त पंचायत होते ही गांवों के विकास के लिए 1 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। इनके बच्चों के लिए 12वीं तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था, महिलाओं को 2 लाख रुपये और पुरुषों के लिए 5 लाख रुपये तक की ऋण की व्यवस्था की गई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई–सुरक्षा, विकास और सामाजिक न्याय के त्रिकोण पर आधारित है। देश ने केंद्र और राज्यों के बीच सतत सक्रिय सहयोग से 31 मार्च 2026 को नक्सल–मुक्त का लक्ष्य प्राप्त किया। यह सरकार की निर्णायक नीति और उसकी शांति एवं विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के एक दशक का प्रमाण है। सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ एक एकीकृत, बहुआयामी और कठोर रणनीति अपनाई है, जो पिछली सरकारों के बिखरे हुए दृष्टिकोण की जगह कामयाब साबित हुई है। संवाद सुरक्षा समन्वय के स्पष्ट सिद्धांतों पर चलते हुए, सरकार ने मार्च 2026 तक प्रत्येक नक्सल प्रभावित क्षेत्र को पूर्णतः नक्सल मुक्त बना दिया।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुताबिक, जहां पहले बिखरे हुए दृष्टिकोण के साथ काम होता था, घटना–आधारित कार्रवाई होती थी और कोई स्थायी नीति नहीं थी। एक प्रकार से कहें तो सरकार के रिस्पॉन्स का स्टेयरिंग नक्सलियों के हाथों में था। लेकिन 2014 के बाद से सरकार के अभियानों, कार्यक्रमों की स्टेयरिंग भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास है। यह एक बहुत बड़ा नीतिगत परिवर्तन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, 'हमारी सरकार की नीति है जो हथियार छोड़कर सरेंडर करना चाहते हैं. उनके लिए रेड कारपेट है और उनका स्वागत है, लेकिन अगर हथियार लेकर निर्दोष आदिवासियों को मारना चाहते हैं तो सरकार का धर्म, निर्दोष आदिवासियों को बचाना और हथियारबंद नक्सलियों का सामना करना है।' केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय हुआ, राज्यों की क्षमता और पुलिस व्यवस्था में सुधार किया गया है। केंद्रीय सशस्त्र बल और राज्य पुलिस का समन्वय बढ़ाया गया।

विकास के लिए केंद्र सरकार ने व्होल ऑफ गवर्नमेंट तो सुरक्षा नकेल कसने के लिए व्होल ऑफ एजेंसी के दृष्टिकोण से दिशा बदल गई। ऑल एजेंसी एप्रोच से एनआईए, ईडी, इंटेलिजेंस आदि ने नक्सलियों के नेटवर्क, फंडिंग और सपोर्ट सिस्टम पर चौतरफा प्रहार किया। व्होल ऑफ गवर्नमेंट के एप्रोच से प्रभावित इलाकों में विकास के काम शुरू हो चुके थे। 20 अगस्त 2019, केंद्रीय गृह मंत्रालय में बैठक हुई और इसमें पुलिस समन्वय, पुलिस आधुनिकीकरण, रिटायर्ड नक्सलियों

को पुलिस बल में लाने और खुफिया एजेंसी के साथ समन्वय, इन सभी पहलुओं पर एक खाका तैयार हुआ। 24 अगस्त 2024, छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे और केंद्र–राज्य के बीच साझा रणनीति बनी। इसी तारीख को एलान हुआ कि 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सल मुक्त होगा। 31 मार्च 2026, नक्सल मुक्त भारत के संकल्प की सिद्धि की तारीख से एक दिन पूर्व ही लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एलान किया।

राज्यों की पुलिस फोर्स को 'पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण' योजना के तहत सहायता दी गई। इस योजना के तहत, राज्य सरकारों को हथियार, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए उपकरण, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग, मोबिलिटी और पुलिस आवास एवं अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार ने मदद दी। इस योजना की उप–योजना 'स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम (एसआईएस)' के तहत एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों को विशेष बलों, स्टेट इंटेलिजेंस ब्रांच, जिला पुलिस और मजबूत पुलिस थानों का निर्माण किया गया। 1,224.59 करोड़ रुपये की सहायता वर्ष 2014–15 से अब तक इस योजना के माध्यम से केंद्रीय एजेंसियों को दी गई।

एलडब्ल्यूई को मिलने वाली फंडिंग रोकने पर सरकार ने खास ध्यान दिया। खासकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) और उसे धन उपलब्ध कराने वालों के बीच की सांठगांठ का पता लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की गई। एलडब्ल्यूई को धन और अन्य संसाधन मिलने से रोकने के लिए राज्य पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर समन्वित और प्रभावी कदम उठाया गया। एलडब्ल्यूई के वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने के लिए सरकार की ओर से कदम उठाए गए।

आतंकवाद की फंडिंग पर रोक लगाने के लिए वर्ष 2011 से गृह मंत्रालय में 'आतंकवाद को फंडिंग से मुकाबला (सीएफटी) सेल' नाम से एक विशेष इकाई बनाई गई थी। यह सेल अलग–अलग खुफिया और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय कर आतंक के वितीय नेटवर्क पर कार्रवाई करती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने भी एक टेरर फडिग और फेक करेंसी सेल (टीएफएफसी) बनाया ताकि आतंकवादी फंडिंग और जाली भारतीय करेंसी नोट (एफआईसीएन) की जांच और मुकदमा चलाया जा सके। देश के अंदर एआईसीएन के सर्कुलेशन का मुकाबला करने के लिए केंद्र और राज्यों की अलग–अलग सुरक्षा एजेंसियों के बीच इंटेलिजेंस जानकारी शेयर करने के लिए एक एफआईसीएन समन्वय केंद्र (एफसीओआरडी) भी बनाया गया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रिजोल्यूशन और गैर–कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत आतंकवादी संगठनों और उनके सदस्यों के खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए। इसमें फंड संपति को फ्रीज करना और जब्त करना शामिल रहा। इससे आतंकवादी संगठनों के फंड फ्लो पर रोक लगी। गृह मंत्रालय में 2016 में एलडब्ल्यूई कैडर के फंड के फ्लो की निगरानी के लिए दो मल्टी–डिसिप्लिनरी ग्रुप बनाए गए थे, एक केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। केंद्र सरकार ने एनआईए में एक समर्पित विभाग बनाकर 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपति जब्त की। नक्सलियों के वित्तपोषण पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाई गई। जबकि राज्यों ने भी 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की। प्रवर्तन निदेशालय ने 40 करोड़ रूपए कुर्क किए। इस कार्रवाई से शहरी नक्सलियों को गंभीर नैतिक और मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंची और उनके सूचना युद्ध नेटवर्क पर नियंत्रण और भी कड़ा हो गया।

विकास के मोर्चे पर, सरकार की मुख्य योजनाओं के अलावा, एलडब्ल्यूई प्रभावित कई इलाकों के लिए खास पहल की गई। इसमें रोड नेटवर्क के विस्तार, टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी में सुधार, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और वित्तीय समावेशन पर खास जोर दिया गया है। सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए दो विशेष योजनाएं रोड रिक्वायरमेंट प्लान (आरआरपी) और एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों के लिए रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) लागू की गई। 17,589 किमी सड़कें बनाने को मंजूरी दी गई, जिसमें से 12 हजार किमी से अधिक सड़कें बन चुकी हैं। 9,233 टावर एलडब्ल्यूई प्रभावित इलाकों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए लगाए गए 6025 पोस्ट ऑफिस वित्तीय समावेशन के लिए डाक विभाग में एलडब्ल्यूई प्रभावित जिल्लों में बैंकिंग सेवाओं के साथ खोले। कौशल विकास के लिए 46 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 49 कौशल विकास केंद्र खोले गए। आदिवासी इलाकों में अच्छी शिक्षा के लिए 259 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू किए। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 1804 बैंक शाखाएं खोली गई, 1,321 एटीएम तथा 37,850 बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट की व्यवस्था की गई।

विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत सबसे ज्यादा एलडबल्यूई प्रभावित जिलो में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियों को पूरा करने के लिए वर्ष 2017 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 3,963.67 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड से 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' की शुरुआत की। इस अभियान का लक्ष्य 15,000 से अधिक गांवों में बुनियादी सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना रहा। साथ ही, सरकार इन क्षेत्रों में 3–सी यानी सड़क संपर्क, मोबाइल संपर्क और वित्तीय संपर्क को लगातार मजबूत कर रही है, ताकि विकास की गति तेज हो और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके।

पहली बार भारत सरकार ने बिना किसी भ्रम के एक स्पष्ट नीति अपनाई। राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षाबलों को छूट दी गई। साथ ही, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग तथा ऑपरेशन में कोआर्डिनेशन के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच एक व्यावहारिक सेतु बनाया गया। अवैध हथियारों की आपूर्ति पर नकेल कसी गई।

2019–26 के बीच नक्सलियों की हथियार आपूर्ति श्रृंखला को रोकने में सफलता मिली। नक्सलियों का वित्तपोषण करने वालों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय ने नकेल कसी। साथ ही, नक्सलवादियों के अर्बन नक्सल सपोर्ट, लोगल सहायता और मीडिया नरेटिव गढ़ने पर भी सख्ती की गई। सेंट्रल कमेटी के मेंबर पर लक्षित तरीके से कार्रवाई की गई। ऑपरेशन ऑक्टोपस और ऑपरेशन डबल बुल जैसे टारगेटेड ऑपरेशन किए गए। डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा की संयुक्त ट्रेनिंग की भी शुरुआत की गई। चारों ने मिलकर अभियान चलाया। इसके साथ–साथ फॉरेंसिक जांच शुरू की गई, लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम उपलब्ध कराया गया और मोबाइल फोन की गतिविधियों को राज्य पुलिस को उपलब्ध कराया गया। साइंटिफिक कॉल लॉग्स एनालिसिस के सॉफ्टवेयर बने और सोशल मीडिया एनालिसिस से भी उनके छुपे हुए समर्थकों को ढूंढने का काम हुआ। इससे नक्सल विरोधी अभियान में न सिर्फ तेजी आई बल्कि सकारात्मक परिणाम भी मिले।

एनआईए को मजबूत किया गया और एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों (एसआईए) को भी स्थापित किया गया।

280 नए शिविर 2019 से सुरक्षा संबंधी कमियों को दूर करने के लिए स्थापित किए गए, 15 नए संयुक्त कार्य बल बनाए गए तथा विभिन्न राज्यों में राज्य पुलिस की सहायता के लिए 6 सीआरपीएफ बटालियनों को तैनात किया गया।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री के शब्दों में, ''बीते एक साल में ही 2100 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है 900 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, और जो हथियार छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, ऐसे 300 से अधिक कट्टर नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इसका परिणाम ये हुआ कि जो इलाके कभी डर के साए में जीने को मजबूर थे वहां आज विकास की नई ऊर्जा का संचार हो रहा है।''

अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री के शब्दों में, ''क्या है माओवादी विचारधारा? इसका ध्रुव वाक्य क्या है? जब हम आजाद हुए, हमने कहा 'सत्यमेव जयते', सत्य की हमेशा विजय हो, सत्य की विजय होती है। पर, इनका ध्रुव वाक्य है कि 'सत्ता बंदूक की नली से निकलती है।' वहां सत्ता शब्द विकास के लिए नहीं, अपनी विचारधारा के अस्तित्व के लिए है। यहां विकास की कोई बात नहीं है। इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है।''

पिछला एक दशक एक प्रकार से शांति और प्रगति का कालखंड बना है। लंबे अरसे तक देश कई तरह की हिंसक वारदातों का शिकार था। चाहे आतंकवाद हो या नक्सलवाद। कोई पहले तो कोई बाद में शुरू हुआ, लेकिन आज नक्सलवाद–माओवाद को जड़ से उखाड़ कर देश के सुरक्षा बलों ने लोगों में न सिर्फ मजबूत सुरक्षा का भाव जगाया है बल्कि देश को तेज प्रगति की ओर अग्रसर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, 'देश में सैकड़ों जिले नक्सल को चपेट से निकलकर के आज मुक्ति का सांस ले रहे हैं। हमें गर्व है कि बम और चंदूक के सामने देश का संविधान जीत रहा है, हमारे देश का संविधान विजयी हो रहा है। देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए साफ दिख रहा है कि कल तक जो रेड कॉरिडोर थे, वो आज ग्रीन ग्रोथ जोन में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं।' नक्सल प्रभावित राज्यों में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ ने जो परिवर्तन देखा है, वह अद्भुत और प्रेरणादायी है। कभी यह राज्य नक्सलवाद और पिछड़ेपन से पहचाना जाता था। आज वही राज्य समृद्धि, सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक बन रहा है। आज बस्तर ओलंपिक की चर्चा देश के कोने–कोने में है।

बीजापुर के चिलकापल्ली गांव में सात दशकों के बाद पहली बार बिजली पहुंची। अबूझमाड़ के रेकावया गांव में आजादी के बाद पहली बार स्कूल बनाने का काम शुरू हुआ है। आज उन प्रभावित क्षेत्रों के गावों में विकास के कामों की बयार बह रही है। अब लाल झंडे की जगह तिरंगा शान से लहरा रहा है। आज बस्तर जैसे क्षेत्रों में डर नहीं, उत्सव का माहौल है।

अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री के शब्दों में ''वर्ष 2014 के बाद क्या बदला? सीएपीएफ तो वही है। राज्य पुलिस भी वही है। वर्ष 2014 के बाद स्पष्ट नीति और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति इस काम में जुड़ी। नरेंद्र मोदी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस देश के किसी भी कोने में चाहे कश्मीर हो, चाहे उत्तर–पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का विस्तार हो, गैर–कानूनी प्रवृत्ति नहीं चलेगी। इस पर कठोरता से काम किया जाएगा।''

इसमें संदेह नहीं कि 2014 के बाद केंद्र सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ भटके हुए नौजवानों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया। इसलिए अक्टूबर 2025 में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, बीते दशक में हजारों नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। मैं आपको पिछले 75 घंटों का आंकड़ा देता हूं, लेकिन मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा संतोष का विषय है, इन 75 घंटों में 303 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। एक जमाने में जिनका 3 नॉट 3 चलता था न, आज वो 3 नॉट 3 सरेंडर हुए हैं। यह कोई सामान्य नक्सली नहीं हैं, किसी पर 1 करोड़ का इनाम था, किसी पर 15 लाख का इनाम था, किसी पर 5 लाख का इनाम था और यह सारे के सारे इनके नाम पर इनाम घोषित हुए थे। इन नक्सलियों से बहुत बड़ी मात्रा में हथियार भी पकड़े गए हैं। यह सारे लोग बंदूक और बम छोड़कर भारत के संविधान को गले लगाने के लिए तैयार हुए हैं। जब संविधान के लिए पूर्ण समर्पित सरकार होती है तब गलत रास्ते पर गया व्यक्ति भी लौटकर अपनी आंखों को उस संविधान पर टिका देता है। अब वो विकास की मुख्यधारा में आ रहे हैं। लोग स्वीकार कर रहे हैं कि वो गलत रास्ते पर थे। पांच–पांच दशक बिता दिए, जवानी खपा दी लेकिन उन्होंने जो सोचा था, वो परिवर्तन नहीं आया। अब यह भारत के संविधान पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे।

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

पति–पत्नी का रिश्ता

अजय कुमार यादव*

पति–पत्नी का रिश्ता, एक प्यारा–सा बंधन होता है।
प्यार सम्मान और विश्वास है इसमें, इसमें ही मिठास का जहान होता है।

पति है पत्नी का सहारा, पति है पत्नी का प्यारा।
एक दूसरे के सुख–दुख के भागी, बनाते हैं जीवन को न्यारा।

पति–पत्नी का संबंध है प्रेम और समर्पण का उपहार।
एक दूसरे के लिए बने हैं, इस रिश्ते में है खुशियों की भरमार।

पति–पत्नी का रिश्ता है अनमोल और पवित्रता का बंधन।
इसमें है प्रेम और विश्वास जो है सबसे बड़ा अनमोल रत्न।

पति–पत्नी का रिश्ता मिलकर साथ चलने को एक वचन है।
कभी रहती रिश्ते में मिठास और कभी रहती कोई हलचल है।

प्यार, सम्मान और विश्वास, इस रिश्ते की परम शक्ति है।
पति और पत्नी सदैव मिलकर चलें, यही प्रेम की भक्ति है।

सहायक ग्रेड–III, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

नई शुरूआत के लिए कभी देर नहीं होती

गीता अरोड़ा*

जीवन में सुख–दुःख, उतार–चढ़ाव और जीत–हार, ये सभी समय के अधीन हैं, ये निश्चित समय पर आते ही हैं। परंतु जीवन में नई शुरुआत के लिए कभी देर नहीं होती। चाहे आपने कितनी भी मुश्किलों का सामना किया हो, चाहे कितनी ही गलतियाँ की हों, आपके पास हमेशा फिर से शुरुआत करने की शक्ति होती है। जीवन का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता। सकारात्मक सोच और सीखने की ललक के साथ आप असाधारण परिणाम पा सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा इसका जीता–जागता उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर जिले के शहजादपुर इलाके में एक मुहल्ला है पंडाटोला। वहाँ के एक छोटे से मकान में रहने वाली राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा वर्ष 2011 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में साक्षात्कार देने हेतु पद्मावत एक्सप्रेस से लखनऊ से नई दिल्ली जा रही थी। बरेली के पास कुछ बदमाशों ने उनके डिब्बे में धावा बोल दिया और लूटपाट करने लगे। बदमाश चेन छीनने के लिए उनकी ओर लपके तो उन्होंने इसका विरोध किया। इस धक्का–मुक्की में बदमाशों ने उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया। पैर कटने के साथ ही उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। अचानक मिले इस शारीरिक एवं मानसिक आघात ने अरुणिमा को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। पर अपने जीवन पर आए इस भीषण संकट में भी अरुणिमा ने हार नहीं मानी। चार महीने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में इलाज कराने के बाद अरुणिमा ने एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल से मुलाकात कर उनसे पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लिया। 21 मई 2013 को एवरेस्ट फतह करने के बाद उन्होंने युवाओं एवं जीवन में किसी प्रकार के अभाव के चलते निराशापूर्ण जीवन जी रहे लोगों में प्रेरणा एवं उत्साह जगाने के लिए दुनिया के सभी सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने का लक्ष्य तय किया। मिशन 7 समिट के तहत वह 11 मई 2014 को अफ्रीका की किलिमंजारो (तंजानिया – 5,895 मीटर), 25 जुलाई 2014 को यूरोप की अल्ब्रूज (रूस – 5,642 मीटर), आस्ट्रेलिया की कोसिजको (न्यू साउथ वेल्स, आस्ट्रेलिया – 2,218 मीटर) तथा 25 दिसम्बर 2015 को दक्षिण अमेरिका की अकोनकागुआ (अर्जेंटीना – 6962 मीटर) पर तिरंगा फहरा चुकी हैं। कृत्रिम पैर के सहारे ऐसा करने वाली वह पहली महिला बन गई हैं। उनके अनुसार बाकी की दो चोटियों पर भी वह जल्दी ही तिरंगा फहराएंगी। अरुणिमा का कहना है कि विकलांगता व्यक्ति की सोच में होती है। हर किसी के जीवन में पहाड़ से ऊंची कठिनाइयां आती हैं, जिस दिन वह अपनी कमजोरियों को ताकत बनाना शुरु करेगा हर ऊंचाई बौनी हो जाएगी। उन्होंने अपने जीवन पर एक पुस्तक ''बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन'' लिखी है, जिसका लोकार्पण 12 दिसम्बर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया। उनकी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए अरुणिमा सिन्हा को वर्ष 2015 में भारत के 66वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया।

विपरीत परिस्थिति होने पर आप भी अपनी दिशा बदल सकते हैं, अपनी कहानी फिर से लिख सकते हैं और वह व्यक्ति बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। हर सुबह आपको जिंदगी दोबारा सही करने का एक और मौका देती है। जब आपकी इच्छा हो, मन में जुनून हो तभी एक नई शुरुआत की जा सकती है। यदि पूर्व में असफलता भी मिली हो तो उससे घबराना कैसा। गलती हर इंसान से होती है। पुरानी गलतियों से आप सीखते हैं। आप अगली बार काम बेहतर तरीके से करते हैं। नई शुरुआत तभी संभव है जब बुरी यादों को भुलाकर नए दृष्टिकोण के साथ शुभ कदम बढ़ाएं। प्रयास करें, हारें, फिर प्रयास करें, यही तो जीवन है। जर्मन कवि बर्तोल्त ब्रेख्त की पंक्तियाँ हैं:

'जो हो चुका सो हो चुका, हर चीज बदलती है,
अपनी हर आखिरी सांस के साथ,
तुम कर सकते हो ताजा शुरुआत...।'

नई शुरुआत करने के लिए पाँच बातें ध्यान में रखनी जरूरी हैं:

सकारात्मक सोचः पुरानी असफलताओं या बीती बातों का बोझ ढोने के बजाय अपने अनुभवों को सीख मानें।

मानसिक शांतिः बीती बातों को छोड़ने से मन हल्का होता है। आप वर्तमान में जीना सीखते हैं।

वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

छोटा कदम उठाएंः किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत छोटे–छोटे कदमों से होती है, खुद पर दबाव न डालें।

सीखने की ललकः आप किसी भी उम्र में कोई नई स्किल सीख सकते हैं।

नियमितताः निरंतरता बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करने की कुंजी है।

आप बिना किसी हिचकिचाहट के इस नई शुरुआत को अपना सकते हैं और अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। दोबारा शुरुआत करना हार नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का मौका है। जिंदगी में नए कदम कभी–कभी वही रास्ता दिखाते हैं, जहाँ से हमारी सबसे खूबसूरत कहानी शुरू होती है। आपने वर्षों तक घर–गृहस्थी की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। यही वजह है कि आपके बच्चे अपने–अपने जीवन में व्यस्त हैं और आपके ऊपर बोझ नहीं बने हैं। अब यह समय आपके स्वयं से फिर से जुडने का है। अपने छूटे हुए शौक को पूरा करने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं होती। जिंदगी की दूसरी पारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। पैंसठ की उम्र में संगीत के अपने पुराने शौक या किसी और शौक को फिर से जिंदा करना न केवल उचित है, बल्कि मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दृष्टि से यह आपके लिए एक बेहतरीन निर्णय' हो सकता है। नई शुरुआत करने के लिए कभी देर नहीं होगी। खासकर तब, जब जीवनसाथी का साथ छूट गया हो और बच्चे अपनी–अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए हों। ऐसे में पीड़ादायी अकेलेपन को दूर करने के लिए संगीत का साथ बहुत ही सकारात्मक कदम है। इससे घर के सूने कोने में पसरी खामोशी की जड़ता टूटेगी। संगीत अकेलेपन से उपजने वाले अवसाद को खत्म करता है। क्योंकि संगीत में मन लगाने से दिमाग में खुशी देने वाले हार्मोन (एंडोफिर्न) रिलीज होते है, जो तनाव और उदासी को कम करते हैं।

संगीत से जुड़ाव आपको नई पहचान और जीने का मकसद देगा। संगीत का अभ्यास शुरू करने से मानसिक व आध्यात्मिक शांति तो मिलेगी ही, आपकी याददाश्त भी तेज होगी। संगीत भावनाओं की अभिव्यक्ति का उत्तम माध्यम है, जिससे दुख और अकेलेपन की भावना कम होती है। अब जबकि आपने अपने पुराने शौक यानि संगीत का अभ्यास करने का मन बनाया है, तो इसे आनंददायक गतिविधि के रूप में शुरू करें। चूंकि आपको किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, इसलिए आप जो भी गाएँ या बजाएँ, उसमें खुशी व आनंद की तलाश करें। इंटरनेट के मौजूदा दौर में संगीत सीखने के लिए आप यूट्यूब पर संगीत ट्यूटोरियल देख सकते है। कई वेबसाइट ऑनलाइन संगीत शिक्षा उपलब्ध कराती हैं, आप उनसे भी मदद ले सकते हैं। अगर संभव हो सके तो आसपास के बुजर्गों के साथ किसी संगीत मंडली से भी जुड़ सकते है। इससे सामाजिक मेल–जोल बढ़ेगा और आपका अकेलापन दूर होगा। यदि आप कोई वाद्ययंत्र बजाना सीखना चाहते हैं, तो गिटार, कीबोर्ड जैसे किसी छोटे वाद्ययंत्र से शुरूआत कर सकते हैं। इनमें आपके बच्चे भी आपका सहयोग कर सकते हैं। इस नई पहल से आपके बच्चों को भी प्रेरणा मिल सकती है। साठ–सत्तर की उम्र में आजकल लोग तंदुरुस्त जीवन जीते हैं और जीवन की हर गतिविधि में उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते हैं। अगर आपके मन में कहीं यह आशंका हो कि जीवनसाथी के गुजरने के बाद संगीत सीखने को लोग किस रूप में लेंगे, तो इसे मन से निकाल दीजिए।

'लोग क्या कहेंगे' यह सोचे बिना अपनी खुशी चुनें। शौक मानसिक शांति देते हैं। इसका जीता–जागता उदाहरण स्पेन के 82 वर्षीय हुआन लोपेज हैं। आइए, विस्तार से इनके बार में समझते हैं। **82 वर्ष की उम्र और अल्ट्रा मैराथनः** जब दुनिया रिटायरमेंट के बाद आराम करने की सोचती है, तब स्पेन के टोलेडो शहर के एक बुजुर्ग ने अपने दौड़ने वाले जूते पहने और इतिहास रच दिया। हुआन लोपेज गार्सिया, जो पहले कार मैकेनिक थे, ने 66 वर्ष की उम्र में दौड़ना शुरू किया। उस समय वह एक मील भी मुश्किल से दौड़ पाते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज 82 वर्ष की उम्र में वह 80 से 84 वर्ष आयु वर्ग की 50 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन के विश्व रिकॉर्ड धारक हैं। जब वैज्ञानिकों ने उनके शरीर की जाँच की, तो वे हैरान रह गए। उनकी शारीरिक क्षमता किसी 20 वर्ष के युवा जैसी पाई गई। सामान्यतः यह क्षमता हर दस वर्ष में लगभग 10 प्रतिशत कम हो जाती है, लेकिन उनमें प्रशिक्षण शुरू करने के बाद यह बढ़ गई। हुआन कहते हैं, 'मैंने केवल स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए थोड़ा दौड़ना शुरू किया था। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं यहां तक पहुंचूंगा।' आज भी वह हर सप्ताह लगभग 40 मील दौड़ते हैं।

निष्कर्षः जिंदगी एक किताब की तरह है। अगर पिछला पन्ना खराब हो गया, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरी किताब जला दें। आप अगले पन्ने पर एक नई कहानी लिख सकते हैं। नई शुरुआत के लिए बस आपके एक मजबूत इरादे की जरूरत होती है।

कहानी

कहावतों का चक्कर

हरिशंकर परसाई*

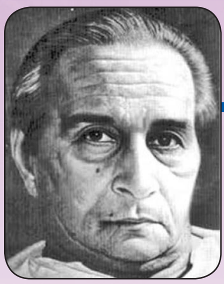

जब मैं हाईस्कूल में पढता था, तब हमारे अंग्रेजी के शिक्षक को कहावतें और सुभाषित रटवाने की बड़ी धुन थी। सैकड़ों अंग्रेजी कहावतें उन्होंने हमें रटवाईं और उनका विश्वास था कि यदि हमने नीति वाक्य रट लिए, तो हमारी जिंदगी जरूर सुधर जायेगी। हमारी जिंदगी सुधरी या बिगड़ी, इसका निर्णय करने का समय अभी नहीं आया, पर हमारे कहावत प्रेमी शिक्षक 'ऑनेस्टी इस द बेस्ट पालिसी' रटवाते – रटवाते एक बार लड़कों की फीस खा गए और बर्खास्त कर दिए गए।

उनके रटाये उन सैकड़ों सुभाषितों, कहावतों और नीति वाक्यों में से कई के बारे में तब से अभी तक कई शंकाएं उठती रही हैं। एक कहावत है – 'लुक बिफोर यू लीप', यानी कूदने के पहले देख लो। मैं तभी सोचता था कि जो कूदने के पहले देख लेगा, वह क्या खाक कूदेगा? उसकी हिम्मत भी होगी? जिसे कूदना है, उसे बिना देखे ही कूद जाना चाहिए –'लीप बिफोर यू लुक!' एक और कहावत रटाई गयी थी ––'ए मैन इज नोन बाई द कंपनी ही कीप्स'। कहावत ठीक है। पर पीछे हमने ऐसे कई आदमी देखे जिनकी पत्नियाँ अनेक उल्लेखनीय और गोपनीय कारणों से चर्चा का विषय बन जाती हैं। एक ऐसे जोड़े को नजदीक से जानते थे।

पत्नी कितनी ही समितियों में जाती, भाषण देती और खूब नाम कमाती। पति महाशय को पहले कोई नहीं जानता था, पर अब तो सभी जानने लगे – 'फलां देवी के पति यही हैं।' तब हमें लगा ज्यादा ठीक कहावत यों होगी – 'ए मैन इज नोन बाई द वाइफ ही कीप्स!' एक और कहावत रटी थी – 'ब्लड इज थिकर दैन वाटर।' पिछले साल की बात है। एक सज्जन बड़े पूर्ण–कंठ (फुल थ्रोटेड) मार्क्सवादी थे। होटलों में बैठकर युवकों को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद समझाते थे। एक चुनाव में उनके बड़े भाई जनसंघ की ओर से चुनाव के लिए खड़े हुए। हमारे मार्क्सवादी भाई उम्मीदवार को छोड़कर प्रतिक्रियावादी भाई का प्रचार करने लगे। लोग हैरत में। कहते, – 'बड़ा आश्चर्य है! यह तो मार्क्सवादी था।' हम समझ गए, 'ब्लड इज थिकर दैन मार्क्सिस्म।'

एक सुभाषित जिसने अभी तक परेशान किया, वह है – 'लव दाई नेबर' – अपने पडोसी को प्यार करो। अच्छी बात है। करेंगे। पर क्यों? हर पडोसी को प्यार क्यों करें? यह हमारा पडोसी हमारे द्वार के सामने कचरा फेंकता है, उसे तो हम प्यार करें। और हमसे चौथे मकान में तहसीलदार का मुंशी रहता है। गौ आदमी है– उसे प्यार क्यों नहीं करें? ऐसे ही प्रश्न तब मेरे बाल मन में उठते थे। परेशान था कि आखिर इस सुभाषित का प्रयोजन क्या है? मेरे पड़ोस में मेरा सहपाठी प्रकाशचंद्र रहता था। वह गणित में बहुत होशियार था और मैं गणित में बहुत बुद्धु, क्योंकि मुझे तो लेखक के व्यर्थत्व संस्कार डालने थे। प्रकाश मुझे गणित के पर्चे में नकल कराता था। मुझे यह समझ में आया कि सुभाषित में पडोसी को प्यार करने की सलाह इसलिए दी गयी है कि यदि पडोसी गणित में होशियार हुआ और तुम कमजोर हुए, तो वह तुम्हे नकल करायेगा।

फिर एक दिन अचानक यह सुभाषित मेरी नजर से गिर गया। उस दिन सुना कि गणेश बाबू पिट गए। बड़ों की बातों से जाना कि वे पड़ोस में रहने वाली एक स्त्री से प्यार करने लगे थे। आज दोपहरी में वे उसकी हथेली अपने हाथ में लेकर उसका भाग्य पढ़ रहे थे कि इतने में उनका ही भाग्य–निर्णय हो गया। उसके भाई ने देख लिया, बाप को पुकारा और बाप बेटे ने गणेश बाबू को पीटा।

बेचारे गणेश बाबू ने इस महान सुभाषित के अनुसार ही काम किया था। 'नेबर' का अर्थ पडोसी भी होता है और पड़ोसन भी। गणेश बाबू ने 'नेबर' को प्यार किया। क्या गुनाह किया? फिर पिटे क्यों? सोचा, यह सुभाषित ही झूठा है। कहना यह चाहिए कि पडोसी को चाहे करो, पर 'पड़ोसन' से प्यार मत करो, नहीं तो किसी दिन उसके बाप भाई तुम्हारी मरम्मत कर देंगे। पता नहीं किसने, पडोसी को प्यार करने का यह सुभाषित गणेश

** आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध और महान व्यंग्यकार और लेखक।*

बाबू जैसे भोले आदमियों को मुसीबत में डालने के लिए बना दिया।

सुभाषित का सच्चा प्रयोजन तब भी मेरी समझ में नहीं आया था। सत्य देश–काल सापेक्ष तो होता ही है, अवस्था सापेक्ष भी होता है। मेरी अवस्था ज्यों–ज्यों बढ़ने लगी, त्यों–त्यों सत्य के नवीन–नवीन स्तर उभरने लगे। कॉलेज में पढता था, तब पिताजी ने मकान बदला। बदलने की क्रिया में एक कहावत और झूठी पड़ी। कहा है – 'टाइम इज मनी', समय ही धन है। पिताजी के पास समय ही समय था। धंधा बंद हो गया था इसलिए समय खूब था, काटे नहीं कटता था। पर 'मनी' धीरे–धीरे कम होता गया और आखिर हमारा निजी मकान बिका और हम किराए के मकान मे आये। पिताजी का टाइम 'मनी' बना ही नहीं, 'मनी' का दुश्मन ही बन गया। हमारे पड़ोस में एक तरुणी रहती थी – सुंदरी थी और ध्यान देने वाली थी। स्त्रियाँ दो प्रकार की होती हैं – ध्यान देने वाली और न ध्यान देने वाली। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहें हैं तो नतीजा इस बात पर निर्भर है कि आपके पड़ोस में ध्यान देने वाली स्त्री रहती है या ध्यान न देने वाली। मेरा रिजल्ट तो उसी दिन खुल गया जिस दिन मैंने देखा कि पड़ोसन ध्यान देने वाली है। मैंने अंग्रेजी, दर्शन, अर्थशास्त्र सब उसे समर्पित कर दिए और जब फेल हुआ, तब होश आया कि मैं कहावत के चक्कर में आ गया। पर कहावत का क्या दोष? अगर 'नेबर' सुन्दर है, तो बिना कहावत जाने भी उससे प्यार करना ही होगा। तो क्या यह सुभाषित कुरूपाओं के लिए प्रेमी की व्यवस्था करने के प्रयोजन से बनाया गया है?

मैंने कहा था कि अवस्था ज्यों–ज्यों बढ़ी, त्यों–त्यों सत्य के नए स्तर खुलने लगे और 'पडोसी से प्यार करो' में मुझे नए–नए प्रयोजन दिखने लगे।

लगभग दो साल पहले मैंने फिर मकान बदला। वहाँ आने के दूसरे ही दिन मैं बरामदे में बैठा सुबह का अखबार पढ़ रहा था कि इतने में बड़ी चौड़ी मुस्कान धारण किये पडोसी आये। बोले, ''नमस्कार! आ गए! बड़ा भाग्य है हमारा, जो आपके पड़ोस का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहा है ––

एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध।
तुलसी संगत साधू की, हरे कोटि अपराध।।''

मैं सोचने लगा साधू कौन है, मैं या वे। मैंने एक–दो नम्रतासूचक वाक्य कहे। फिर मौन। फिर मैंने कहा कि आज मौसम अच्छा है, कल खराब था, शायद कल और अच्छा रहे। फिर मौन। तब मैंने कहा यद्यपि मकान में कुछ असुविधाएं हैं, फिर भी सुविधाएं हैं। सामने मैदान नहीं है, पर मैदान भी किस काम का? खिड़कियां कम हैं, पर ज्यादा खिड़कियाँ होना भी ठीक नहीं! वे 'जी हाँ' कहकर सहमति जतलाते गए। फिर हम मौन! इस बार मौन तोडा। बोले, 'और क्या समाचार है?'

'सब ठीक है।' मैंने कहा।

वे अखबार की ओर देखते हुए बोले, 'वीटो तो हो गया।'

मैं मकान और मौसम की बात से एकदम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर कूद पड़ने को तैयार नहीं था। पूछा 'कैसा वीटो?'

वे बोले, 'सुरक्षा परिषद में कश्मीर संबंधी प्रस्ताव को रूस ने वीटो कर दिया न।'

मैंने कहा, 'हाँ–हाँ, कल के अखबार में पढ़ा था।'

वे बोले, 'हाँ, डिटेल्स आज के अखबार में होंगे। यह आज का ही अखबार है न? देखूं जरा।' मेरे हाथ से उन्होंने अखबार ले लिया और बोले, 'अच्छा आप 'फ्री प्रेस' लेते हैं। 'इट इज अ ग्रेट पेपर।' मैं पहले इसी को लेता था। 'उन्होंने उसे जरा देर उल्टा पलटा और सहसा उठकर खड़े हो गए। बोले, 'अभी घंटे भर में लौटा दूंगा।' और अखबार लेकर चल दिए ।

वे रोज सबेरे फरिश्ते की तरह मुस्कुराते हुए आते और नमस्कार करके पिछले दिन के समाचार का कोई प्रसंग उठा देते ––

'और क्या समाचार है?'

'सब ठीक है।'

'मोहम्मद अली तो हटा दिए गए!'

'हाँ कल पढ़ा तो था।'

'अब क्या हो रहा है पाकिस्तान में? आज के अखबार में होगा शायद। ये आज ही का है न! अभी घंटे भर में लौटाता हूँ।'

कभी कहते ——

'टीटो तो आ गए।'

'हाँ, परसों दिल्ली पहुंचे।'

'पंडित जी से बातें हो रही होंगी। आज तो अखबार में आया होगा। देखूं जरा। अभी घंटे भर में भेजता हूँ।'

बीच में मैंने 'फ्री प्रेस' बंद करके 'अमृत बाजार पत्रिका' लेना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा तो बोले, 'अरे आप 'पत्रिका' लेने लगे। वाह! इट इज अ ग्रेट पेपर! मैं पहले इसी को लेता था।'

वे मुझे बेहद प्यार करते थे। सबेरे मुस्कुराते हुए आते, प्रेम से मेरा हाल– चाल पूछते, दो घड़ी बैठते! वे धीरे–धीरे मेरी झंझटें कम करते गए। अब वे अखबार वाले को रोककर पहले ही अखबार ले लेते और फिर पढ़कर मेरे पास लाते और बतला देते क्या–क्या खास बात पढ़ने लायक है। इस तरह व्यर्थ का बहुत–सा पढ़ने से मुझे बचा लेते। कभी–कभी उनके बच्चे भी अपने ढंग से अखबार पढ़ डालते, तब वे मेरे पास आकर कहते, 'स्साले बच्चों ने अखबार फाड़ डाला। मेरी तो नाक में दम है। खैर कोई खास बात नहीं थी। मुख्य समाचार ये थे ——।' वे समाचार सुना जाते। इस तरह मुझे पढ़ने का परिश्रम नहीं करना पड़ता। फिर वे शाम को अखबार दुबारा बुलाने लगे। फिर यह सोचकर कि पुराने बेकार अखबार को वापिस करके मेरे छोटे कमरे में क्यों कचरा जमा करूँ, वे अखबार अपने ही घर रखते जाते। जब काफी अखबार जमा हो जाते, तो वे बेचारे खुद कबाड़ी को बेच देते और यह सोचकर कि मुझ साधू को माया में फंसाना ठीक नहीं, पैसा भी खुद ही रख लेते।

मैं दो साल उनका पड़ोसी रहा। इस अवधि में मेरे सामने उस सुभाषित 'लव दाई नेबर' का एक और नया प्रयोजन खुला —— पड़ोसी को क्यों प्यार करें? इसलिए कि उसका अखबार माँगकर पढ़ सकें और उसकी रद्दी बेच सकें। जिस महापुरुष ने इस सुभाषित को बनाया वह महान भविष्यदृष्टा रहा होगा। वह जानता था, आगे चलकर अखबार निकालेंगे और तब पड़ोसी का अखबार पढ़ने का प्रसंग उपस्थित होगा। उस समय यह सुभाषित मानवता के काम आएगा।

वैसे अखबार माँगने वालों से दुनिया अच्छा सुलूक नहीं करती। उन प्रेमी आत्माओं से चिढ़ती है। पर मेरा विश्वास है कि अखबार मांगने वाले पड़ोसी से बढ़कर आपका शुभचिंतक दूसरा नहीं। वह आपके दीर्घ जीवन की कामना करता है, जिससे वह आजीवन आपका अखबार पढ़ सके। वह आपसे पहले संसार से विदा होना चाहता है, ताकि वह एक दिन भी बिना अखबार पढ़े इस दुनिया में न जिए। मेरा विश्वास है कि लम्बी उम्र के लोगों के जीवन का अध्ययन किया जाए, तो मालूम होगा कि पड़ोसियों को अखबार देने वाले लोग ही लम्बी उम्र पाते हैं।

अखबार माँग लेना और उसे रखे रहना कोई अनैतिक काम नहीं है। असल में इन चीजों की नैतिकता दूसरे किस्म की होती है जिसे ए.जी. गार्डनर ने 'अम्ब्रेला मॉरल्स' कहा है। 'छाते की नैतिकता' यह है कि पानी गिरते में आप अपने दोस्त का छाता ले गए और फिर लौटाया नहीं, तो यह हड़पना नहीं हुआ। आप लौटाना भूल गए। बस! किसी की पुस्तक माँगकर पढ़ने के बाद हम उसे लौटाते नहीं हैं। हम क्या उसकी पुस्तक दबा लेते हैं? नहीं! हम महज उसे लौटाना भूल जाते हैं। इस नैतिकता का मसीहा वह आदमी था जो अपने दोस्त को अपना पुस्तकालय दिखाने ले गया। हजारों बढिया पुस्तकें थीं। मित्र देखकर दंग रह गया। बोला, 'बड़ा भारी स्टॉक है आपके पास पुस्तकों का! पर ये ऐसी बेतरतीब पड़ी हैं। इन्हें आप अलमारियों में रखिये।' जवाब मिला, 'सो कैसे हो सकता है? पुस्तकें तो माँगने से सब दे देते हैं, पर कोई अलमारी तो देता नहीं है।' इस नैतिकता का पालन करने वाले बड़े–बड़े धर्मात्मा होते हैं। गार्डनर ने ही कहा है कि एक श्रेष्ठ धर्मोपदेशक पादरी पहले दर्जे के डिब्बे में मरे पाये गए। जब उनकी तलाशी ली गयी तो उनकी जेब में तीसरे दर्जे का टिकट निकला।

अखबार मांगकर रोज पढ़ना और उसकी रद्दी बेच लेना कोई गलत काम नहीं है। यह प्रेम प्रकट करने का तरीका है। अब अगर कोई कहता है कि उसका पड़ोसी उससे प्यार करता है, तो मैं एकदम समझ जाता हूँ कि वह रोज इसका अखबार पढ़ता होगा।

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

योगः भारत की प्राचीन धरोहर

राजेश कुमार कर्ण*

आज के तेज गति वाले जीवन में योग मन, शरीर, बुद्धि और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित कर व्यक्ति के जीवन में शांति का संचार करता है। योग व्यक्ति को परिवार से जोड़कर खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करता है। परिवारों को समाज के प्रति संवेदनशील बनाकर सामाजिक सद्भाव को सुदृढ़ करता है। यही समाज राष्ट्र की एकता का आधार बनता है और विश्व में शांति तथा सौहार्द का संदेश प्रसारित करता है। इस प्रकार योग व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ने का कार्य करता है।

भारत में योग की परंपरा लगभग 5,000 वर्ष पुरानी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा की मान्यता ने इसे वैश्विक पहचान प्रदान की। इसके साथ ही योग से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों का भी विस्तार हुआ और स्वास्थ्य के साथ–साथ आर्थिक सशक्तिकरण को भी नई गति मिली। आज योग भारत की वैश्विक पहचान बन चुका है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। बेशक, योग दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव बन गया है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य आयोजन 21 जून, 2026 को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में संपन्न हुआ। इस वर्ष के आयोजन का विषय 'स्वस्थ्य वृद्धावस्था के लिए योग' है, जो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण और स्वस्थ वृद्धावस्था को बढ़ावा देने में योग की भूमिका को दर्शाता है।

'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। 2014 में अलग से आयुष मंत्रालय बनाकर स्वास्थ्य सेवाओं में आयुर्वेद के साथ योग और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को एकीकृत करने की पहल की गई। वहीं भारत के प्रयासों की वजह से दुनिया में 21 जून 2015 से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई। योग हमारी सभ्यता की पहचान है जो हमें हर तरह से सेहतमंद रखता है।

'योग' आज सभी उम्र के लोगों के शरीर, ऊर्जा, मस्तिष्क और मनोभाव की पहचान बन गया है। यह धर्म, संप्रदाय, जाति, अमीर–गरीब, देशों को अलग करने वाली सीमा रेखा के पार समूचे विश्व की एक भाषा बन गया है। योग की इसी विशेषता पर संस्कृत के महान कवि भर्तृहरि ने सदियों पहले अपने शतकत्रयम् में लिखा था–

धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी
सत्यं सूनुरयं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः।
शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं
एते यस्य कुटिम्बिनः वद सखे कस्माद् भयं योगिनः।।

अर्थात नियमित योगाभ्यास करने पर कुछ अच्छे गुण सगे–संबंधियों और मित्रों की तरह हो जाते हैं। योग करने से साहस पैदा होता है जो सदा ही पिता की तरह हमारी रक्षा करता है। क्षमा का भाव उत्पन्न होता है, जैसा मां का अपने बच्चों के लिए होता है और मानसिक शांति हमारी स्थायी मित्र बन जाती है। भर्तृहरि ने कहा है कि नियमित योग करने से सत्य हमारी संतान, दया हमारी बहन, आत्मसंयम हमारा भाई, स्वयं धरती हमारा बिस्तर और ज्ञान हमारी भूख मिटाने वाला बन जाता है। जब इतने सारे गुण किसी के साथी बन जाएं तो योगी सभी प्रकार के भय पर विजय प्राप्त कर लेता है।

दरअसल, मुफ्त में कहीं भी स्वास्थ्य बीमा नहीं होता है, लेकिन योग स्वास्थ्य की एकमात्र ऐसी गारंटी है जो जीरो बजट में स्वास्थ्य का भरोसा देता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, 'इस शताब्दी में हम अनुभव कर रहे हैं कि योग ने विश्व को जोड़ दिया है। जैसे योग शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा को जोड़ता है, वैसे ही योग आज विश्व को भी जोड़ रहा है। हर कोई चाहता है कि तनाव मुक्त जीवन हो, बीमारी से मुक्त हो, प्रसन्न हो, इन सबको किसी एक मार्ग से पाया जा सकता है, तो वह मार्ग है योग का। एक संपूर्ण

* *आशुलिपि सहायक, ग्रेड I, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा*

जीवन को संतुलित रूप में कैसे जिया जा सकता है। तन से, मन से, विचारों से, आचारों से स्वस्थ होने की अंतर्यात्रा कैसे चले वह अनुभव करना है तो योग के माध्यम से हो सकता है।'

योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि स्वयं के साथ, विश्व और प्रकृति के साथ एकत्व खोजने का भाव है। प्रधानमंत्री बनने के महज चार महीने के भीतर पीएम मोदी ने 27 सितंबर 2014 को योग को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने की पहल की, जिसे दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकृत कर 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी।

योगःकर्मसु कौशलम।। अर्थात, कर्म की कुशलता ही योग है। यह मंत्र सदा हमें सिखाता है कि योग के द्वारा जीवन में अधिक योग्य बनने की क्षमता पैदा होती है। अगर हम अपना काम अनुशासन से करते हैं, अपना दायित्व निभाते हैं, तो भी यह एक तरह का योग ही है। इसी मंत्र को साकार करते हुए योग को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाकर भारत ने सॉफ्ट पावर के रूप में अपनी पहचान बनाई है, तो योग को कर्मयोग से जोड़कर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के तौर पर विकास की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, ''जब हम योग से चलते हैं, कर्मयोग की भावना से चलते हैं, तो व्यक्ति, समाज और देश के तौर पर हमारी शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है। हमें इसी भावना से संकल्प लेना है– हम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनों के स्वास्थ्य के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। एक सजग नागरिक के रूप में हम एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे।''

100 जिलों में किए गए बहु केंद्रीय, राष्ट्रव्यापी शोध अध्ययन में पाया गया कि मधुमेह को नियंत्रित करने में योग प्रभावी है। योग का अभ्यास करने वाले रोगियों में कैंसर के पुनः उत्पन्न होने का जोखिम करीब 15 प्रतिशत तक कम हुआ। न्यूरोलॉजी जर्नल इन माइग्रेन में प्रकाशित एक शोध के अनुसार प्री डायबिटिक रिवर्सल भी योग से संभव है और अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने भी इस अध्ययन की सराहना की थी।

आज समय है कि योग से जुड़ी अनंत संभावनाओं को साकार किया जा सकता है। युवा बड़ी संख्या में योग के क्षेत्र में नए–नए विचारों के साथ आ रहे हैं। इस दिशा में आयुष मंत्रालय ने 'स्टार्टअप योगा चैलेंज' भी शुरू किया। आयुष इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत ये है कि इसमें हर किसी के लिए अलग–अलग तरह के अवसर उपलब्ध हैं। उदाहरण के तौर पर, आज भारत में आयुष के क्षेत्र में करीब 40 हजार एमएसएमई यानी लघु उद्योग अनेक विविध उत्पाद दे रहे हैं और अनेक पहल कर रहे हैं। इनसे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ी ताकत मिल रही है।

12 साल पहले देश में आयुष इंडस्ट्री करीब–करीब 20 हजार करोड़ रुपये के आस–पास ही थी, जबकि आज आयुष इंडस्ट्री करीब–करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये के आस–पास पहुंच रही है। आने वाले समय में इसका ग्लोबल मार्केट में और बड़ा विस्तार होगा। आज ग्लोबल हर्बल मेडिसिन और स्पाइसेस का मार्केट 120 अरब डॉलर यानी करीब–करीब 10 लाख करोड़ रुपये के आस–पास का है। ट्रेडिशनल मेडिसिन का यह सेक्टर निरंतर विस्तार ले रहा है। इसकी हर संभावना का पूरा लाभ उठाने के लिए भारत तैयार है। इसमें युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के सहयोग से वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया है।

भारत, डब्ल्यूएचओ के इस वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र जैसी पहल के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा में स्वयं को वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित कर रहा है। यह केंद्र पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने और उस पर अनुसंधान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह वैश्विक स्तर पर साक्ष्य–आधारित पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा (टीसीआईएम) के लिए एक महत्वपूर्ण ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करता है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने एम्स की तर्ज पर तीन और नए आयुर्वेद संस्थान बनाने की घोषणा की है।

आयुर्वेद की बढ़ती लोकप्रियता का एक और बड़ा पक्ष योग टूरिज्म भी है। योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि स्वयं के साथ, विश्व और प्रकृति के साथ एकत्व खोजने का भाव है। जब 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाने का अनुमोदन किया गया और 193 सदस्यों वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र महासभा

में 177 सह समर्थक देशों की रिकॉर्ड सर्वसम्मति प्राप्त हुई तब अपने प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार किया– 'योग स्वास्थ्य और कल्याण हेतु एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। जीवन के सभी क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित करता है इसलिए विश्व की आबादी में स्वास्थ्य के लिए योग अभ्यास के लाभों की जानकारी का व्यापक प्रसार फायदेमंद होगा।' इसी के साथ भारत में समग्र स्वास्थ्य क्रांति के एक नए युग का सूत्रपात हुआ, जो उपचार से ज्यादा रोकथाम के सिद्धांत पर आधारित है। जब संयुक्त राष्ट्र में योग के लिए भारत ने प्रस्ताव रखा, तो संयुक्त राष्ट्र का रिकॉर्ड है कि यह पहला ऐसा प्रस्ताव बना जिसे दुनिया के अधिकांश देशों ने सहभागी के रूप में स्वीकार किया। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे कम समय में स्वीकृति होने वाला प्रस्ताव भी बना।

योग के प्रचार और प्रसार में प्रशिक्षण का खास महत्व है। इसी को देखते हुए आयुष मंत्रालय की ओर से मोरारजी देसाई योग संस्थान सहित अन्य संस्थानों में विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

देश में इस समय 183 से अधिक विश्वविद्यालयों में योग पर पाठ्यक्रम शामिल किया गया है। ये विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। योग प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण के लिए ही योग प्रमाणन बोर्ड या वाईसीबी का गठन किया गया था। वाईसीबी के मुताबिक अब तक 9,600 से अधिक एसेसमेंट, 480 से अधिक परीक्षाएं, 14 से अधिक भाषाई परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं। साथ में 56 से अधिक देशों के परीक्षार्थियों का मूल्यांकन किया जा चुका है। एक जानकारी के मुताबिक इस समय विश्व में करीब तीन करोड़ योग साधक हैं। इस दशक के अंत तक इनकी संख्या 3.50 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। वर्तमान में योग प्रमाणन बोर्ड की गतिविधियों में योग पेशेवरों का प्रमाणीकरण, योग संगठनों का सत्यापन, योग पेशेवरों के प्रमाणन निकायों का अनुमोदन और प्लेसमेंट मानकों के अनुसार योग संगठनों की ग्रेडिंग शामिल है। इसी के साथ विदेशों में स्थित विश्वविद्यालयों में भी योग विभाग शुरू किए गए हैं। पिछले पांच सालों में दुनिया भर में योग विद्यालयों और योग स्टूडियो में भी खासी वृद्धि हुई है। योग ने अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की टॉप–10 सूची में 7वां स्थान पाया है। योग को अब भारत सरकार ने प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दे दी है।

आजादी के बाद भारत में जन स्वास्थ्य के कार्यक्रमों में योग को जोड़ने के प्रयास तो हुए लेकिन ये इतने धीमे थे कि योग को उस दौर में वो पहचान नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। 1976 में पहला केंद्रीय योग अनुसंधान संस्थान (अब मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान) बनाया गया। 1978 में केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई। वर्ष 2003 में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी का नाम बदलकर आयुष विभाग कर दिया गया। लेकिन, असल शुरुआत हुई 9 नवंबर 2014 को जब आयुष क्षेत्र के लिए अलग से आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के साथ योग को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली तो यह विश्वभर में एक जनांदोलन के तौर पर उभरा। इतना ही नहीं, फरवरी 2016 में सरकार ने एक खास बोर्ड (राष्ट्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड) बनाया। इसके तहत देश में योग की ट्रेनिंग को बेहतर बनाने के लिए एम्स और आईआईटी जैसे बड़े संस्थानों के विशेषज्ञों को भी साथ जोड़ा गया है। हर साल विश्व योग दिवस के आयोजन में भारत अहम भूमिका निभाता है। नोडल मंत्रालय के रूप में आयुष मंत्रालय इसके लिए सामान्य योग प्रोटोकॉल भी जारी करता है। आशा कार्यकर्ताओं को योग प्रशिक्षण देकर उनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में योग के प्रचार–प्रसार के लिए कदम उठाया गया है।

योग को पहली बार प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता देने के लिए आयुश मंत्रालय और खेल मंत्रालय ने मिलकर पहल शुरू की है। योग को 'फिट इंडिया मूवमेंट' का हिस्सा बनाया गया। योग की पढ़ाई अब समय की मांग है। इसी को देखते हुए एनसीईआरटी ने कक्षा 1 से 10 तक के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के साथ योग को शामिल किया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 12,500 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से देश भर में योग प्रशिक्षण पर फोकस किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में ''आज की आपाधापी और तेज भागती जिंदगी में योग मन, शरीर और बुद्धि के साथ आत्मा को जोड़कर व्यक्ति के जीवन

में शांति लाता है। व्यक्ति को परिवार से जोड़कर परिवार में खुशहाली लाता है। परिवारों को समाज के प्रति संवेदनशील बना कर समाज में सद्भावना लाता है। समाज राष्ट्र की एकता के सूत्र बनते हैं। ऐसे राष्ट्र विश्व में शांति और सौहार्द लाते हैं। मानवता, बंधुभाव से पल्लवित और पोषित होती हैं। यानी योग व्यक्ति–परिवार–समाज–देश–विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता है।''

भारतीयों के लिए यह गौरव की बात है कि आज देहरादून से लेकर डबलिन तक, शंघाई से लेकर शिकागो तक, जकार्ता से लेकर जोहानिसबर्ग तक, योग ही योग है। हिमालय के हजारों फीट ऊंचे पर्वत हों या फिर धूप से तपता रेगिस्तान, योग हर परिस्थिति में, हर जीवन को समृद्ध कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, 'जब तोड़ने वाली ताकतें हावी होती है तो बिखराव आता है। व्यक्तियों के बीच, समाज के बीच और देशों के बीच बिखराव आता है। समाज में दीवारें खड़ी होती हैं, परिवार में कलह बढ़ता है और यहां तक कि व्यक्ति अंदर से टूटता है और जीवन में तनाव बढ़ता जाता है। इस बिखराव के बीच योग जोड़ता है। जोड़ने का काम करता है।'

योग के कारण अनेक नए–नए योग संस्थान विकसित हो रहे हैं। योग प्रशिक्षकों की मांग बढी है। योग के संस्थानों में भी आज युवा एक पेशे के रूप में इसे स्वीकार कर स्वयं को तैयार कर रहे हैं। दुनिया के देशों में भारतीय योग प्रशिक्षकों की मांग बढ़ रही है। विश्व में एक नए रोजगार का बाजार योग ने तैयार कर दिया है। इन सभी में भारत के लोगों की प्राथमिकता दुनिया में सबसे पहले रहती है। कुछ वर्ष पूर्व ही यूनेस्को ने भी भारत के योग को मानव संस्कृति की एक अमर विरासत के रूप में मान्यता दी है। विश्व के संगठन स्कूलों, कॉलेजों में योग की ट्रेनिंग को हिस्सा बना रहे हैं। आज भारत में भी कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने योग को शिक्षा का एक उपक्रम बनाया है ताकि भावी पीढ़ी सदियों पुराने इस विज्ञान से परिचित हों, उसके अभ्यासु बनें और वे उनके जीवन का हिस्सा बनें।

योग की वैश्विक मान्यता ने भारत को एक सॉफ्ट पावर के रूप में पहचान दी है। किसी देश की बौद्धिक एवं सांस्कृतिक शक्ति (सॉफ्ट पावर) उसके समाज की रचनात्मक आकांक्षाओं को दर्शाती है और सरकार उसे आगे बढ़ाने में ही मदद कर सकती है। 2014 से पहले भी लोग विदेशों में योग करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से जब संयुक्त राष्ट्र ने इसे 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' घोषित किया, तब यह एक वैश्विक उत्सव बन गया। आज यह दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है।

योग की शुरुआत भारत में हुई थी, यह ऐसी तकनीक है, जो कोई भी मुफ्त में प्रयोग कर सकता है। पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग की विशेषताओं और लाभ का जोर–शोर से प्रचार कर इसे विश्व स्तर पर मान्यता दिलाई। आज योग दुनिया में भारत की शक्ति के तौर पर दिखाई देता है। यह जनता की भलाई का वो वरदान है, जो भारत ने दुनिया को दिया है। 190 से ज्यादा देशों में अब अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की व्यापकता ने प्रत्येक नागरिक को यह अनुभूति कराई है कि राष्ट्र निर्माण की हर प्रक्रिया, हर गतिविधि से जुड़ने के लिए हम सभी का स्वस्थ रहना आवश्यक है। इसमें शायद ही किसी को संदेह होगा कि बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के कारण जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, जिसने भारत की विकास की गति को तेज किया है। बढ़ती हुई कार्यक्षमता कर्मयोग में बदल गई है। स्वस्थ जीवन देश की आर्थिक सेहत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जीवन जीने की औसत आयु में एक साल की भी बढ़ोतरी होती है तब देश की जीडीपी में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होती है।

भारत में योग का इतिहास करीब 5 हजार साल पुराना है। योग करते हुए चित्रों के साथ सिंधु–सरस्वती घाटी सभ्यता के अवशेष एवं मुहरें भारत में योग की मौजूदगी का संकेत देती हैं।

राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत के 2.5 करोड़ परिवारों में प्रतिदिन कम से कम एक व्यक्ति योग करता है। योग की वैश्विक लोकप्रियता के चलते पिछले दशक में अंतरराष्ट्रीय योग बाजार में 5 गुणा की वृद्धि हुई है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2015 से मनाने की शुरुआत हुई, तब यह तेजी से विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य

आंदोलनों में से एक बन गया। अब भारत सरकार इसे एक दिवसीय उत्सव की बजाय दैनिक आदत बनाना चाहती है। इसी उद्देश्य से योग 365 की शुरुआत की गई है। इसका लक्ष्य व्यक्तियों, संस्थानों और समुदायों को पूरे वर्ष नियमित रूप से योग से जोड़ना है। नियमित जनभागीदारी, संस्थागत सहयोग और डिजिटल माध्यमों के उपयोग से योग 365 स्वास्थ्य और कल्याण को सभी के लिए सुलभ, समावेशी और आदत आधारित बनाने का प्रयास है। सरकार ने इस पहल के तहत निःशुल्क ऑनलाइन योग सत्र के लिए एक समझौता भी किया है। इसमें प्रतिदिन सरल योग सत्र आयोजित किए जाते हैं।

डॉ. सत्यप्रकाश मिश्र ने ठीक ही लिखा है कि योग की सार्थकता तभी है, जब वह किसी दिन विशेष या उत्सव–आयोजन का निमित्त मात्र बनकर ही न रह जाए। दैनिक अभ्यास से ही उसके लाभों की अनुभूति की जा सकती है। याद रहे कि योग ही स्वस्थ तन एवं मन का आधार है। घनिष्ठ संबंध होने से योग जीवन की बाह्य यात्रा भी है और अंतर्यात्रा भी। महर्षि पतंजलि ने योग का निरूपण करते हुए यम, नियम आदि जिन आठ अंगों का उल्लेख किया है, वे अभ्यास द्वारा मन को नियंत्रित कर आनंदस्वरूप परमात्मा से संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। अतः योग अंतःकरण की चित्तवृत्तियों का निरोध कर परमात्मा से संबंध का आधार और आनंद प्राप्ति का साधन है। योग द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से मानव की समस्त क्रियाविधियां लोकमंगलकारिणी हो जाती हैं। इस पथ पर उसे अपूर्व शांति मिलती है। अन्यथा सांसारिक यात्रा में चंचल मन के रहते अनुचित इच्छाएं शरीर ही नहीं, मन को भी रुग्ण कर देती हैं, जिससे शरीर व्याधियों का भंडार बन जाता है। विधि की अनुपम सृष्टि स्वयं पंचतत्वों के योग का प्रतिफलन है। इसलिए इसमें सर्वत्र योग के दर्शन होते हैं। मुख में तालु आदि अवयवों के योग से ध्वनियों का प्रस्फुटन, उनके योग से शब्द एवं वाक्यों का निर्माण योग का ही परिणाम है। जैसे शब्द अर्थ का मंजुल संयोग मंगलकारी साहित्य का सृजन करता है, वैसे ही जीवन का सर्वविध मंगल भी योग के साहचर्य से संभव होता है। गीता में 'युक्ताहार विहारस्य' के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण ने सबके लिए योग साधना का सरल और सहज मार्ग प्रशस्त किया है। उचित आहार, विहार, स्वप्न, जागरण, चेष्टाएं एवं कर्म, न केवल स्वस्थ जीवनशैली, अपितु सभी दुखों की निवृत्ति के हेतु हैं। जहां मन, विचार एवं उत्तम कर्मों का योग होगा, वहीं सुख, शांति और सौंदर्य का वास होगा। अतः योग–साहचर्य सभी के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए।

श्री गिरीश्वर मिश्र, दर्शनशास्त्री ने ठीक ही लिखा है कि शास्त्रों में उल्लेख है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ के लिए आरोग्य उत्तम मूल यानी मुख्य आधार है। इसका निहितार्थ यही है कि तन और मन में संतुलन बना रहे। आरोग्य यानी निरोगी रहना विकारों से मुक्त रहना है। यही हमारा स्वभाव है और उसे बनाए रखना हर प्राणी का कर्तव्य होता है। प्रकृति ने हमारी संरचना इसी प्रकार से तैयार की है, लेकिन आज के प्रतिस्पर्धी युग में उसके अनुरूप जीवन संचालन में समस्याएं आ रही हैं। विकार उत्पन्न हो रहे हैं। विकार बाधक होते हैं, जो आगे बढ़ने में रोड़ा तो अटकाते ही हैं, साथ ही हमारी शक्ति और ऊर्जा का अपव्यय भी करते हैं। इससे हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से भटकता है। आज के तेजी से डिजिटल हो रहे युग में बच्चे–बूढ़े सभी आमतौर पर ध्यान के भटकाव की शिकायत करते मिलते हैं। उनका चित्त स्थिर नहीं रह पाता है। इसके फलस्वरूप कोई काम ठीक से नहीं हो पाता और स्मृति भी कमजोर पड़ने लगती है। दूसरी ओर यह सबका अनुभव है कि ध्यानावस्थित या दत्तचित्त होकर ही कोई कार्य सिद्ध किया जा सकता है। 'ध्यान देना' और कुछ नहीं, अपनी चेतना के सतत प्रवाह को एक दिशा में ले जाना है। हम ध्यान को किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना में केंद्रित या फोकस करते हैं। इसी क्रम में अंतरजगत और बाह्य जगत के साथ तालमेल बैठाना यानी ठीक तरह और ठीक जगह जोड़ना जुड़ना आज की सबसे बड़ी चुनौती हो रही है। आज पूरे विश्व में मनोरोगियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। ऐसे में योग–शास्त्र और उसकी साधना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।

योग का अर्थ है जुड़ना, परंतु हर तरह का जुड़ना आकस्मिक या जानबूझकर मिलने का संयोग हो सकता है। योग विद्या के आलोक में अंतर और बाह्य जगत के साथ हमारा रिश्ता नया ओजस्वी अर्थ प्राप्त कर लेता है। यम और नियम नैतिक जीवन जीने की प्रक्रिया बताते हैं तो आसन शरीर का रख–रखाव और उसकी

योग मन को शांत करने का अभ्यास है। – महर्षि पतंजलि

योग का सफर खुद को समझने का सफर है। – भगवद गीता

योग संगीत के समान है। शरीर की लय, मन की धुन और आत्मा का सामंजस्य जीवन का संगीत रचते हैं। – बी. के. एस. अयंगर

योग हमें जीवन की जटिलताओं को सरलता से स्वीकार करना सिखाता है। – श्री अरबिंदो घोष

योग एक प्राचीन कला है, जो आज भी हमें सुकून और संतुलन सिखाती है। – स्वामी सत्यानंद सरस्वती

क्षमता को संवर्धित करने का काम करते हैं। प्राणायाम हमारे श्वास और प्राणिक ऊर्जा को व्यवस्थित करते हैं। प्रत्याहार बाह्य दुनिया के साथ विवेकपूर्ण संबंध को नियमित करता है। ध्यान, धारणा और समाधि अंतरंग योग हैं, जो चेतना के परिष्कार को संभव बनाते हैं। इसीलिए महर्षि अरविंद कहते हैं कि पूरा जीवन ही योग है। वे योग को समग्र जीवन–दर्शन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सबसे जुड़कर ही अच्छी तरह से जीना संभव हो पाता है। उसके लिए आवश्यक तैयारी भी अनेक स्तरों पर करनी होती है। योग के जिस स्वरूप को महर्षि पतंजलि ने 'योग–सूत्र' में प्रस्तुत किया था, वह इसी तैयारी का मॉडल या नक्शा है। उसे अष्टांग योग कहकर वे यही कहना चाहते थे कि जैसे सभी अंगों से मिलकर शरीर बनता है, उसी तरह योग भी अनेक पक्षों से मिलकर बना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि सबको मिलाकर ही योग की रचना पूर्ण होती है। किसी एक अंग (जैसे–आसन या प्राणायाम) मात्र को ही योग कहना अतिव्याप्त करने वाली बात है।

योग वस्तुतः स्वयं को नियमित एवं व्यवस्थित करने की ऐसी पद्धति है, जो हमें अपना वास्तविक स्वरूप वापस दिलाती है। योग की यात्रा के साथ हम अपने दृश्य को दृश्य के रूप में और स्वयं को द्रष्टा के रूप में ग्रहण करना शुरू करते हैं। दृश्य के मजबूत बंधनों से छुटकारा पाना आसान नहीं है। हमारा चंचल मन तो सदैव दृश्य की ओर ही खिंचा रहता है। उसे दृश्य से वापस लेने या प्रत्याहार के लिए हमारे द्वारा सजग चेष्टा जरूरी होती है। गीता की मानें तो उसके लिए गहन अभ्यास और दृश्य विषय के प्रति आकर्षण कम करना होगा। उसके साथ बर्ताव तो करना होगा, परंतु आंखें मूंदकर नहीं, अपितु विवेक के साथ। उसके साथ हमें अनासक्त भाव से व्यवहार करना होगा। आंख, कान और नाक आदि स्वभाववश देखने, सुनने और सूंघने का काम तो करेंगे, पर क्या और कितना देखें, सुनें और सूंघें, यह इन ज्ञानेंद्रियों या बाहर उपस्थित विषयों पर नहीं छोड़ा जा सकता। यह यांत्रिक ढंग से नहीं चलना चाहिए। आज जिस तरह बाजार हमारी जरूरतों को बता रहा है और हमें निर्देशित कर रहा है, वह सबके अनुभव का विषय है।

भौतिक दुनिया के हमारे ज्ञान और आविष्कार की बदौलत आज हमारा दृश्य जगत तीव्र गति से अत्यंत गतिशील और निरंतर बदलने वाला होता जा रहा है। उसे देख और उससे जुड़ने के बाद जो रोमांच होता है, वह हमें अस्थायी दृश्य में सत्य के आभास देने के साथ उसे और दृढ़ता से बांधने वाला होता जा रहा है। भावी दृश्यों की श्रृंखला की कल्पना हमें उसकी अनित्यता, अस्थायित्व या मिथ्यापन को ढक लेती है। ऐसे दृश्य सतत अशांति को पैदा करते हैं, पर हमारी मजबूरी यह है कि दृश्य से बंधकर हम उनको क्लेश भी नहीं समझते, क्योंकि ऊपर से वे बड़े प्रिय लगते हैं। दृश्यों की विकराल विकट छाया हम पर इस तरह हावी होती जाती है कि हम उसी में खो जाते हैं। योग इस महारोग का उपचार है, जो हमें हमारी अपनी समझ वापस लौटाता है। वह हमें पुनः अपने स्वरूप में यानी द्रष्टा की भूमिका में स्थापित करता है।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा राजभाषा समारोह का आयोजन

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान राजभाषा नीति का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के अतिरिक्त राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर रहा है। संस्थान के स्टाफ सदस्यों को राजभाषा नीति तथा उसके और भी बेहतर कार्यान्वयन के प्रति उन्मुख करने के उद्देश्य से संस्थान द्वारा शुक्रवार, 29 मई 2026 को राजभाषा समारोह का आयोजन किया गया। महानिदेशक महोदय की अनुपस्थिति में, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक ऑनलाइन बैठक में प्रतिभाग कर रहे थे, राजभाषा समारोह का उद्घाटन डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो ने किया। राजभाषा समारोह के अवसर पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के विशेष रूप से आमंत्रित माननीय सदस्यों श्री पी. एल. कोठारी एवं डॉ. वी. के. अग्रवाल का औपचारिक स्वागत करने के बाद डॉ. उपाध्याय ने सभागार में उपस्थित अतिथियों एवं स्टाफ सदस्यों को संस्थान में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों एवं उपलब्धियों से अवगत कराया। तत्पष्चात, श्री बी. एस. रावत, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने अतिथि वक्ताओं का संक्षिप्त परिचय दिया।

मुख्य व्याख्यान श्री पी. एल. कोठारी द्वारा दिया गया। राजभाषा हिन्दी के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा – 'भारत में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं, लेकिन हिन्दी एक ऐसी भाषा है जिसे अधिकांश लोग समझते हैं। हिन्दी देश के विभिन्न राज्यों के लोगों के बीच संवाद का माध्यम बनती है। यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करती है। राजभाषा हिन्दी के प्रयोग से सरकारी योजनाओं, नियमों और नीतियों को आम जनता तक सरलता से पहुंचाया जा सकता है और जब प्रशासन जनता की भाषा में कार्य करता है, तब लोगों की भागीदारी और विश्वास दोनों बढ़ते हैं।' डॉ. वी. के. अग्रवाल ने एक विशेष व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों से जुड़े किस्से साझा करते हुए कर्मचारियों को अपना अधिकाधिक कार्य राजभाषा हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा – 'हिन्दी में कार्य करते समय इस बात की जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई शब्द किस संदर्भ में प्रयोग किया जा रहा है। अगर कहीं पर किसी शब्द विशेष के अनुवाद से संबंधित कोई समस्या आती है तो आप उसका लिप्यंतरण कर सकते है। ध्यान यह रहे कि उसे देवनागरी लिपि में सही से लिखा जाए।'

अतिथि वक्ताओं के व्याख्यानों के बाद सरकारी कामकाज को मूल रूप से हिन्दी में करने हेतु संस्थान में लागू प्रोत्साहन योजना वर्ष 2025–26 के विजेता प्रतिभागियों को मंचासीन अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। विजेता प्रतिभागियों के नाम इस प्रकार हैं: प्रथम पुरस्कार (रु. 5000/– प्रत्येक) – श्रीमती मंजू एवं श्री

दीपक मोर; द्वितीय पुरस्कार (रु. 3000/– प्रत्येक) – श्री नरेश कुमार, श्री नितिन कुमार एवं श्रीमती गीता अरोड़ा; और तृतीय पुरस्कार (रु. 2000/– प्रत्येक) – श्री राजेश कुमार कर्ण, श्री दिगम्बर सिंह बिष्ट, श्री सुधीर कुमार, श्री सतीश कुमार एवं श्री सौरभ कुमार सिंह। इसके साथ ही, श्री कृष्ण कुमार, श्री बलजीत सिंह, श्रीमती राजेश्वरी एवं श्री आकाश कुमार को प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ऑनलाइन बैठक सम्पन्न होने पर महानिदेशक राजभाषा समारोह में पहुंचे और उन्होंने मंचासीन अतिथियों एवं संकाय सदस्यों के साथ मिलकर संस्थान की राजभाषा पत्रिका 'श्रम संगम' के 22वें अंक का लोकार्पण किया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने संस्थान में राजभाषा नीति के सुचारु कार्यान्वयन और राजभाषा नियम एवं अधिनियम के समुचित अनुपालन पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा स्टाफ सदस्यों से यथासंभव अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने का आग्रह किया।

अंत में, श्री बी. एस. रावत, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा राजभाषा समारोह में राजभाषा नीति के उद्देश्यों के प्रति स्टाफ सदस्यों को उन्मुख करने पर महानिदेशक एवं अतिथि वक्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया गया और फिर सभागार में उपस्थित सभी लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

वही भाषा जीवित और जागृत रह सकती है जो जनता का ठीक–ठीक प्रतिनिधित्व कर सके और हिंदी इसमें समर्थ है। – पीर मुहम्मद मूनिस

देवनागरी ध्वनिशास्त्र की दृष्टि से अत्यंत वैज्ञानिक लिपि है। – रविशंकर शुक्ल

हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया। – डॉ राजेन्द्र प्रसाद

आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए। – महावीर प्रसाद द्विवेदी

MAKE IN INDIA

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित हैः

- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना;
- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना;
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना;
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत निकाय)

सैक्टर 24, नौएडा–201 301

उत्तर प्रदेश (भारत)

वेबसाइटः www.vvgnli.gov.in